खण्ड-107, अंक-2
मंगलवार, 4 भाद्रपद, शक संवत् 1874
(26 अगस्त, 1952 ई0)

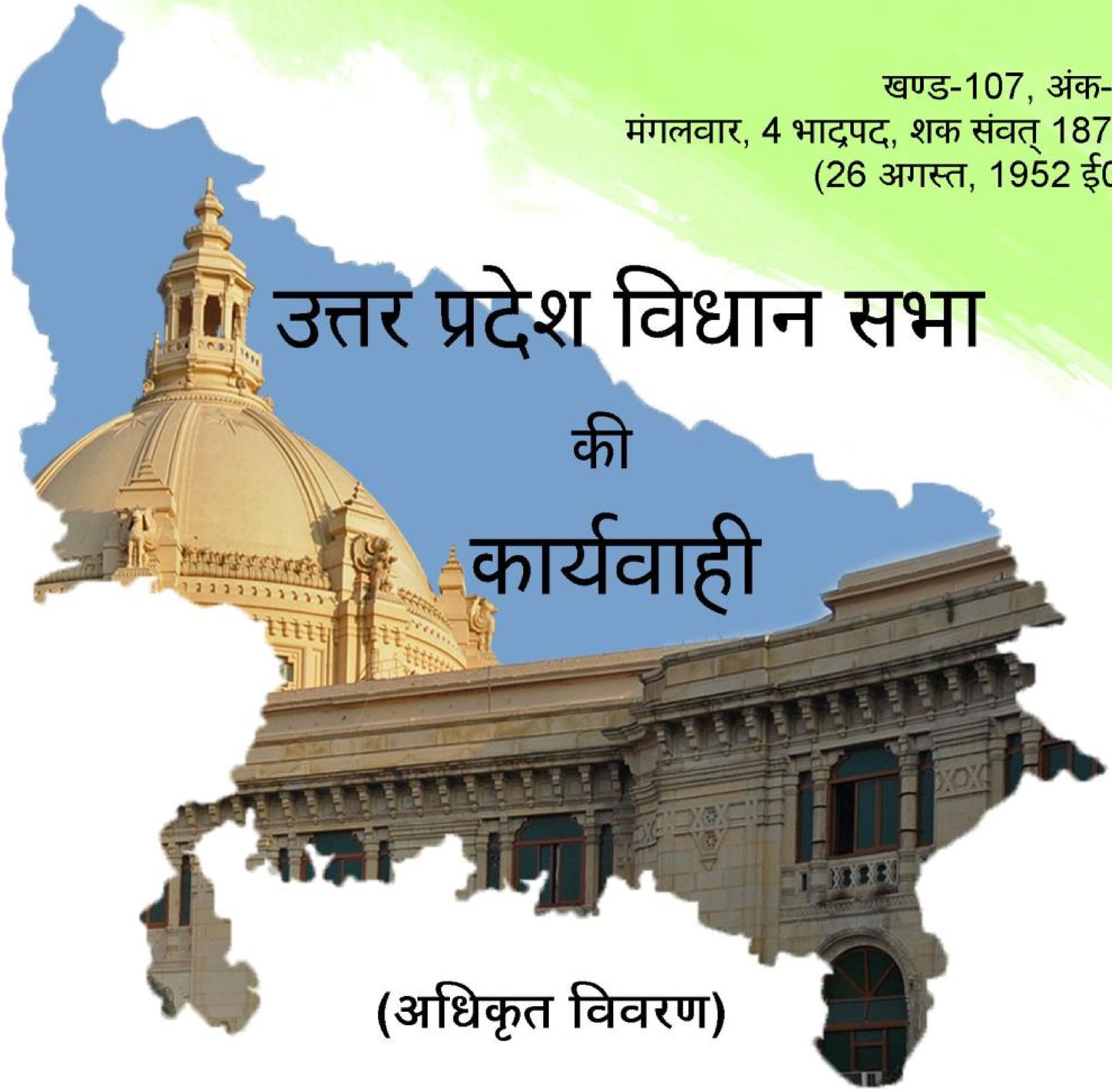

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 107 में 5 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५२

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, २६ अगस्त, १९५२

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ, में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३३८)

अक्षयवर सिंह, श्री
अज़ीज़ इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज़ खां, श्री
अब्दुल रऊफ़ खां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अली ज़हीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
अशरफ़ अली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इर्तज़ा हुसैन, श्री
इसरारुल हक़, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उल्फ़त सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज़ रसूल, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह, श्री
कमाल अहमद रिज़वी, श्री
करण सिंह यादव, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याण राय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टण्डन, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवल सिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
ख़यालीराम, श्री
ख़ुशीराम, श्री
ख़ूबसिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांण्डेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद, पाण्डेय श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रपाल बाजपेयी, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्र सिंह रावत, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

चन्द्रहास, श्री
चरण सिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगन्नाथ सिंह श्री
जगपति सिंह, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
झारखण्डे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजा सिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण दीन, श्री
निरंजन सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमेश्वरी राम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फ़ज़लुल हक़, श्री
फ़तेह सिंह राणा, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मित्तल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्भर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन मिश्र, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवानसहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला सिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम ख़ां, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
महमूद अली ख़ां, श्री (रामपुर)
महमूद अली ख़ां, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजी लाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक़ अली ख़ां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद इब्राहीम हाफ़िज़, श्री
मुहम्मद तकी हादी,
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहन लाल गौतम, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणंजय सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्र प्रताप सिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
रामकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
राम अधार तिवारी, श्री
राम अधीन सिंह यादव, श्री
राम अनन्त पांडेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरन लाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनाथ तिवारी, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामभजन, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफ़त हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
बिष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीर सेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र,श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजवली सिंह, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्य सिंह राणा, श्री
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हमीद खां, श्री
हर खयाल सिंह, श्री
हरगोबिन्द पन्त, श्री
हरगोबिन्द सिंह, श्री
हर दयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरसहाय गुप्त, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरि सिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

असिस्टेंट सेल्स टैक्स अफसरों की अर्हताएं तथा लखनऊ सेल्स टैक्स आफिसर का एम० ए० की परीक्षा में बैठना

*१—श्री परिपूर्णानन्द वर्मा (जिला गोरखपुर)—क्या वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस समय कितने असिस्टेंट सेल्स टैक्स अफ़सर ऐसे हैं जिनकी शिक्षा की योग्यता हाई स्कूल अथवा इन्टरमीडियेट ही है ?

वित्त मंत्री (श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम)—ऐसे असिस्टेंट सेल्सटैक्स अफसर केवल दो हैं और उनकी योग्यतायें ये हैं—

श्री बृजेन्द्र सिंह वर्मा. . .आर्टस् डिप्लोमा (सिंगापुर) ।
श्री महेश चन्द्र त्यागी.. इंटरमीडियेट ।

*२—श्री परिपूर्णानन्द वर्मा—ऐसे परीक्षा देनेवालों में कितने कर्मचारियों ने सरकार की आज्ञा से परीक्षा दी तथा इनके अवकाश काल में कार्य संचालन का क्या प्रबन्ध किया गया था ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—ऊपर बताये गये असिस्टेन्ट सेल्स टैक्स अफसरों में से कोई भी सेल्स टैक्स डिपार्टमेन्ट में नौकरी में रहते हुए न तो किसी परीक्षा में बैठा है और न किसी ने बैठने के लिये प्रार्थना पत्र भेजा है । इसलिये छुट्टी के दौरान में कार्य संचालन के लिये प्रबन्ध करने का सवाल ही नहीं उठता ।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा—अध्यक्ष महोदय, मेरे पहले वाले प्रश्न में जिनका जिक्र है उनसे दूसरे प्रश्न का कोई सम्बन्ध नहीं है ।

अध्यक्ष—तो आप पूरक सवाल द्वारा इसका स्पष्टीकरण करा सकते हैं ।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा—क्या माननीय वित्त मन्त्री यह बतलाने की मेहरबानी फरमायेंगे कि पिछले साल लखनऊ के सेल्स टैक्स आफिसर एम०ए० की परीक्षा दे रहे थे और ४ घंटे दफ्तर के वक्त में वह लखनऊ यूनिवर्सिटी अटेन्ड करते थे ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—जो जवाब इस वक्त दिये गये हैं उसके लिहाज से तो यह बात है कि किसी ने नहीं किया लेकिन इस स्पेसिफिक (विशेष) बात के लिये मेरे पास इस वक्त जवाब नहीं है । मालूम करने पर पता चल सकता है कि यह सही है या गलत । मैं इसके लिये नोटिस चाहूंगा ।

पब्लिक अकाउण्ट्स और फाइनेंस समितियों का कार्य करने के लिये कर्मचारियों को आनरेरियम (मानदेय)

*३—श्री परिपूर्णानन्द वर्मा—क्या वित्त मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि पब्लिक अकाउण्ट्स कमेटी तथा फ़ाइनेंस कमेटी आदि के लिये वित्त विभाग ने कितने कर्मचारी दिये हैं और उनको कितना आनरेरियम मिलता है और उसमें सरकार का वार्षिक व्यय कितना होता है ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—पब्लिक एकाउण्ट्स कमेटी तथा फाइनेन्स कमटी के कार्य के लिये वित्त विभाग से कोई विशेष कर्मचारी अलग (exclusively) नहीं दिये जाते हैं, न कोई अतिरिक्त कर्मचारी भर्ती किये जाते हैं ।

केवल फाइनेंस कमेटी से सम्बन्धित कार्य करने के लिए कोई मानदेय नहीं दिया जाता। पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के कार्य के सम्बन्ध में वित्त विभाग के उन कर्मचारियों को उचित मानदेय दिया जाता है जिन्हें रविवार तथा अन्य छुट्टी के दिनों में भी कार्य करना पड़ता है तथा अन्य दिन दफ्तर बंद होने के समय के बाद भी कई घंटे काम करने की आवश्यकता होती है। पब्लिक एकाउन्टस कमेटी के काम के लिये पिछले चार वर्षों में कुल जितना मानदेय (honoraria) दिया गया है, वह इस प्रकार है ---

१९४८-४९	६६०	रुपया
१९४९-५०	३१०	,,
१९५०-५१	४८०	,,
१९५१-५२	५६०	,,

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा--क्या सरकार यह बतायगी कि पब्लिक एकाउंट्स कमेटी के पास अपना परमानेन्ट (स्थायी) स्टाफ भी है ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम--किसी कमेटी के पास अलग स्टाफ नहीं है। फायनेंस के एकाउन्टस सेक्सन से पब्लिक एकाउट्स कमेटी का काम चलता है और बजट सेक्शन से फायनेंस कमेटी का काम होता है।

बहराइच जिले के फर्स्ट सिविल और सेशन जज को डिस्ट्रिक्ट जज की पदवी देना

*४--**श्री त्रिलोकी नाथ कौल** (जिला बहराइच)---क्या न्यायमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बहराइच जिले की मांग जो क़रीब बीस बर्ष से दरख्वास्त के द्वारा और ज़ुबानी की जा रही है कि फ़र्स्ट सिविल और सेशन जज जो इस ज़िले में सेशन का काम करते हैं उनकी पदवी डिस्ट्रिक्ट जज की कर दी जावे तो इस सम्बन्ध में कोई उचित कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

न्याय मन्त्री (श्री सैयद अली ज़हीर)--सरकार इस मामले में हाई कोर्ट से लिखा पढ़ी कर रही है और उम्मीद है कि जल्द इस मामले में कोई आखिरी फैसला कर दिया जायगा।

श्री त्रिलोकी नाथ कौल--क्या यह बात सच है कि कई हाई कोर्ट जजेज़ वहां दौरे के सिलसिले में जब गये तो उन्होंने जज कायम करने की शिफारिश की है ?

श्री सैयद अली ज़हीर--इसकी कोई इत्तला मेरे पास इस वक्त नहीं है।

विद्युत् शक्ति न मिलने से सीतापुर, शाहजहांपुर और खीरी ज़िलों में नलकूपों का न चलना

*५--**श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी** (जिला आगरा)--क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि यह सही है कि सीतापुर, शाहजहांपुर तथा खीरी ज़िले में काफ़ी संख्या में ट्यूब वेल बन कर तैयार हो चुके हैं किन्तु विद्युत शक्ति के अभाव में उनसे सिंचाई नहीं हो रही है ?

सूचना मन्त्री (श्री कमला पति त्रिपाठी)--जी हां। ३४ नलकूप तैयार हो चुके हैं किन्तु बिजली का सामान उपलब्ध न होने के कारण उन्हें अब तक चलाया नहीं जा सका है। अब सामान उपलब्ध होने लगा है। आशा है कि इस वर्ष के समाप्त होने के पहले ही बिजली की शक्ति इन कुओं को मिल जायगी।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी—क्या यह सही है कि एफेक्टिव प्लानिंग के कारण यह सामान समय से नहीं खरीदे जा सके और कुंये बनने के वक्त तक वहां पावर हाउस नहीं बन सका ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—ये सामान हमको बाहर से मंगाने पड़ते हैं जिनके लिये गवर्नमेंट आफ इंडिया से बराबर खतोकिताबत होती रही और सामानों के आर्डर्स भी पहले से दिये जा चुके हैं अब इनमें से बहुत सा सामान मिल गया है और थोड़ा सा बाकी जो है वह भी शीघ्र ही मिलनेवाला है ।

*६-७—श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी—[२७ अगस्त, १९५२, के लिये स्थगित किये गये ।]

*८-१०—श्री राम लखन मिश्र (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)—[देखिये आगे पृष्ट १०३ पर]

*११—१२-श्री श्यामाचरण बाजपेयी शास्त्री (जिला बांदा)—[५ सितम्बर, १९५२ के लिये संख्या ७७-७८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।)

*१३-१५—श्री देवकी नन्दन विभव (जिला आगरा) (अनुपस्थित)—[देखिये आगे पृष्ठ १०३-१०४ पर]

जिला बुलन्दशहर में सिंचाई के लिये पानी का दिया जाना

*१६—श्री धर्म सिंह (जिला बुलन्दशहर)—क्या सिंचाई मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला बुलन्दशहर में ऐसे कितने इलाक़े हैं जिनको पिछले वर्ष में एक मास या उससे अधिक के लिये पानी मिलता रहा ?

*१७—कितने ऐसे इलाक़े हैं जिनको साप्ताहिक पानी प्राप्त होता रहा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—माननीय सदस्य जो सूचना चाहते हैं वह मेज़ पर रक्खे हुये विवरण पत्र में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १५९ पर)

जिला बुलन्दशहर में रजबहों तथा नहरों में कुलावे खोलने के लिये प्रार्थना-पत्र

*१८—श्री धर्म सिंह—जिला बुलन्दशहर में रजबहों तथा नहरों में कुलावे खोलने के लिए कितने प्रार्थना पत्र आये हैं और उस तकलीफ़ को दूर करने के लिये कहां तक प्रयत्न किया गया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इस साल जुलाई के आखिर तक २१ प्रार्थना पत्र आये । उनमें से ३ स्वीकार और ११ अस्वीकार हुए और ७ अभी तक विचाराधीन हैं ।

श्री धर्म सिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि २१ प्रार्थना पत्रों में तीन ही किस आधार पर स्वीकार किये गये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—ये जो प्रार्थना पत्र आये थे इनमें प्रायः ९९ फीसदी ऐसे थे जो पानी की कमी की शिकायत करनेवाले थे । कुछ उनमें ऐसे भी थे जो कि कुलाबों को बदलने के सम्बन्ध में दिये गये थे । पानी जहां बढ़ाना सम्भव है अथवा कुलाबा जहां बदलना सम्भव है, वहां वे स्वीकार कर लिये जहां सम्भव नहीं हैं अस्वीकार कर दिये गये ।

श्री धर्म सिंह—अस्वीकार हुये प्रार्थना पत्रों पर सरकार कब तक विचार करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—बहुत शीघ्र ही उनका भी फ़ैसला हो जायगा ।

*१९-२०---श्री गुप्तार सिंह (जिला रायबरेली) (अनुपस्थित)--[देखिये आगे पृष्ठ १०४ पर]

लोअर गंगा नहर मिधौली से निकलने वाला स्केप

*२१---श्री मथुरा प्रसाद त्रिपाठी (जिला फर्रुखाबाद)---क्या यह सच है कि लोअर गंगा नहर की मिधौली शाख (रजवाहा) मैनपुरी डिवीजन से रामपुर हृदय तहसील छिबरामऊ के पास से निकलनेवाले स्केप को बन्द कर देने के लिए सरकारी आदेश किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---ग्राम रामपुर हृदय के पास मिधौली राजवाहा के दाईं पटरी से मिधौली स्केप निकलती है । उसको बन्द करने के लिये कोई सरकारी आदेश नहीं दिया गया है ।

श्री मथुरा प्रसाद त्रिपाठी---क्या माननीय सिंचाई मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह स्केप मौके पर खुला हुआ है अथवा बन्द ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---बन्द होने की कोई आज्ञा दी ही नहीं गयी है, खुला होना चाहिये ।

*२२---श्री मथुरा प्रसाद त्रिपाठी---क्या यह सच है कि उक्त स्केप के स्थान पर माइनर बनाये जाने की सरकार ने स्वीकृति दी है ? यदि हां, तो कब तक वह माइनर बनकर तैयार हो जायेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---उक्त स्केप के स्थान पर सरकार ने माईनर बनाने की कोई स्वीकृति नहीं दी है ।

खलीलाबाद---छपरा घाट सड़क

*२३---श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती)---क्या सरकार को ज्ञात है कि खलीलाबाद से छपरा घाट को जानेवाली सड़क जिला फ़ैजाबाद तथा आजमगढ़ को मिलाती है ?

निर्माण उपमंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)---जी हां, इस नाम की एक कच्ची सड़क फैजाबाद व आजमगढ़ जिलों को जाती है ।

श्री रामसुन्दर राम (जिला बस्ती)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मुखलिसपुर से छपराघाट को जानेवाली सड़क कितने मील लम्बी है और उसमें कितने मील पक्की और कितने मील कच्ची है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---सूचना की जरूरत है ।

मुखलिसपुर घाट में कुआनो नदी पर पुल न होने से कठिनाई

*२४---श्री धनुषधारी पांडेय---क्या सरकार को यह मालूम है कि मखलिसपुर घाट पर कुआनो नदी में पुल न होने के कारण यातायात में कठिनाई होती है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---जी हां ।

*२५---श्री धनुषधारी पांडेय---क्या सरकार इस पुल को बनाने का विचार इस वर्ष करती है ? अगर इस वर्ष नहीं तो कब तक ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी नहीं । जिस सड़क पर यह पुल है वह सड़क डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को लौटा दी गयी है ।

बस्ती जिले में नदियों पर पुलों का निर्माण

*२६—**श्री राजाराम शर्मा** (जिला बस्ती)—क्या निर्माण मन्त्री को यह ज्ञात है कि बस्ती जिले के नैपाल सीमा से मिलाने वाली सड़कों में बहुत सी नदियों पर पुल नहीं हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां, यह बात ठीक है ।

*२७—**श्री राजाराम शर्मा**—क्या निर्माण मन्त्री को ज्ञात है कि बस्ती में राप्ती नदी पर डुमरियागंज बांसी करमैनी घाटों पर भी पुल नहीं हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां, सरकार को मालूम है कि इन स्थानों पर पक्के पुल नहीं हैं ।

*२८—**श्री राजाराम शर्मा**—क्या सरकार इन पुलों को बनवाने का प्रबन्ध सन् १९५२-५३ में कर रही है ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—सन् १९५२-५३ में इन स्थानों पर पक्के पुल बनाने की कोई योजना नहीं है क्योंकि नाव व नावों के पुलों से काम ठीक चल रहा है ।

श्री राजराम शर्मा—क्या यह सही है कि पोस्ट वार स्कीम में राप्ती नदी पर डुमरियागंज, बाँसी और करमैनी घाट पर पक्के पुल बनाने की स्कीम मंजूर हुई थी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इसके लिये नोटिस की जरूरत है । कोई इत्तिला नहीं है ।

श्री राजाराम शर्मा—क्या सरकार को यह मालूम है कि यह सभी पुल उन सड़कों पर पड़ते हैं जिनके बनाने का काम जारी है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—सूचना चाहिये, मालूम नहीं है ।

श्री सीताराम शुक्ल—(जिला बस्ती) क्या सरकार को यह मालूम है कि नावों के पुल बरसात में टूट जाते हैं जब कि उनकी जरूरत होती है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां, मालूम है । बरसात के बाद टूट जाते हैं और यह ऐसी नदियां हैं कि बरसात के बाद उन पर लोग जा सकते हैं ।

श्री राम कुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—क्या सरकार को यह मालूम है कि बांसी जहां पर राप्ती नदी बहती है वहां पुल बनाने के लिये सर्वे जारी है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—कोई सर्वे नहीं हो रहा है ।

*२९-३१—**श्री द्वारिका प्रसाद पांडेय** (जिला गोरखपुर)—[११ सितम्बर, १९५२, के लिये संख्या ४३-४५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।)

*३२-३४—**श्री बाबू लाल मीतल** (जिला आगरा)—[३ सितम्बर, १९५२, के लिये संख्या ४-६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

शारदा विद्युतालय (लोहिया हेड) के निर्माण की प्रगति

*३५—**श्री नारायण दत्त तिवारी** (जिला नैनीताल)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी की शारदा विद्युतालय (लोहियाहेड) के निर्माण में क्या ऐसी प्रगति हो रही है जिसके अनुसार निर्धारित समय तक निर्माण कार्य पूरा हो जाय ?

श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम--जी हां ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या माननीय मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि यह सरकार द्वारा निर्धारित समय कौन तारीख, कौन महीना और कौन से साल में यह शारदा विद्युतालय का निर्माण पूरा हो जायगा ?

श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम--ऐसे कामों में दिन और तारीख मुकर्रर नहीं होते, साल मुकर्रर होती है अंदाज से । चुनाचे ५३ के आखीर और ५४ के शुरू में यह काम खत्म हो जायगा ।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)--क्या सरकार बताने कीकृपा करेगी कि किन किन जिलों को इससे बिजली मिलेगी ?

श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम--उनके नाम भी इस वक्त मेरे पास नहीं हैं ।

*३६--**श्री नारायण दत्त तिवारी**--क्या सरकार यह बतलायेगी कि उपर्युक्त निर्माण में कुल कितने कर्मचारी किस वेतन की श्रेणी में अथवा दर पर कार्य कर रहे हैं ?

श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम--कर्मचारियों की एक सूची माननीय सदस्य को मेज पर रक्खी है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १६० पर)

श्री नारायण दत्त तिवारी--जहां पर काम हो रहा है वह अधिकतर ठेकेदारों के हाथ में है या डेली लेबर लगा रखी है ?

श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम--काम तो सब खत्म हो चुका है । लेबर का काम गोरखपुर का था उसके जरिये से होता था ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या जो लिस्ट मुझे दी गई है २४१ कर्मचारियों की क्या यह शारदा पावर हाउस का निर्माण करा रहे हैं ?

श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम--वह लिस्ट तो सवाल के जवाब में दी गई है जो वहां के काम करने वालों की फेहरिस्त मांगी गई थी ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जितनी निर्धारित राशि इसके लिये थी उससे कितना ज्यादा खर्चा इस पर हो चुका है ।

श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम--ज्यादा खर्चा जरूर हुआ है उसकी वजह मैंने ऐवान के सामने बयान कर दी थी । इसके फीगर्स मेरे पास नहीं हैं ।

*३७--**श्री नारायण दत्त तिवारी**--क्या सरकार के पास उपर्युक्त निर्माण के प्रशासन के कुप्रबन्ध के संबंध में कोई शिकायतें आयी हैं ? यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की ?

श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम--जी नहीं ।

टिंचर जिंजर का नशे के लिये प्रयोग

*३८--**श्री पातीराम** (जिला फर्रुखाबाद)--क्या सरकार को ज्ञात है कि जिन जिलों में नशाबन्दी है वहां टिंचर जिंजर नामक कथित दवा को शराब की जगह नशे के लिये इस्तेमाल किया जाता है ?

श्री सैयद अली जहीर--जी हां।

*३९--श्री पातीराम--क्या टिंचर जिंजर रखने, बेचने व खरीदने के संबंध में सरकार की ओर से कोई नियम और आदेश जारी किये गये हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उनकी प्रतियां मेज पर रक्खेगी?

श्री सैयद अली जहीर--स्प्रिट पड़ी हुई दवाओं के बनाने, रखने, बेचने व खरीदने के विषय में नियम बनाने का अधिकार केन्द्रीय सरकार को है। प्रदेश की सरकार ने इस ओर केन्द्रीय सरकार का ध्यान दिलाते हुये इस बात की सिफारिश की है कि इसके मुताल्लिक कड़े नियम बनाये जायें और इस विषय में उनसे पत्र व्यवहार कर रही है।

श्री पातीराम--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि ऐसी नशीली वस्तुओं के बेचने के लिये किसी लाइसेंस की आवश्यकता है?

श्री सैयद अली जहीर--जी हां, लाइसेंस की जरूरत है।

जौनपुर में खांड की मंडी वाली सड़क के पुर्ननिर्माण पर व्यय

*४०--श्री नागेश्वर द्विवेदी (जिला जौनपुर)--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जौनपुर नगर में खांड की मंडी सड़क और जौनपुर जिला में जौनपुर सड़क के १, २ मील के पुर्ननिर्माण के लिये १९५१-५२ के बजट में स्वीकृत ३३,००० रुपये (तैंतीस हजार) की धनराशि क्यों नहीं व्यय हो सकी?

श्री चतुर्भुज शर्मा--यह प्रश्न नहीं उठता क्योंकि प्रश्न में उल्लिखित कार्य के लिये ८३,००० रुपया सन् १९५१-५२ में व्यय किया गया है।

श्री नागेश्वर द्विवेदी--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह ८३ हजार रुपया ५१-५२ में जौनपुर की खांड की मंडी वाली सड़क के १, २ मील पर ही खर्च हुआ है?

श्री चतुर्भुज शर्मा--जी हां, इतनी ही मील पर खर्च हुआ है।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह सड़क तैयार हो गई है या अभी बाकी है?

श्री चतुर्भुज शर्मा--यह सड़क तैयार है।

आगरा जिले में आनरेरी मैजिस्ट्रेटों द्वारा निर्णीत मुक़द्दमे

श्री पुत्तूलाल (जिला आगरा)--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि गत वर्ष आगरा जिले में कार्य करने वाले आनरेरी मैजिस्ट्रेट के पास कुल कितने मुक़दमात भेजे गये और उनमें से कुल कितने मुकदमे उस वर्ष फैसल किये गये तथा प्रत्येक मुक़दमे को तय करने का औसत समय क्या रहा?

श्री सैयद अली जहीर--एक तालिका माननीय सदस्य की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ १६२ पर)

श्री पुत्तू लाल--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इन मुक़दमों में से कितने मुकदमे खारिज हुये और कितनों में कम्प्रोमाइज हुआ?

श्री सैयद अली जहीर—इसकी कोई इत्तिला इस वक्त मेरे पास नहीं है।

श्री पुत्तू लाल—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि क्या कोई आदेश यहां से जारी किया गया है जिसके मुताबिक आनरेरी मैजिस्ट्रेट से यह कहा गया है कि वह २ बजे से ४ बजे तक अपनी अदालत में बैठें ?

श्री सैयद अली जहीर—मेरे खयाल से ऐसा कोई हुकुम जारी नहीं किया गया। दरियाफ्त करके मैं आखिरी जवाब दे सकता हूं।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—सरकार के पास जब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट मौजूद हैं तब इन आनरेरी मैजिस्ट्रेटों के रखने की क्या जरूरत है ?

श्री सैयद अली जहीर—जुडिशियल मैजिस्ट्रेट मौजूद हैं लेकिन बावजूद इसके काम इतना है कि आनरेरी मैजिस्टेट्स की जरूरत पड़ती है।

*४२-४३—श्री राज नारायण (जिला बनारस)—[४ सितम्बर, १९५२, के लिये, संख्या ४९-५० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

गवर्नमेण्ट इस्टेट आफ़िसर के लिये हिलमैन नामक मोटर की ख़रीद

*४४—श्री देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राज्य सम्पत्ति अधिकारी के लिये हिलमैन नामक गाड़ी खरीदी गई ? यदि हां, तो क्यों और किसकी अनुमति से ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—जी नहीं।

श्री देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह—क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कोशिश करेंगे कि स्टेट डिपार्टमेंट में कोई हिलमैन गाड़ी ख़रीदी गई है ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—जी, हिलमैन ख़रीदी गई है।

श्री देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह—उसके खरीदने की क्या जरूरत पड़ी ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—मुख़तलिफ कामों के लिये स्टेट आफ़िस में स्टाफ कार रहती है, उनमें से ख़राब भी होती रहती हैं, उनको बदलने की भी जरूरत होती रहती है और नई ख़रीदने की भी जरूरत होती है और यह भी उसी जरूरत के लिये ख़रीदी गई।

श्री देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह—क्या सरकार को जानकारी है कि वह हिलमैन स्टेट आफ़िसर की प्राइवेट सरविस में रहती है ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—न रही और न रहती है। यह बिलकुल गलत है। स्टेट आफ़िसर मुहकमे के इंचार्ज हैं। अगर कहीं सरकारी काम से जाना हो तो मिस्ल दूसरे सरकारी अफ़सरों के वह भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

*४५—श्री देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह—क्या सरकार यह बतलायेगी कि यह गाड़ी खरीदी जाने से अब तक कितनी चली है और उसमें कितना पेट्रोल खर्च हुआ है ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—यह गाड़ी जून ३०, १९५२ ई०, तक ६८६२ मील चली और उस तारीख तक २६३ १/२ गैलन पेट्रोल खर्च हुआ।

श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)---क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलावेंगे कि स्टेट आफ़िसर का काम सिर्फ लखनऊ में ही है और कहीं बाहर नहीं है?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम---स्टेट आफिसर का काम लखनऊ में है।

श्री भगवान सहाय---क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर के बतलावेंगे कि जब स्टेट आफ़िसर का काम लखनऊ ही में है तो वह गाड़ी ८ हजार कई सौ मील किस काम में चली ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम---वह दो बर्ष से लखनऊ ही में चली है, मुमकिन है कोई आफिसर उसको बाहर भी ले गये हों। इस वक्त उसका पूरा प्रोग्राम मेरे पास नहीं है।

राजा वीरेन्द्र शाह (ज़िला जालौन)---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि स्टेट आफिस में जो गाड़ी ख़रीदी जाती हैं वह कौन अफ़सर खरीदते हैं ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम---सरकार का ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर व उनके डिप्टी वग़ैरह और उनका स्टाफ खरीदता है।

श्री भगवान सहाय---क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलावेंगे कि यह गाड़ियां जो स्टेट आफिस में इस्तेमाल होती हैं उनका कोई रिकार्ड रखा जाता है ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम---हर रोज़ जो इस्तेमाल में आती हैं यहां लखनऊ में उनका तो कोई अलग रिकार्ड नहीं होता लेकिन बाहर जो जाती हैं उनका होता है।

नैनीताल क्लब में विधान मंडल के सदस्यों तथा सरकारी अधिकारियों को कमरों का अलाटमेंट

*४६---श्री मदन मोहन उपाध्याय---क्या यह सही है कि नैनीताल क्लब विधान मंडल के सदस्यों के लिये खरीदा गया था और उसमें रहने के लिये सदस्यों को प्रायोरिटी दी जाती थी ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम---नैनीताल क्लब खास तौर से विधान मंडल के सदयों के इस्तेमाल के लिये नहीं खरीदा गया था लेकिन आम तौर से विधान मंडल के उन सदस्यों को जो कि नैनीताल क्लब के कमरों के अलाटमेंट के समय वहां के कमरों के अलाटमेंट के लिये मांग पेश करते हैं दिये जाते हैं।

श्री मदन मोहन उपाध्याय---क्या माननीय मंत्री को यह मालूम है कि बहुत से माननीय सदस्यों ने कमरे मांगे लेकिन उनको नहीं मिले ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम---जी हां, जरूर ऐसा हुआ होगा, इसलिये कि हर साल एक तारीख मुकर्रर होती है कि उस तारीख तक जो साहब कमरे मांगेंगे उनको तो मिल जायेंगे लेकिन जिनकी दरख्वास्तें उस तारीख के बाद में आयेंगी उनको कमरे नहीं मिलेंगे। तो ऐसा हो सकता है किसी ने उस तारीख के बाद मांगा हो और उनको न दिया गया हो।

श्री मदन मोहन उपाध्याय---क्या यह नियम सरकारी आफिसरों के लिये भी लागू होता है ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम---जी हां, जरूर। हर एक के लिये लागू होता है।

राजा वीरेन्द्र शाह---क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि नैनीताल क्लब की अब हालत वैसी ही है जैसे पहले खरीदने के वक्त थी ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम---अगर इसका मतलब मेंटिनेंस से है तो मैं अर्ज करता हूं कि वैसी ही है।

श्री भगवान सहाय---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि नये रेजिडेंस का किराया तो बढ़ाया गया है लेकिन नैनीताल क्लब के किराये में कोई इजाफा नहीं किया गया है ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम---यह बिल्कुल गलत और उल्टी बात है। सबसे ज्यादा किराया नैनीताल क्लब का बढ़ाया गया है।

श्री नारायण दत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि विधान मंडल के सदस्य नैनीताल क्लब के अलावा और कहां कहां ठहराये जाते हैं ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम---आर० ए० एफ० क्वार्टर ब्रुक हिल, दो और हैं जिनके नाम मुझे याद नहीं है।

श्री हरदयाल सिंह पिपल (ज़िला अलीगढ़)---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि स्टेट आफिसर ने इस नैनीताल क्लब में अपने रिश्तेदारों को आफिसरों के नाम पर नियुक्त कर रखा है ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम---जी नहीं। उनका कोई रिश्तेदार वहां नहीं है।

श्री मदन मोहन उपाध्याय---क्या सरकार नैनीताल क्लब में इस माननीय सदन के सदस्यों के लिये कुछ कमरे रिजर्वेशन करने को सोच रही है ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम---रिजर्वेशन करना बिल्कुल गैरजरूरी होगा और मैं समझता हूं कि इससे और ज्यादा शिकायतें पैदा होंगी।

श्री सुल्तान आलम खां (ज़िला फर्रुखाबाद)---सरकार इस मसले के मुताल्लिक क्या सोच रही है कि लेजिस्लेजर के मेम्बरों को भी आसानी के साथ नैनीताल क्लब में जगह मिल जाया करे ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम---जो वक्त के अन्दर इत्तिला देते हैं उनको हमेशा बहुत आसानी के साथ जगह मिल जाती है।

श्री नारायण दत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी बतला सकते हैं कि नैनीताल क्लब के अलावा और कौनसी बिल्डिंग सरकार ने खरीदी ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम---जी हां, आर० ए० एफ० क्वार्टर को खरीदा और उसके ऊपर एक कोठी किसी साहब की थी उसे भी खरीदी।

श्री सुल्तान आलम खां---क्या सरकार ने कभी इस बात पर भी ग़ौर किया कि जो कमरे नैनीताल क्लब में हैं उसके कुछ हिस्से सेक्रेटेरियेट के आफिसरों के लिये और कुछ मेम्बरों के लिये अलग-अलग दे दिये जायं ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम---जी नहीं। यह तो मुनासिब भी नहीं है। मुकर्ररा वक्त के अन्दर जिन साहबान ने भी दरख्वास्त दी उनको कमरे दे दिये जाते हैं। वे चाहे मेम्बर हों या गवर्नमेंट के आफिसर हों।

*४७—श्री मदन मोहन उपाध्याय—क्या यह सच है कि पिछले वर्ष से इस नियम की अवहेलना की गई ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—जी नहीं ।

*४८—श्री मदन मोहन उपाध्याय—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि नैनीताल क्लब में इस साल किन-किन को स्थान दिया गया ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—एक नकशा जिसमें उन-उन के नाम हैं जिन-जिनको इस साल क्लब में स्थान दिया गया, मेज पर रखा है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ १६३ पर)

श्री मदन मोहन मोहन उपाध्याय—जैसा कि जवाब में कहा गया है कि सेक्रेटेरियेट के आफिसरों के लिये कमरे रिजर्व रखे गये थे। तो सेक्रेटेरियेट के आफिसरों के लिये ये कमरे रिजर्व रखने की क्यों आवश्यकता पड़ी ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—रिजर्व करने का मतलब सिर्फ यह है कि जिन्होंने इन टाइम दरख्वास्त दे दी थी उनके लिये कमरे मुकर्रर कर दिये गये थे लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमेशा के लिये उनके लिये ये कमरे रिजर्व हो गये ।

नये कौंसिलर्स रेज़ीडेंस के निर्माण के लिये तोड़ी गयी इमारतों की संख्या, किराया तथा मूल्य

*४९—श्री भगवान सहाय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि नये कौंसिलर्स रेजीडेंस के बनाने में जो ४२ लाख रुपये की लागत बतलाई गई है उसमें ज़मीन की क़ीमत शामिल है या नहीं और अगर है, तो कितनी है और किस हिसाब से ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—जी नहीं। सवाल का आख़िरी हिस्सा पैदा नहीं होता।

*५०—श्री भगवान सहाय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि नये कौंसिलर्स रेजीडेंस के बनाने में कितने बंगले, आउट हाउसेस व अन्य इमारतें तोड़ी गईं। उनके माहवारी किराये क्या थे, क़ीमत क्या थी और वह क़ीमत ४२ लाख रुपये में शामिल है या नहीं।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—एक नकशा, जिसमें कि उन इमारतों के नाम जो कि नये कौंसिलर्स रेजीडेंस के बनाने में तोड़ी गई, उनकी कीमतें तथा माहवारी किराया दिया हुआ है, मेज पर रक्खा है ?

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ १६५ पर)

श्री भगवान सहाय—नम्बर ५० का जवाब पूरा नहीं होता है, क्योंकि मैंने यह पूछा है कि ४२ लाख रुपये की कीमत में वह शामिल है या नहीं।

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—मेरे ख़याल में शामिल नहीं है ।

श्री भगवान सहाय—क्या माननीय मंत्री को यह मालूम है कि जो नकशा उन्होंने मेज पर रखा है वह ग़लत है ? इसके अलावा तीन-चार गैराजें और पियन क्वार्टर्स भी तोड़े गये थे ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम---मेरे खयाल में मेम्बर साहब को कुछ ठीक इल्म नहीं है। वह सही इल्म हासिल कर सकते हैं।

फैजाबाद डिवीजन, घाघरा नहर, के नाम में परिवर्तन

*५१---**श्री श्रीनाथ राय** (जिला आजमगढ़)---क्या यह सत्य है कि घाघरा नहर विभाग का नाम बदल कर पूर्वी जिलों में नलकूप विभाग बनाया गया है?

श्री कमला पति त्रिपाठी---फैजाबाद डिवीजन, घाघरा नहर, का नाम बदल कर टयूबवेल डिवीजन, फैजाबाद डिवीजन रख दिया गया है।

श्री श्रीनाथ राय---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि घाघरा नहर विभाग के अनुभवी नल कूप विभाग के भी अनुभवी हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी---घाघरा नहर के तो मेंटिनेंस का ही काम बाक़ी रह गया है और मुख्य काम जो फैजाबाद में होने वाला है वह नल कूपों के निर्माण का है। जो डिवीजन वहां कायम हुआ है वह आस पास के नलकूपों के निर्माण के लिये भी उत्तरदायी है। इसीलिये नाम बदल दिया गया है और जो व्यक्ति वहां हैं वह दोनों काम अच्छी तरह से देख सकेंगे।

आजमगढ़ जिले में बांध निर्माण और उस पर व्यय

*५२---**श्री उमाशंकर** (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार यह बतलायेगी कि आजमगढ़ जिले में कितने बांध पानी रोकने वाले सरकार द्वारा बनाये गये हैं और उन पर अलग अलग क्या व्यय हुआ है?

श्री कमलापति त्रिपाठी---सरकार ने ६ बांध आजमगढ़ जिले में बनाये हैं। इन बांधों पर व्यय का ब्यौरा इस प्रकार है :---

	रु०
१---च्योंटी बांध	१९,०८८
२---जगदीशपुर बांध	१,१७५
३---रसूलपुर बांध	३,०५२
४---मौला बांध	१,६९७
५---गुन्सर बांध	१,५४७
६---बिडवल बांध	इस बांध के खर्चे की तफसील अभी प्राप्त नहीं हुई है।

श्री उमाशंकर---क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि टेस्ट वर्क्स के संबंध में जो बांध बनाये गये वह इसमें शामिल हैं या नहीं?

श्री कमलापति त्रिपाठी---यह मैं नहीं कह सकता कि शामिल हैं या नहीं। लेकिन जो बांध बने हैं उनकी तालिका मैंने दे दी है।

श्री उमाशंकर---बांध नम्बर ४ और ५ किन-किन तहसीलों में हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी---ये आजमगढ़ जिले के हैं। अगर और पता चाहते हैं तो इसके लिये सूचना चाहिये। किन-किन तहसीलों में किस गांव के नजदीक, यह सब खोजना पड़ेगा।

श्री उमाशंकर—क्या सरकार को पता है कि च्योटी बांध इस साल किसानों द्वारा काटना पड़ा है, क्या उस पर पुलिया बनाने को सरकार तैयार है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—यह सही है कि अगर पानी की रुकावट रही है और पुलिया की जरूरत होगी तो बनाया जायगा। अगर माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में कोई सुझाव दें तो सरकार उस पर विचार करेगी।

श्री पद्मनाथ सिंह (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार कृपा कर यह बतलायेगी कि अंसई नदी पर कैनाल डिपार्टमेंट ने जो बांध बनाया है वह अधूरा ही रह गया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मेरे पास इस समय इसकी सूचना नहीं है।

*५३—**श्री उमाशंकर**—क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि उक्त बांधों में पिछली बरसात में कौन-कौन से टूट गये और क्या उन पर दुबारा काम हो रहा है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इन बांधों में से किसी भी बांध के टूटने की सूचना सरकार को नहीं मिली है।

*५४-५६—**श्री दाताराम** (जिला सहारनपुर)—[९ सितम्बर, १९५२, के लिये स्थगित किये गये।]

*५७-५९—**श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ** (जिला अलीगढ़) (अनुपस्थित)—

[देखिये आगे पृष्ठ १०४-१०५ पर]

रायबरेली जिला बोर्ड को ३३ मील पुरानी सड़क की वापसी

*६०—**श्री चन्द्रपाल वाजपेयी** (जिला रायबरेली)—क्या यह सही है कि सरकार ने रायबरेली जिला बोर्ड को उसकी ३३ मील पुरानी सड़क को वापस करने का निश्चय १ वर्ष हुआ कर दिया था पर अब तक सड़कें वापस नहीं हुईं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी नहीं, इस सड़क को जिला बोर्ड को वापस करने का प्रस्ताव अभी सरकार के विचाराधीन है।

श्री चन्द्रपाल वाजपेयी—क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ये सड़कें इस समय किसके प्रबन्ध में हैं और क्या वे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को लौटाई जाने वाली हैं या नहीं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—ये सड़कें अभी तक पी० डब्लू० डी० के प्रबन्ध में हैं। पहिली सड़क जो आपने बतलाई है उसके लिये विचार हो रहा है कि वह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को लौटाई जाय या नहीं।

श्री चन्द्रपाल वाजपेयी—क्या सरकार को मालूम है कि दो वर्षों में इन सड़कों पर सार्वजनिक निर्माण विभाग ने कोई कार्य नहीं किया है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इसके लिये सूचना की जरूरत होगी।

शिवगढ़-हैदरगढ़ सड़क को पक्का करने की योजना

*६१—**श्री चन्द्रपाल वाजपेयी**—क्या सरकार बतलायेगी कि शिवगढ़-हैदरगढ़ सड़क कब तक पूरी हो जायेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—ऐसी कोई योजना न तो सरकार द्वारा अभी तक स्वीकृत की गई है और न उसके विचाराधीन है।

*६२-६४—श्री श्रीपति सहाय (जिला हमीरपुर)—(९ सितम्बर, १९५२, के लिये स्थगित किये गये।)

चूड़ी व्यवसाय पर बिक्री-कर से आय

* ६५—श्री रमेश वर्मा (जिला आगरा)—सन् १९४८-४९ से १९५१-५२ तक प्रतिवर्ष चूड़ी व्यवसाय से बिक्री-कर कितना प्राप्त हुआ ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—चूड़ियों की बिक्री पर १९४८-४९ ई० में ३,४२,८५२ रु०, १९४०-५० ई० में ५,९६,१३० रु०, १९५०-५१ ई० में ५,९३,९८६ रु० और १९५१-५२ ई० में ४,९७,३६२ रु० बिक्री-कर वसूल हुआ।

श्री रमेश वर्मा—क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् ५१ और ५२ में जो कमी हुई वह बिक्री में कमी होने की वजह से हुई या वसूलयाबी में कमी होने की वजह से हुई ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—न वसूलयाबी की कमी की वजह से, न बिक्री में कमी की वजह से, बल्कि इसलिये कि जो माल इस स्टेट से बाहर की स्टेट को जाने वाला है उसपर बिक्री-कर वसूल होना बन्द हो गया है, इसलिये कि उसको अदालत ने खिलाफ कानून करार दिया।

श्री रमेश वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो आंकड़े उन्होंने उपस्थित किये वे कितनी बिक्री पर प्राप्त हुये ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—इसका कोई ब्यौरा मेरे पास इस वक्त नहीं है।

श्री रमेश वर्मा—क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जो बिक्री-कर लिया जाता है उसमें वह कर भी सम्मिलित है जो चूड़ी उत्पादन की अन्य वस्तुओं पर लिया जाता है ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—मैटीरियल तो अलग चीज है। बनी हुई जो चूड़ी है उसी के ऊपर लिया जाता है।

श्री हरदयाल सिंह पिपल—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो चूड़ियां प्रदेश से बाहर जाती हैं और उन पर जो बिक्री-कर छोड़ा गया है वह स्थायी रूप से छोड़ा गया है या थोड़े समय के लिये ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—कांस्टिटयूशन में यह प्राविजन है कि इंटर-स्टेट ट्रेड के ऊपर कोई स्टेट अपने यहां कर नहीं लगा सकती।

* * * * *

श्री शिवनारायण—अध्यक्ष महोदय प्रश्न, ८,९ और १० श्री रामलखन मिश्र जी के हैं, उनका जवाब नहीं दिया गया। हम लोग उनमें इंट्रेस्टेड हैं।

अध्यक्ष—उस वक्त आप खड़े नहीं हुये थे जब मैंने नाम पुकारा था। कौन सा नाम ? श्री रामलखन मिश्र।

श्री शिवनारायण—जी हां।

अध्यक्ष—इसमें दिलचस्पी है आपको ?

श्री शिवनारायण—जी हां।

जिला बस्ती, तहसील डुमरियागंज, में परसी नदी पर बांध का निर्माण

*८—श्री रामलखन मिश्र (अनुपस्थित)—क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला बस्ती, तहसील डुमरियागंज, में परसी नाले में इस वर्ष बांध बंधवाने में क्या व्यय हुआ ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—परसी नदी पर एक ३० फीट लम्बा वीयर और इस वीयर के दोनों ओर मिट्टी के बांध बरसात के पहिले बनाये गये थे और इस कुल काम पर लगभग २१,७०० रु० व्यय हुआ।

श्री शिवनारायण—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह बांध टेस्ट वर्क के सिलसिले में बनाया गया था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मैं यह तो नहीं कह सकता कि टेस्ट वर्क्स के सिलसिले में बनाया गया था परन्तु नहर विभाग ने इसको अवश्य बनाया।

*९—श्री रामलखन मिश्र (अनुपस्थित)—क्या वह बांध इसी वर्ष के प्रथम वृष्टि में नष्ट हो गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी नहीं। जून मास के आखिरी हफ्ते में उस बांध में जो वीयर को नदी के ऊंचे तटों से मिलाता है एक ५० फीट चौड़ी दरार वर्षा के कारण अवश्य हो गई है।

*१०—श्री रामलखन मिश्र (अनुपस्थित)—उसके जीर्णोद्धार में पुनः सरकार क्या व्यय करने जा रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—दरार के मरम्मत किये जाने की आज्ञा दे दी गई है जिसकी लागत लगभग ३०० रु० होगी।

* * * * * *

आगरा में मजदूरों और मध्यश्रेणी के लोगों के लिये मकानों का निर्माण

*१३—श्री देवकीनन्दन विभव (अनुपस्थित)—क्या निर्माण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि आगरा में मजदूरों और मध्य श्रेणी के लोगों के लिए सरकार ने कितने मकान बनवाये हैं या बनवाने में सहायता दी है ?

निर्माण मंत्री (श्री गिरधारी लाल)—मकान नहीं बनवाए हैं परन्तु आगरा में डेवलपमेंट ट्रस्ट लिमिटेड को मकान बनाने के लिये १६९ बीघा भूमि दी गई है।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १६९ बीघा जमीन जो दी गई है उस पर कितने मकान अब तक बन चुके हैं ?

श्री गिरधारी लाल—इसके लिये नोटिस की जरूरत है।

श्री नेकराम शर्मा—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो जमींन दी गई है उस पर ज्यादा से ज्यादा मजदूरों के मकान बनवाने की योजना पर सरकार विचार कर रही है ?

नोट १—ताराँकित प्रश्न ८–१० श्री शिवनारायण ने पूछे।

२—ताराँकित प्रश्न १३–१५–श्री नेक राम शर्मा ने पूछे।

श्री गिरधारी लाल--ये मकान बनवाने के लिये डेवलपमेंट ट्रस्ट को यह जमीन दी गई है जिससे वह जितने भी ग़रीब आदमी हैं उनके लिये ज्यादा से ज्यादा मकान बनवायें।

श्री नेकराम शर्मा--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या सरकार डेवलपमेंट ट्रस्ट की कार्यवाही से संतुष्ट है ?

श्री गिरधारी लाल--मैं इस वक्त इसका जवाब नहीं दे सकता।

*१४--श्री देवकी नन्दन विभव (अनुपस्थित)--क्या सरकार मध्य श्रेणी के लोगों के लिये किस्तों पर मकान देने के लिए कुछ धनराशि लगाने का विचार करती है ?

श्री गिरधारी लाल--नहीं।

*१५--श्री देवकी नन्दन विभव (अनुपस्थित)--क्या वह इस प्रकार की योजनाएं चलाने के लिये (Housing Societies) को कम ब्याज पर रुपया उधार देने पर विचार करने को तैयार है ?

श्री गिरधारी लाल--इस विषय में कोई विशेष सुझाव प्राप्त होने पर विचार किया जा सकता है।

* * * * * *

रायबरेली ज़िले में नहरों के रजबहों का निर्माण

*१९--श्री गुप्तार सिंह (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि रायबरेली ज़िले के नहर के माइनर कब तक तैयार हो जावेंगे और उनके साथ पानी के सोते बढ़ाने का भी कोई प्रबन्ध हुआ है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--रायबरेली जिले में बनाई जाने वाली ११८ मील ६ फर्लांग लम्बी नालियों में से अब केवल दो मील बनाना शेष रह गया है। ये नालियां भी इस वर्ष तैयार हो जायेंगी और तब पूर्ण रूप से नियमानुसार नहरों के चलाये जाने पर पर्याप्त जल रहेगा।

*२०--श्री गुप्तार सिंह (अनुपस्थित)--क्या यह सही है कि तहसील डलमऊ के अन्तर्गत मितरी और पहुरी की नहर ने इस साल क़तई पानी नहीं दिया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--मितरी और पहुरी नामक ग्रामों की सिंचाई भगवन्त-नगर नामक रजबहे से होती है। यह रजबहा खरीफ १३५९ फसली में ६९ दिन तथा रबी १३५९ में ६० दिन तक चलता रहा।

* * * * * *

अलीगढ़ ज़िले के हाथरस क्षेत्र में ट्यूबवेल्स तथा ट्यूबवेल्स सड़क का निर्माण

*५७--श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि अलीगढ़ जिले के हाथरस क्षेत्र में कितने ट्यूबवेल बन चुके हैं और अभी कितने बनने और बाकी हैं ? ये कब से चालू हो सकेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--अब तक हाथरस क्षेत्र में ७ नलकूपों का निर्माण हो चुका है और ३१ कुओं पर कार्य चल रहा है। आशा की जाती है कि वह भी ३१ मार्च, १९५३ तक पूरे हो जायेंगे। विद्युत विभाग द्वारा ट्रांसमिशन लाइनों के निर्माण का कार्य समाप्त होते ही कुएं चालू हो जायेंगे। अप्रैल, १९५३, तक विद्युत विभाग का काम भी समाप्त हो जायगा।

नोट--तारांकित प्रश्न ५७-५९ श्री श्री हरदयाल सिंह पिपल ने पूछे।

श्री हरदयाल सिंह पिपल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अलीगढ़ जिले के हाथरस क्षेत्र में जो ट्यूबवेल बनाये गये हैं उनमें अब तक कितना रुपया खर्च हुआ है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इस प्रश्न के लिये थोड़ा नोटिस चाहिये, क्योंकि हिसाब देना होगा।

*५८—श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ (अनुपस्थित)—क्या यह सच है कि इस क्षेत्र में पिछले दो वर्षों से किसानों को किस प्रकार का बिना मुआवजा दिये उनके खेतों में होकर ट्यूबवेल रोड बना दी गई है जिसका लगान भी किसानों को देना पड़ता है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इन सड़कों का निर्माण कार्य लगभग दो वर्ष पहले आरम्भ हुआ था। इस सम्बन्ध में मुआविजे के कागजात भेजे जा चुके हैं और यह आशा की जाती है कि मुआविजे का जल्द ही भुगतान हो जायेगा।

*५९—श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ (अनुपस्थित)—क्या यह सच है कि ट्यूबवेल रोड दो वर्ष पहले से बनी है पर उसका अभी तक कोई उपयोग नहीं किया गया? यदि हां, तो कब से उसका उपयोग होने लगेगा?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी नहीं। इन नलकूपों की सड़कों का निर्माण लगभग दो वर्ष हुए आरम्भ हुआ था। इन सड़कों में से अधिकतर यांत्रिक साज-सामान आदि ले जाने, भू-माप कार्य करने तथा इन नलकूपों की देख-भाल के हेतु प्रयोग में लाई जाती है।

अतारांकित प्रश्न

मध्य श्रेणी के लोगों के लिये गृह निर्माण की योजना

१—श्री देवकी नन्दन विभव (अनुपस्थित)—क्या सरकार ने मध्य श्रेणी के लोगों की गृह समस्या दूर करने के लिए कोई योजना बनायी है?

श्री गिरधारी लाल—सरकार ऐसी योजना बनाने का विचार कर रही है और इसी कारण इस साल के बजट में २५ लाख रुपया रखा गया है।

२-३—श्री उमाशंकर तिवारी (जिला बनारस)—[२७ अगस्त, १९५२ के लिये संख्या ८-९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

मारटीन बर्न लिमिटेड से सम्बध्द बिजली कंपनियों के हिसाब की जांच

४—श्री हेमवती नन्दन बहुगुना (जिला इलाहाबाद)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि उन बिजली कम्पनियों के हिसाब की जांच, जिनके कि मारटीन बर्न लि० मैनेजिंग एजेण्ट हैं, की जाती है?

श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम—जी हां।

बुलन्दशहर-रबूपुरा सड़क की मरम्मत

५—श्री केवल सिंह (जिला बुलन्दशहर)—क्या सरकार को यह मालूम है कि जिला बुलन्दशहर से रबूपुरा जाने वाली पक्की कंकड़ की बनी सड़क के झाझर से

से रबूपुरा तक के अन्त के पांच मील बहुत अधिक खराब हो चुके हैं? यदि हां, तो सरकार उसे इस वर्ष बनवाने का विचार कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

श्री गिरधारी लाल---यह सड़क डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, बुलन्दशहर को वापस करदी गई है। इसलिये इसके निर्माण की जिम्मेदारी बोर्ड की है।

पी० डब्ल्यू० डी० द्वारा दनकौर-रबूपुरा की कच्ची सड़क का निर्माण

६---श्री केवल सिंह---क्या सरकार को यह मालूम है कि पी० डब्ल्यू० डी० ने दनकौर से रबूपुरा जाने वाली कच्ची सात मील सड़क निर्माण करने का विचार किया था? यदि हां, तो उसमें क्या प्रगति हो रही है?

श्री गिरधारी लाल---जी नहीं? प्रश्न का अंतिम भाग उत्पन्न ही नहीं होता।

ककोड़---सिकन्दराबाद सड़क के निर्माण पर व्यय तथा इसकी मरम्मत

७---श्री केवल सिंह---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि ककोड़ से सिकन्दराबाद जाने वाली कच्ची सड़क निर्माण करने में सरकार का कितना रुपया व्यय हुआ? क्या अब उसकी मरम्मत करने का विचार हो रहा है? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

श्री गिरधारी लाल---इस सड़क पर कुल ६६,९४५ रुपया व्यय हो चुका है। उसके मरम्मत करने का कोई प्रश्न नहीं उठता क्योंकि इसे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को लौटा दिया गया है।

बनारस विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों पर लाठी चार्ज के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

अध्यक्ष---मेरे पास आज कई काम रोको प्रस्ताव आये हैं। मैं क्रम से उनको ले लेता हूं। पहला प्रस्ताव है श्री मदन मोहन उपाध्याय जी का और उसके शब्द ये हैं---

"२४ अगस्त, सन् १९५२ को बनारस विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज से जो विशेष परिस्थिति उत्पन्न हो गयी है उसपर विचार करने के लिये विधान सभा अपना आज का कार्यक्रम स्थगित करती है।"

जहां तक इसके महत्व का प्रश्न है, यह महत्वपूर्ण तो है। अब इसकी अर्जेन्सी के विषय में और निश्चित होने के विषय में माननीय उपाध्याय जी प्रकाश डालेंगे।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)---माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव वैसे तो कल आ जाना चाहिये था लेकिन कल देने में मुझे कुछ देर हुई इसलिये हम कल इस पर विचार नहीं कर सके। एक दिन की ही देर हो जाने से जो परिस्थिति बनारस में पैदा हो गयी है और जो वाकयात कल बनारस में फिर हुये, उनको देखते हुये अगर जल्दी ही उस पर रोकथाम न की जायगी, और इस सदन की राय दोनों को, चाहे वे विद्यार्थी हों, चाहे वे पुलिस वाले हों, न मालूम हो जायगी तो परिस्थिति के बिगड़ने का बहुत ज्यादा डर है। इसलिये यह आवश्यक है कि इस पर हम जल्दी से जल्दी विचार कर लें तो इस प्रांत के रहने वाले सभी विद्यार्थी, जो हमारे बच्चे हैं, और पुलिस वाले, जो हमारे भाई हैं, उन सब को इस सदन की और इस सदन के माननीय सदस्यों की राय मालूम हो जायगी। इसलिये यह बहुत अर्जेंट है, और इस पर आज ही विचार होना चाहिये।

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपने कहा, इस विषय के महत्वपूर्ण होने के सम्बन्द में कोई दो रायें नहीं हैं। फिर भी मैं इस कमरोको प्रस्ताव का विरोध करता हूं और दूसरा कारण यह है कि जो कुछ घटना बनारस में हुई उसकी बाबत कुछ खबर अखबारों में आई।

अध्यक्ष—अभी प्रस्ताव पेश नहीं हुआ है मैं तो सिर्फ इसकी अर्जेंसी के बारे में जो माननीय उपाध्याय जी ने बताया उस सम्बन्ध मे जानना चाहता हूं कि उसके विषय में आपको क्या कहना है।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—उसी सम्बन्ध में कहा रहा हूं कि इन घटनाओं के सम्बन्ध में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के सुपुर्द इनक्वायरी कर दी है। वह इनक्वायरी कर रहे हैं। मैं इतना ही और निवेदन कर दूं कि युनिवर्सिटी स्टूडेण्ट्स यूनियन के जो प्रेसीडेन्ट हैं, श्री वीर सिंह विश्नोई, उन्होंने डिस्टिक्ट मैजिस्ट्रेट को लिखे कर दे दिया है कि आप इनक्वायरी कर रहे हैं, यह हमारे लिये संतोष की बात है। हमको अब कोई शिकायत नहीं है। अब अगर शहर के अन्दर कोई वाक्यात हों तो स्टूडेंट्स से उनका कोई सम्बन्ध नहीं होगा। इसलिये कोई विषम परिस्थिति नहीं है जिसके लिये कोई चिन्ता करने की बात हो। अगर कोई लालेस एलमेंट्स (अवैध लोग) होंगे तो उनसे मामूली तरीके पर डील (वर्ताव) कर लिया जायगा। इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि इसकी कोई अर्जेंसी नहीं है और इनक्वायरी के बीच में इस पर बहस करना हर तरह से अनुचित भी होगा। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंन्त्री जी ने कहा कि बनारस हिन्दू युनिवर्सिटी की युनियन के प्रेसीडेंट ने कहा है कि उन्हें कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जो बनारस की हवा है, वह और शहरों में भी फैल रही है। आज के अखबारों से पता चलता है कि लखनऊ में भी कल कुछ गड़बड़ी हो गयी है। तो जिस तरह से कभी बरेली में हालत हो गयी थी, हालांकि पहले वह स्टूडेंट्स और पुलिस के बीच का ही मामला था, लेकिन बाद में वह बढ़ता-बढ़ता उस हालत पर पहुंच गया था, इसलिए मैं चहता हूं कि इस प्रान्त के हमारे ऐडमिनिस्ट्रेशन के ख्याल से अगर जल्दी ही इस पर इस सदन के अन्दर कुछ बहस हो जाय तो मैं समझता हूं कि इससे गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होगा और हमारे विद्यार्थी जिनके नाम पर और लोग घपला कर रहे हैं, विद्यार्थी चाहे न करें लेकिन उसका नाजायज़ फ़ायदा लोग उठा रहे हैं, वह बन्द हो जायगा। इसलिये मैं समझता हूं कि माननीय मंन्त्री महोदय इस पर सहमत होगें कि आज ही इस पर विचार कर लिया जाय।

अध्यक्ष—जहां तक महत्व का सवाल है, यह विषय काफ़ी महत्व का है यह तो सर्व-मान्य है और निश्चित भी है। दूसरी बात यह है कि माननीय गृह मंत्री जी ने जो इसका स्पष्टी-करण किया कि किस हालत में यह मामला है उसके देखते हुये एक दृष्टि से तो अर्जेन्सी नहीं है कि केवल उसी विषय को लेकर अगर विचार किया जाय। लेकिन जैसा माननीय उपाध्याय जी ने कहा कि अर्जेन्सी और दृष्टि से भी हो सकती है और यह विषय चूंकि गम्भीर है और दूसरी जगहों पर भी कई-कई तरह से उठ सकता है, ऐसी अवस्था में मैं समझता हूं कि काफ़ी अर्जेन्सी है। इस दृष्टि से मैं माननीय उपाध्याय जी को यह इजाज़त देता हूं कि सदन की अनुमति प्राप्त करने के लिये वह अपना प्रस्ताव पेश करें।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज की विधान सभा २४ अगस्त, सन् १९५२ ई० को बनारस के विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज से जो परिस्थिति उत्पन्न हो गई है उस पर विचार करने के लिये विधान सभा आज का अपना कार्यक्रम स्थगित करती है। इसकी आज्ञा सदन से मांगता हूं। कृपया सदन इसकी इजाज़त दे कि इस पर विचार किया जा सके।

अध्यक्ष---आपको सिर्फ यह मूव करना है कि सदन इजाजत दे कि इस पर विचार किया जाय क्योंकि नियम ७१ के शब्द यह हैं कि "कार्य-स्थगन के प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिये अनुज्ञा मांगने की रीति प्रश्नों के अनन्तर और कार्य सूची में दिये हुये कार्य के आरम्भ होने से पूर्व अध्यक्ष प्रस्ताव को लेगा और यदि उसका यह विचार है कि प्रस्थापित विषय नियमानुकूल है और नियम ६८ के अंतर्गत वह अपनी सम्मति दे देता है, तो वह सम्बद्ध सदस्य का नाम पुकारेगा जो अपने स्थान पर खड़ा हो जायगा और सदन के स्थगित करने के लिये प्रस्ताव उपस्थित करने की अनुज्ञा मांगेगा।" मैं समझता हूं कि अनुज्ञा आप मांग रहे हैं। अब मैं जानना चाहता हूं कि अनुज्ञा देने के संबंध में किसी को विरोध है। यदि कोई माननीय सदस्य विरोध करना चाहते हों तो कृपया अपना विरोध प्रगट कर सकते हैं।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही निवेदन किया कि मुझे इसका विरोध है और मुख्य कारण यह है कि इसमें कहा गया है कि विद्यार्थियों पर लाठी चार्ज हुआ है और मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी कर रहे हैं कि आया लाठी चार्ज विद्यार्थियों पर हुआ या नहीं और जो झगड़ा हुआ उसमें किसी का दोष है या नहीं। जब तक यह तय न हो कि ऐसी चीज हुई तो बहस किस बात पर करेंगे। इसलिये मैं विरोध करता हूं।

अध्यक्ष---अब चूंकि अनुज्ञा देने के संबंध में सदन में विरोध हुआ है इसलिये जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हों कि इस पर विचार करने की अनुज्ञा दी जाय उनसे मैं प्रार्थना करूंगा कि वह अपने-अपने स्थानों पर खड़े हो जांय।

(३१ सदस्य अपने अपने स्थान पर खड़े हो गये।)

अध्यक्ष---नियम के अनुसार संख्या ३६ होनी चाहिये यानी बारहवां हिस्सा होना चाहिये। क्योंकि कम सदस्य खड़े हुये हैं इसलिये मैं निर्णय देता हूं कि सदन की राय नहीं है कि अनुमति दी जाय।

श्री राम नारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)---मेरा याल है कि इस सम्बन्ध के नियम में तत्कालिक शब्द से जो सदस्य मौजूद हों उनसे मतलब है।

अध्यक्ष---नियम यह है कि कुल सदस्यों की जितनी संख्या हो।

श्री राम नारायण त्रिपाठी---कौन सा नियम है?

एक सदस्य---अब रूलिंग हो चुकी है।

अध्यक्ष---आप नियम पूछ रहे हैं, नियम ७१ का तीसरा हिस्सा देखिये। टोटल नम्बर है उसमें जो वैकेन्सीज होती है उनको नहीं लिया जाता है। अभी दो स्थान रिक्त है। उसके हिसाब से भी पूरे ३६ न भी हों तब भी ३५ तो होने ही चाहिये। इसलिये हर हालत में यह गिर गया।

श्री राज नारायण---(जिला बनारस) आदरणीय स्पीकर महोदय, मैं यह जो ७१ नियम की तीसरी क्लाज है उसको पढ़कर, आप की सेवा में सुनाना चाहता हूं।

अध्यक्ष---मैं उसका फैसला दे चुका हूं अब उस प्रश्न पर विचार की इजाजत नहीं दी जा सकती।

इसके अलावा और कामरोको प्रस्ताव भी हैं। एक प्रस्ताव एक दिन में लिया जा सकता है और चूंकि वह प्रस्ताव अस्वीकार हो चुका है तो सदन दूसरे प्रस्ताव पर विचार कर सकता है।

जौनपुर में करारोपण के विरुद्ध सत्याग्रह के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

अध्यक्ष—जौनपुर में टैक्स के विरोध में सत्याग्रह हो रहा है उसके संबंध में यह काम-रोको प्रस्ताव आया है। वह सत्याग्रह काफी दिनों से हो रहा है और माननीय सदस्य इसको आज लाना चाहते हैं। मैं इसको इस दृष्टि से कि यह इतने दिनों के बाद पेश किया गया है आवश्यक नहीं समझता हूं और अरजेंट भी नहीं है और दूसरे जो, बात इसके अन्दर कही गई है वह निश्चित भी नहीं है। इसलिये मैं इसकी अनुमति नहीं देता।

अलीगढ़ के निर्वाचन में अन्न मंत्री के भाग लेने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

अध्यक्ष—तीसरा काम रोको प्रस्ताव एक और आया है जिसमें माननीय खाद्य मंत्री जो अभी अलीगढ़ गये थे उनके चुनाव में भाग लेने से संबंधित है। उसके सम्बन्ध में भी मैं यह आवश्यक नहीं समझता हूं कि इस संबंध में माननीय सदस्य को काम-रोको प्रस्ताव लाने की अनुमति दी जाय। मैं समझता हूं कि अगर आपत्ति है तो वह प्रस्ताव द्वारा भी पेश कर सकते हैं। इसलिये यह प्रश्न काम-रोको प्रस्ताव द्वारा नहीं आना चाहिये। यह निश्चित भी नहीं है और साथ ही सत्याग्रह केवल इसी कार्य के लिये किया गया है इसका स्पष्टीकरण प्रस्ताव में नहीं है। इसलिये मैं उसके पेश होने की भी इजाजत नहीं देता हूं।

हारकोर्ट बटलर टैक्नालाजिकल इन्स्टीट्यूट् कानपुर की परामर्शदात्री-समिति के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिये विधान सभा के एक सदस्य के निर्वाचन का प्रस्ताव

उद्योग मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन, जो विधि तथा जो तिथि माननीय अध्यक्ष निश्चित करें उसके अनुसार, श्री राजाराम के त्यागपत्र दे देने के कारण हारकोर्ट बटलर टैक्नालाजिकल इन्स्टीट्यूट, कानपुर की परामर्शदात्री समिति के रिक्त हुये स्थान की पूर्ति के लिये एक सदस्य निर्वाचित करे।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि यह सदन, जो विधि तथा जो तिथि माननीय अध्यक्ष निश्चित करें उसके अनुसार, श्री राजाराम के त्यागपत्र दे देने के कारण हारकोर्ट बटलर टैक्नालाजिकल इन्स्टीट्यूट, कानपुर की परामर्शदात्री समिति के रिक्त हुये स्थान की पूर्ति के लिये एक सदस्य निर्वाचित करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

आगरा विश्वविद्यालय की सिनेट के लिये विधान सभा के चार सदस्य निर्वाचित करने का प्रस्ताव

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)—मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जो विधि तथा जो तिथि माननीय अध्यक्ष निश्चित करें उसके अनुसार, आगरा विश्वविद्यालय की सिनेट के लिये ४ सदस्य निर्वाचित करे।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि यह सदन जो विधि तथा जो तिथि माननीय अध्यक्ष निश्चित करें उसके अनुसार, आगरा विश्वविद्यालय की सिनेट के लिये ४ सदस्य निर्वाचित करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

हारकोर्ट बटलर टैक्नालाजिकल इंस्टीट्यूट, कानपुर की परामर्शदात्री-समिति तथा आगरा विश्वविद्यालय की सिनेट के लिये विधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन का कार्यक्रम

अध्यक्ष---यह दोनों प्रस्ताव जो अभी स्वीकृत हुये उनके अनुसार मुझे यह अधिकार दिया गया है कि जो विधि तथा जो तिथि मैं निश्चित करूं उसके अनुसार यह निर्वाचन होंगे। मैंने यह कार्यक्रम इस निर्वाचन के लिये निश्चित किया है।

नामनिर्देशन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तथा समय, २९ अगस्त को १ बजे दिन तक।

नामनिर्देशन पत्र की सूक्ष्म परीक्षा ३० अगस्त को १ बजे तक। नाम वापस लेने की तिथि तथा समय २ सितम्बर को ३ बजे तक। निर्वाचन की तिथि, स्थान और समय यदि आवश्यकता हो तो ५ सितम्बर को ४ बजे सभामंडप में।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली में प्रस्तावित संशोधनों पर विचार (क्रमागत)

अध्यक्ष---अब ९ जुलाई, १९५२ ई० को मेज पर रखी गई १९५२ ई० की उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली में प्रस्तावित संशोधनों पर विचार जारी होगा।

राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)---अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन भवन के सामने कुंवर सुरेश प्रकाश सिंह ने पेश किया है मैं उस के समर्थन के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं उस नियम को आपकी आज्ञा से पढ़ना चाहता हूं। यह नियम २५१ इस प्रकार है :-

"यदि कोई तहसीलदार किसी बाक़ीदार को गिरफ्तार कराये तो उसके लिये यह आवश्यक होगा कि वह कलेक्टर या परगना अधिकारी असिस्टेंट कलेक्टर को इस तथ्य की प्रसूचना अविलम्ब दे दे।

(२) गिरफ्तारी के बाद बाकीदार शीघ्र ही अधिपत्र जारी करने वाले अधिकारी के सामने लया जायगा।"

श्रीमान्, मेरा संशोधन इस प्रकार है कि २४ घंटे के भीतर उसको अफसर के सामने पेश कर दिया जाय। इससे मेरा अभिप्राय यह है कि तहसील का स्टाफ़ और कर्मचारी उसको परेशान करने के लिये कई दिन घुमावेंगे और तब अफ़सर के सामने पेश करेंगे। इसलिये यह निर्दिष्ट कर दिया जाय कि २४ घंटे के अन्दर उसको पेश कर दिया जाय। मैं आपके द्वारा बतलाना चाहता हूं कि अब भी जो मुक़दमे होते हैं उनमें भी परेशान करने के लिये कई दिन तक घुमाया जाता है। आप का मतलब तो यही है कि वह जल्द से जल्द उस अफसर के सामने पहुंच जांय जिसके सामने जा कर या तो वह फौरन रुपया दे दे और अगर न मिल सके तो उसको परेशान करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे खयाल में २४ घंटा रखने से सरकार को कोई परेशानी न होगी। अफसरों को मुमकिन है कि कोई खास वजह पड़ जाय, बरसात हो गई, कोई सड़क टूट गई या कोई वजह हो गई तो वह कारण वह बतला सकते हैं और उनकी वजह से कोई कार्यवाही भी न हो सकेगी। इस के रखने से किसी ऐसी चीज के होने की संभावना नहीं रहेगी और सरकार को भी इस में कोई आपत्ति न होनी चाहिये। इसके मान लेने से हमारा जो भय है वह दूर हो जायगा और किसी को परेशानी न होगी। इसलिये मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह (जिला सीतापुर)---मेरे संशोधन का विरोध करते हुये माननीय राजस्व मंत्री जी ने जो २४ घंटे में पेश करने में दिक्कत बतलाई मैं उनको सुनने के बाद

उनसे सहमत हूं। मेरी ही कंस्टीट्यूऐंसी में किसी क्षेत्र में ऐसा हो सकता है कि बरसात में २४ घंटे के अन्दर पेश न किया जा सके। परन्तु प्रश्न और हैं। जब वह तहसील पहुंच जाय तो उसके बाद उसे २४ घंटे में जरूर पेश कर दिया जाय और दूसरे यह कि जब वह गिरफ्तार हो और पेश किया जाय तो यदि इन दोनों के बीच में आवश्यकता से अधिक देर हो तो उसें तहसीलदार या मैजिस्ट्रेट जरूर देख ले कि यह क्यों हुई। यदि माननीय राजस्व मंत्री हमें कुछ ऐसा आश्वासन दें कि एग्जीक्यूटिव आर्डर्स द्वारा ऐसा कर दिया जायगा तो मैं अपना संशोधन वापस लेने की आपसे आज्ञा चाहूंगा।

मालमंत्री (श्री चरण सिंह)—अध्यक्ष महोदय, सरकार को इस सुझाव को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है? कि ऐसी हिदायतें जारी कर दी जावेंगी।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री चरण सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि नियम २८७ में जहां कहीं शब्द "सुपरवाइजर कानूनगो" आया है उसके स्थान पर शब्द "नायब तहसीलदार" लिखा जाय और इसी नियम के उपनियम (१) के प्रथम वाक्य में शब्द "नायब तहसीलदार द्वारा" निकाल दिया जाय और उसी वाक्य में शब्द "कृषि वर्ष में एक बार" के स्थान पर शब्द "फसल में एक बार" लिखे जावें। मैं समझता हूं कि इसकी ताईद में कुछ कहने की जरूरत नहीं है और भवन इसे स्वीकार करेगा।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि नियम २८७ में जहां कहीं शब्द "सुपरवाइजर कानूनगो" आया है उसके स्थान पर शब्द "नायब तहसीलदार" लिखा जाय और इसी नियम के उपनियम (१) के प्रथम वाक्य में शब्द "नायब तहसीलदार द्वारा" निकाल दिया जाय और उसी वाक्य में शब्द "कृषि वर्ष में एक बार" के स्थान पर शब्द "फसल में एक बार" लिखे जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री चरण सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि नियम २८८ निकाल दिया जाय।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि नियम २८८ निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री चरण सिंह—मैं प्रस्ताव करता हूं कि नियम २८९ के उपनियम (१) में शब्द "पटवारी" के स्थान पर शब्द "अमीन" लिखा जाय और प्रथम वाक्य से शब्द "सुपरवाइजर कानूनगो और" निकाल दिये जायं।

अध्यक्ष—कल संशोधन द्वारा राजस्व मंत्री जी ने "पटवारी" की जगह "अमीन" शब्द कर दिया था।

श्री चरण सिंह—जी हां, २८९,९० और ९१ हैं। तो उसमें सिर्फ यह रह जायगा कि "सुपरवाइजर कानूनगो" और निकाल दिये जायं।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि नियम २८९ के उपनियम (१) के प्रथम वाक्य से शब्द "सुपरवाइजर कानूनगो और" निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

राजा वीरेन्द्र शाह--अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं "नियम ३०४ के उपनियम (ङ) की पंक्ति २ के शब्द "गांव पंचायत के" बाद शब्द "के प्रधान और वह सदस्य जो वसूली करने में सहायता करते हों बढ़ा" दिये जायं ।

श्रीमान्, यह मेरा संशोधन इसलिये है कि जो पंच लोग इस कार्य को करते हों और प्रधान इसके जिम्मेदार होने चाहियें। सबको जिम्मेदार ठहराना अन्याय होगा। मेरा संशोधन बहुत सीधा है और मैं आशा करता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री जी इसे स्वीकार करेंगे ।

श्री चरण सिंह--इसमें मुझे यह अर्ज करना है कि वह शख्स जो गांव पंचायत का प्रधान या सभापति है गांव की तरफ से काम करते हुये उससे अगर गल्ती से रुपया खो जाय और वह जाती तौर से जिम्मेदार ठहराया जाय तो कोई भी गांव पंचायत का सभापति या प्रधान इसके लिये राजी न होगा कि यह काम गांव पंचायत के सुपुर्द किया जाय। गवर्नमेंट में भी अगर किसी अफसर से गलती हो जाती है जिसमें इंटीग्रिटी वगैरह का कोई सवाल नहीं होता, अगर गलती से रुपया खो जाता है तो वह गवर्नमेंट के ही जिम्मे पड़ता है। लेकिन अगर कोई बेइमानी करता है तो फिर तो उसकी क्रिमिनल लाईबिलिटी (अपराधिक दयित्व) हो जाती है। उसके ऊपर फौजदारी का मुकद्दमा भी चलता है। खोने के मानी यह हैं कि गलती से खो जाय। लेकिन अगर खोने की जिम्मेदारी पंचायत के प्रधान पर डाली जायगी तो मुश्किल से ही कोई आदमी सभापति पद के लिये तैयार होगा अगर कोई खड़ा भी होगा तो अपनी पंचायत के लिये वह इस जिम्मेदारी को लेने के लिये तैयार नहीं होगा, क्योंकि वह समझेगा कि खोने पर इसकी जाती जिम्मेदारी हो जायगी। मेहनत वह करेगा, जिम्मेदारी उसकी होगी और फायदा अगर कुछ होगा तो वह पंचायत को होगा। इसलिये मेरे ख़याल से जाती जिम्मेदारी ऐसी हालत में रखना न्याय के अनुकूल न होगा। इसलिये इस पर राजा साहब विचार कर लें और उसको वापस ले लेना ही मुनासिब होगा ।

राजा वीरेन्द्र शाह--अध्यक्ष महोदय, आपके जरिये से मैं यह बता देना चाहता हूं कि नियम में यह लिखा हुआ है कि यदि रकम खो जाय तो गांव पंचायत उसकी उत्तरदायी होगी यानी पूरी पंचायत से वह रकम वसूल होगी यानी पूरे पंचो से। यहां शब्द गांव पंचायत है, गांव सभा नहीं है। इसलिये जो इस कार्य को करते हैं उनसे ही क्यों न वसूल किया जाय जोइस कार्य को नहीं करते हैं, उनके ऊपर क्यों जिम्मेदारी डाली जाती है। लेकिन अगर सरकार समझती है कि ऐसा भय नहीं तो मैं इसको वापस लेने में कोई भय नहीं समझता ।

अध्यक्ष--पंचायत के मेम्बरों की जिम्मेदारी का सवाल नहीं है। इसमें व्यक्तिगत कोई सवाल नहीं है।

राजा वीरेन्द्र शाह--लेकिन गांव पंचायत के मानी गांव सभा के नहीं होते।

श्री चरण सिंह--गांव पंचायत, गांव सभा की एक कार्यकारिणी कमेटी है। गांव-पंचायत के जो पंच होते हैं वे गांव सभा की ओर से ही काम करते हैं। यही ऐक्ट में भी दिया हुआ है कि गांव सभा के सारे फंक्शन (कार्य) गांव पंचायत ही संपादित करेगी।

राजा वीरेन्द्र शाह--तो मैं इसको वापस लिये लेता हूं ।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)---माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि नियम ३१७ में से निम्नांकित शब्द निकाल दिये जायं---

"सीरदारों की स्थिति में ऐसे मूल्यांकन की दसगुना धनराशि" और उसके स्थान पर निम्नांकित जोड़ दिया जाय--

"सीरदारों की स्थिति में ऐसे मूल्यांकन की १२ १/२ गुना धनराशि।"

अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्व मंत्री जी की गम्भीरता में विश्वास करता हूं और मैं समझता हूं कि अगर वे इसके ऊपर फिर से गौर करेंगे तो जरूर इस बात को समझेंगे कि सरकार की ओर से और अच्छे अच्छे नेताओं की ओर से प्रचार किया गया है कि भूमिधरी अधिकार बहुत मुफीद है, बहुत फायदेमन्द है। उसके गुणों की बहुत प्रशंसा की गयी है और किसानों ने जान तोड़ कर लगान का दस गुना जमा किया है। भरसक कोई किसान बाकी नहीं रह गया है जिसने रुपया जमा नहीं किया हो। लेकिन कुछ किसान बाकी रह गये हैं जो दसगुना लगान जमा नहीं कर सके हैं। यह बात नहीं है कि उन्होंने उस प्रचार का कि "यह बहुत मुफीद है" विश्वास नहीं किया है, बल्कि उनको यह मालूम होते हुये भी कि यह बहुत फायदेमन्द है फिर भी वे पैसे जमा नहीं कर सके। उनकी परेशानियाँ थीं, उनकी दिक्कतें थीं जिनकी वजह से दस गुना लगान जमा नहीं कर सके। तो इस नियम में आज जो संशोधन होने जा रहा है कि उनको दसगुना मुआविजा मिलेगा, मैं समझता हूं कि यह उनके ऊपर एक बड़ा भारी जुर्म है। मैं आपको यह बतला दूं कि वे गरीबी की वजह से रुपया नहीं जमा कर सके। जब भूमिधरों को २५ गुना दिया जा रहा है तो यदि आप न्याय के तराजू पर तौलेंगे तो सीरदारों को साढ़े बारह गुना जरूर देना चाहिये। इस में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिये। अगर आप उनको साढ़े बारह गुना नहीं देते हैं तो साफ मालूम होता है कि आप उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं कि उन्होंने जैसे जान बूझ कर जमा नहीं किया है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि उन्होंने जान बूझकर नहीं बल्कि अपनी मजबूरियों की वजह से जमा नहीं किया है। मैं समझता हूं कि आप उनकी मजबूरियों से नाजायज लाभ न उठावें और उनको नुक़सान न पहुंचावें।

मैं राजस्व मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि अगर वे इस नियम पर विचार करेंगे तो देखेंगे कि दसगुना की जगह पर साढ़े बारह गुना उनको जरूर देना चाहिये, क्योंकि वे जो गरीबी में फंसे हुये हैं अपनी गरीबी की वजह से नहीं जमा कर सके। इसलिये अगर उनके साथ कोई रिआयत नहीं होती है तो न्याय जरूर होना चाहिये। अगर आप न्याय की तरफ ध्यान देंगे तो साढ़े बारह गुना उनका हक होता है, इसलिये उनको साढ़े बारह गुना मुआविजा जरूर मिलना चाहिये। मैं राजस्व मंत्री जी से फिर प्रार्थना करता हूं कि वे इस पर फिर से गौर करके मेरे संशोधन को जरूर ऐक्सेप्ट (स्वीकार) कर लेंगे।

श्री चरण सिंह---माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी आशय का एक संशोधन पहले इस सदन के सामने आया था जिसको सदन ने अस्वीकार कर दिया और जो युक्तियां मैं न उस समय दी थीं वे युक्तियां इस समय भी बरक़रार हैं। उनकी वैलिडिटी (वैधता) में कोई अन्तर नहीं आया है। यदि माननीय सदस्य, जिन्होंने यह संशोधन पेश किया है, उनकी बात सही है तो साढ़े बारह गुना क्यों, फिर पन्द्रह गुना होना चाहिये। क्योंकि उनका कहना यह है कि सीरदार और भूमिधर में कोई फर्क होना ही नहीं चाहिये। जब भूमिधर की जायदाद का हम मूल्यांकन जो लगान वह भूमिधर बनने से पहले देता था उसका २५ गुना कर रहे हैं तो उसने अपने लगान का केवल दस गुना ही दिया है तो २५ में से १० घटा कर, अगर सीरदार ही रहता है तो उसकी जायदाद की कीमत पन्द्रह गुनी होनी चाहिये आज के लगान के मुताबिक। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आप २५ का आधा, साढ़े बारह क्यों कर रहे हैं। सीरदार दसगुना देता है तो भूमिधर हो कर उसका लगान आधा हो जाता है। लेकिन हर जगह आधे से क्या मतलब हुआ? प्रांतीय सरकार की तो दलील यह है कि कोई अन्तर नहीं होना चाहिये, अंतर सिर्फ इतना होना चाहिये जितना दस गुना लगान उन्होंने दिया। उनकी युक्ति के अनुसार तो १५ गुना ठीक बैठता है। इस प्रकार सीरदार

[श्री चरण सिंह]

की, हम दसगुना कीमत उसकी जायदाद की लगा रहे हैं। तो दस और दस बीस गुना हुआ। बीस गुने के बजाय हम २५ गुना कर रहे हैं। पांच गुना और, जो उसका हस्तान्तरण का अधिकार है या और भी जो अधिकार हैं, उन सब की एवज में लगान का हम पांच गुना सिर्फ रखते हैं, जबकि दरअसल लगान के सौ गुना तक उसकी कीमत है। कोई सीरदार जरूरत पड़ने पर अपनी जमींन को बै नहीं कर सकता है, वसीयत नहीं कर सकता है, हिबा नहीं कर सकता है, और आड़ भी नहीं कर सकता है यानी बिला दखली रेहन भी नहीं कर सकता है और अपनी जमीन का गैर जराअती इस्तेमाल भी नहीं कर सकता है, खेती के अलावा किसी दूसरे काम में उसको नहीं ला सकता है। उसकी मालगुजारी भी आधी हो जाती है। तो सीरदार की अपेक्षा उसके अधिकार बहुत बढ़े-चढ़े हैं। एक प्रकार से यह भूमिधर के साथ अन्याय है। सीरदार के साथ कोई अन्याय नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री उमाशंकर——माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंत्री भूमिधर की मालगुजारी का २५ गुना देते हैं इसलिये मैंने कहा कि जब भूमिधर ने दसगुना दे कर आधा करा लिया है। सीरदार दस गुना नहीं दे सका है, अगर वह दे सकता तो २५ गुना उसको भी मिलता। इसलिये २५ गुने का आधा होना चाहिये।

आपने बताया है कि भूमिधर के बहुत अधिकार है और सीरदार को कोई अधिकार नहीं है। मैं व्यवहार में इस अधिकार को कुछ नहीं मानता हूं। भूमिधर भी अगर उसकी जमीन सवा आठ एकड़ से कम है तो उसको नहीं बेच सकता है, वह भी दखली रेहन नहीं कर सकता है, व्यवहार में देखें तो सीरदार और भूमिधर में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। कच्चा मकान तो सीरदार भी बना सकता है मवेशियों के लिये, क्या देहात में लोग पक्का मकान बनाते हैं? ये सब दलीलें कागज की हैं। व्यवहार में यह दलीलें कोई अर्थ नहीं रखतीं। व्यवहार में दोनों एकसां हैं। फिर यह भाई-भाई का बंटवारा है। आप उस भाई को मुआविजा देने जा रहे हैं, जिसका हिस्सा रहा है, अब उसको बिदा कर रहे हैं चलते वक्त उसको जितना इस नियम के द्वारा दे देंगे वही उसके पास जायगा। इस कानून के जरिये आप उसको उजाड़ रहे हैं, होना तो यह चाहिये कि चलते वक्त उसके साथ आप रिआयत करें। लेकिन अगर आपने रिआयत नहीं किया तो न्याय तो उनके साथ कीजिये। मेरी यही अपील रही है। मैं इसको फिर दोहराता हूं और चाहता हूं कि हाउस इस पर फिर गौर करे।

श्री चरण सिंह——मैं कुछ कहना अनावश्यक नहीं समझता हूं मेरी मुखालिफत अभी कायम है।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि नियम ३१७ में से निम्नांकित शब्द निकाल दिये जायं——

"सीरदारों की स्थिति में ऐसे मूल्यांकन की दसगुना धनराशि" और उसके स्थान पर निम्नांकित जोड़ दिया जाय——

"सीरदारों की स्थिति में ऐसे मूल्यांकन की १२ १/२ गुना धनराशि।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री चरण सिंह——मैं प्रस्ताव करता हूं कि नियम ३१८ के उपनियम (३) की दूसरा पंक्ति में शब्द "फार्म के भूमिधर सदस्य" निकाल दिये जायं और उनके स्थान पर शब्द "भूमिधर और फार्म" रख दिये जायं।

अधिनियम की धारा ३०९ में यह अधिकार दिया गया है कि जो भूमिधर फार्म का मेम्बर बन जाय तो फार्म की रजामन्दी से वह अपनी सम्पत्तिका डिस्पोजीशन (हस्तांतरण) कर सकता है, बेच सकता है या और किसी प्रकार डिस्पोजीशन कर सकता है। तो उसके लिये नियम बना है

कि पहले फार्म उस जमीन को लेगा और उनमें, भूमिधर में एक ओर, और फर्म दूसरी ओर उनमें बात-चीत चलेगी उसकी जायदाद और सम्पत्ति की कीमत की बाबत । तो जैसे यह नियम इसमें छपा हुआ, है उसमें यह लिखा है कि यदि सहकारी फार्म में भूमि मोल लेना चाहे तो उस भूमि को उसी मूल्य पर लेने का अधिकार होगा जिसे फार्म के भूमिधर सदस्य आपस में तय कर लें । मंशा यह नहीं था कि "जिसे भूमिधर और फार्म आपस में तय कर लें ।" तो यह मिसप्रिंट (छापे की गलती) हो गयी । तो छापे की ग़लती को दूर करने के लिये मैंने संशोधन पेश किया है ।

अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि नियम ३१८ के उपनियम (३) की दूसरी पंक्ति में शब्द "फार्म के भूमिधर सदस्य" निकाल दिये जायं और उनके स्थान पर शब्द "भूमिधर और फार्म" रख दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अवधेश प्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)---माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं निम्नलिखित संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं---

"नियम ३३१ की सातवीं पंक्ति में शब्द "अधिक" के स्थान पर शब्द "कम" रख दिया जाय ।"

मैं आपकी आज्ञा से ३३१ नियम पढ़ रहा हूं । "धारा ३०५ के अधीन प्रतिकर के भुगतान के लिये किसी सहकारी फार्म के प्रार्थना-पत्र देने पर राज्य सरकार उसे पिछले बन्दोबस्त या रोस्टर कार्यवाहियों के समय स्वीकृत मौरूसी दरों के आधार पर फार्म के मूल्य की दुगनी धनराशि तक ऋण अग्रिम के रूप में दे सकती है । यह ऋण चार वर्षों में समान धनराशि की आठ किस्तों में चुकाया जा सकेगा । इस धन पर प्रतिवर्ष लिये जाने वाले ब्याज की दर ऋण दिये जाने के समय की बैंक की दर से १ प्रति सैकड़ा अधिक होगी । फार्म की भूमि जमानत के रूप में दी जायगी । फार्म की ओर से जमानत का लेख-पत्र फार्म के सभापति द्वारा निष्पादित किया जायगा ।"

माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां पर रेट आफ इंटेरेस्ट का जिक्र है कि ऋण दिया जायगा कोआपरेटिव फार्म को, तो नियम में यह है कि १ प्रति सैकड़ा अधिक होना चाहिये । मैं अपने संशोधन द्वारा आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि एक प्रतिशत कम कर दिया जाय । इसके पूर्व कि मैं कुछ और कहूं, इसी के सिलसिले में मैं जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा ३१६ पर श्रीमान् के द्वारा ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं । क्या इजाजत है कि मैं अंग्रेजी में पढ़ूं या हिन्दी में मांग लूं ।

अध्यक्ष---पढ़िये ।

श्री अवधेश प्रताप सिंह---

"(1) A co-operative farm shall be entitled to such concessions and facilities as may be prescribed :

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing provision, the concessions and facilities may include—

(*a*) reduction of land revenue,

(*b*) reduction of or exemption from agricultural income-tax,

(*c*) free technical advice from experts employed by the Government,

(*d*) financial aid and grant of subsidy and loans with or without interest,

[श्री अवधेश प्रताप सिंह]

(*e*) admission to land by the Gaon Sabha, and

(*f*) priority in irrigation from State irrigation works.

Without prejudice to the generality of the foregoing provision, the concessions and facilities may include ..... loans with or without interest."

[(१) सहकारी फार्म को ऐसी रिआयतें और सुविधाएँ जो नियत की जायं, पाने का अधिकार होगा।

(२) पूर्वोक्त निदेशों की व्याप्ति को बाधित न करते हुए, रिआयतों और सुविधाओं के अन्तर्गत निम्न लिखित होंगे--

(क) मालगुजारी में कमी,

(ख) कृषि आयकर में कमी या उससे मुक्ति,

(ग) सरकार द्वारा नियुक्त विशेषज्ञों से निःशुल्क वैशेषिक परामर्श,

(घ) ब्याज पर या बिना ब्याज के वित्तीय सहायता, सहायक अनुदान तथा ऋण,

(ङ) गाँव सभा से काश्तकारी पर भूमि पाना, और

(च) सिंचाई के सरकारी साधनों से सिंचाई के विषय में प्रथमता।

पूर्वोक्त उपबन्ध कि व्यक्ति को बाधित न करते हुए रियायतों और सुविधाओं के अन्तर्गत . . . . ब्याज सहित या ब्याज रहित ऋण आ सकते हैं।]

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पढ़ने का अभिप्राय यह था कि आप यह देख सकते हैं कि हमारी सरकार की जो इच्छा थी वह यह थी कि इन सहकारी फार्मों को जिस प्रकार से हो सके अधिक से अधिक प्रोत्साहन दिया जाय और यह महज नीति ही न थी बल्कि इस इच्छा को कार्यान्वित करने के लिये इस ऐक्ट में प्राविजन भी किया गया। और यही न समझें लोग कि सरकार महज यों ही चाहती है बल्कि कांग्रेस के घोषणा-पत्र में देखा जा सकता है कि सहकारी फार्म एक उद्देश्य था एक लक्ष्य था, जिस पर आप ने जनता से वोट मांगे और जनता द्वारा आप विजयी हुये। आप सहूलियतें देते रहे लेकिन दुर्भाग्यवश नियम बनाते समय आपने यह रखा कि एक प्रति सैकड़ा बैंकिंग रेट से अधिक लिया जाय, यह असंगत है और इसमें विरोधाभास है। मैं कोई चीज दोहराना नहीं चाहता। मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के घोषणापत्र में में जो था और इस ऐक्ट में जिस का प्राविजन किया गया था कि देश में कोआपरेटिव फार्मिंग के लिये जितना अधिक प्रोत्साहन दिया जाय उतना ही अच्छा है, उसको अग्रसर पूर्ण और सफलीभूत बनाने के लिये यह परमावश्यक है कि जहां तक सहायता और पक्षपात इसके प्रति किया जाय उतना ही हितकर और लाभप्रद हम लोगों के लिये यह सिद्ध होगा। इन शब्दों के साथ मैं यह चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय ने जो यह असंगत नियम बनाया है इसको न बना करके या तो एक प्रति सैकड़ा कम कर दें या अगर यह संभव न हो तो बैंक रेट ही स्वीकार कर लें। आपका उद्देश्य और लक्ष्य यह था कि आप हमको हर प्रकार की सुविधाएं इस सम्बन्ध में दें और फिर कोई नियम अधिनियम के विरुद्ध नहीं हो सकता है। लेजिस्लेजर का जो परपज था वह वैसा नहीं था जैसा कि आपने नियम बनाया है। लेजिस्लेचर के इरादे के खिलाफ यह नियम बनाया गया है। इन शब्दों के साथ मैं अपने संशोधन को उपस्थित करता हूं।

श्री चरण सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि इसमें लफ्ज यह लिखा हुआ है कि बैंक रेट से एक फीसदी ज्यादा होगा, तो इसका मतलब यह तो नहीं है कि सूद बहुत ज्यादा होगा, माननीय सदस्य ने जो सेक्शन पढ़कर सुनाया है उसमें केवल इतना ही है: यानी हो सकता है कि अगर गवर्नमेंट की आर्थिक स्थिति इजाजत देती हो और फार्म कामयाबी के साथ चल रहा हो या अगर उसको बिना सूद का कर्जा न मिले और फार्म के फेल हो जाने की आशंका हो, तो गवर्नमेंट चाहे तो बिना सूद का भी कर्जा दे सकती है। गोया इतना है कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो इस नियम से कोई रुकावट नहीं होती है लेकिन यह जो नियम है ३३१, इसको जरा और गौर से पढ़ें तो इसमें यह है कि जब वह सीरदारों और भूमिधरों की जमीन लेना चाहे और प्रतिकर देने के लिये उसको कर्जे की जरूरत हो यानी अपना रकबा बढ़ाना चाहता हो, यह नहीं कि अपना रोजाना

का काम चलाने के लिये या उन्होंने कोई स्कीम या योजना चलाई हो उसके खर्च के लिये या फार्म की तरक्की के लिये बल्कि यह है कि कोई जायदाद जब वह लेना चाहते हों या लेंगे तो उसके लिये जो प्रतिकर देना पड़ेगा जो कम्पेंसेशन देना पड़ेगा एक तो कम्पेंसेशन ही हमने कम रखा है तो इसके लिये जब क़र्ज़ा वे चाहें तो बैंक रेट से एक फ़ीसदी उसकी शरह ज्यादा होगी । बैंक रेट वैसे ही बहुत कम होता है, उससे एक फ़ी सदी ज्यादा से मतलब यह हुआ कि ३ या ४ फीसदी । आमतौर से बैंक रेट दो, ढाई या तीन फ़ीसदी रहता है । वैसे अगर वे बाज़ार में क़र्ज़ा लेना चाहें तो १२ फ़ीसदी, ९ फ़ीसदी, ८ फ़ीसदी सूद देना पड़ेगा । ८ फ़ीसदी से बिलकुल कम नहीं मिलता । तो जो यह बैंक रेट से एक फ़ीसदी ज्यादा रखा गया है यह तो स्पेसिफ़ाई (उल्लेखन) करने के लिये रखा गया है कि किस शरह पर रहेगा। वैसे हम यह कर सकते थे कि पांच फ़ीसदी पर देंगे, लेकिन यह करना हमने मुनासिब नहीं समझा । हमने तो यह रखा कि बैंक रेट जो हो उस से एक फ़ीसदी ज्यादा । एक फ़ीसदी ज्यादा हो कर भी जो बाज़ार में ब्याज की शरह है उस से कहीं कम रहता है । इन शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हूं ।

श्री अवधेश प्रताप सिंह---माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने अभी यह फ़रमाया कि हमको यह अधिकार है कि हम ऋण या तो सूद पर दें या बग़ैर सूद के। यह ठीक है । पर प्रश्न तो यह है कि जो सूद लेंगे वह बैंक रेट से एक फ़ीसदी अधिक क्यों मांग रहे हैं । क्या मुनाफाखोरी का काम गवर्नमेंट के सुपुर्द है ? क्या गवर्नमेंट भी दूसरा शाईलाक बन कर रहना चाहती है ? एक तरफ़ तो आप हम लोगों को प्रोत्साहन देते हैं और रिआयतें करना चाहते हैं मगर जब आप नियम बनाते हैं तब आप यह फ़रमाते हैं कि बनियों के यहां या दूसरी जगह अगर हम जाते हैं तो १२ फ़ीसदी और ८ फ़ीसदी सूद देना पड़ता है। मैं कहता हूं कि वह तो एक दूसरी परिस्थिति है और यह एक दूसरी परिस्थिति है । सवाल कुछ है, जवाब कुछ है । इसलिये मैं आप के द्वारा उनको बता देना चाहता हूं कि जो मैं कह रहा हूं उस पर वह ध्यान दें और बैंक रेट आफ़ इंट्रेस्ट रख दें। इस पर भी मैं तैयार हूं। कम न करें । मगर इस मुनाफ़ाख़ोरी से तो यह मालूम होता है कि आप दूसरे शाइलाक बनना चाहते हैं कि एक फ़ीसदी और ले लें। यह कहां तक उचित है, यह आप स्वयं विचार कर लीजिये।

श्री चरण सिंह---मैं तो शाइलाक अपने आपको मानने से इन्कार करता हूं। ब्याज की शरह कोई ज्यादा तो नहीं है ।

अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि नियम ३३१ की ७ वीं पंक्ति में शब्द "अधिक" के स्थान पर शब्द "कम" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री सुरेश प्रकाश सिंह---मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि वर्तमान नियम ३३७ के स्थान पर निम्नलिखित नया नियम ३३७ रख दिया जाय---

"३३७---अधिनियम या इस नियमावली के अनुसार रक्खे जाने वाले सब लेखों (Documents), विवरणों और रजिस्टरों का निरीक्षण, किसी भी कार्य दिवस (working day) पर किसी भी सम्बंधित मध्यवर्ती या ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे उसने इस सम्बन्ध में अधिकार दिया हो, बिना कोई शुल्क दिये, किया जा सकेगा और इसी प्रकार बिना कोई शुल्क दिये वह किसी ऐसे लेख्य, विवरण या रजिस्टर या उसके किसी अंश की प्रतिलिपि प्राप्त करने का अधिकारी होगा।"

श्रीमन्, इस संशोधन के विषय में मैं आपके द्वारा माननीय राजस्व मंत्री से केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि यह संशोधन मैंने भेज दिया था और छप भी गया है परन्तु इसमें मैं जोर

[श्री सुरेश प्रकाश सिंह]

केवल इतने लफ्जों पर देता हूं "या ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे उसने इस सम्बन्ध में अधिकार दिया हो" श्रीमन्, नियम ३३७ में मध्यवर्ती को अधिकार दिया है कि जो नकशे वग़ैरह तैयार किये जायंगे उनको वह देख सकता है और शुल्क वगैरह दे कर हासिल कर सकता है । इसमें मध्यवर्ती है । यदि वह अपने किसी रिप्रेजेन्टेटिव को भेजना चाहे तो उसका प्रावीजन नहीं है । वैसे मेरे संशोधन में तो यह भी है कि शुल्क न लिया जाय परन्तु यदि वह इसको मानने के लिये तैयार हों कि मध्यवर्ती या कोई भी उसका आथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव उनको ले सकता है और वह कोई ऐसा इन्तजाम कर सके जिसमें यह चीज आ जाय तो मैं अपने संशोधन को वापस ले लूंगा ।

श्री चरण सिंह---जहां तक शुल्क की बात चीत है कि बिना शुल्क दिये नकशे वग़ैरह ले सकें उस के लिये तो मैं तैयार नहीं हूं और मालूम होता है कि माननीय सदस्य भी इसके लिये प्रेस नहीं कर रहे हैं । जहां तक यह है कि उसका कोई एजेंट नक़शे वग़ैरह को देख सके वह ठीक है ।

अध्यक्ष---मध्यवर्ती से क्या मतलब है । आपका जो ओरीजनल रूल (प्रथम नियम) है उस में तो मध्यवर्ती नहीं है ।

श्री चरण सिंह---जी हां, नहीं है । आप केवल दो तब्दीली करना चाहते हैं । पहली तो बिला शुल्क के नकशे वगैरह ले सकें और दूसरी यह कि ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे उसने अधिकार दिया हो । एक आशय को तो वह प्रेस नहीं करना चाहते हैं । दूसरा मुझे स्वीकार है और यह अल्फ़ाज में बढ़ाने के लिये तैयार हूं । अध्यक्ष महोदय, मुझे डर है कि आप का जो संशोधन है उस प्रकार से वह स्वीकृत नहीं हो सकता है, क्योंकि वह इंकम्पलीट (अपूर्ण) है और ३३७ नियम मुकम्मल है । बाकी आपका जो आशय था उसको स्वीकार करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं थी । यदि आप इजाजत दें तो इस आशय का संशोधन मैं पेश कर दूं या माननीय सदस्य पेश कर दें ।

अध्यक्ष---इसके समाप्त होने से पहले पेश कर दें ।

श्री चरण सिंह---जी हां, इससे पहले ही पेश कर दूंगा ।

(क्रम के लिये देखिये आगे पृष्ठ १२२ पर)

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)---अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से नियम ३४१ के बाद निम्नलिखित नया नियम बढ़ा देने के लिये निवेदन करता हूं---

"३४२---धारा ४९, यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट, १९३९, के अन्तर्गत वे सभी वाद अथवा व्यवहार (जिनके अन्तर्गत अपील , अभिदेश और पुनरीक्षण भी हैं) जो नियम ४ के उपनियम (४) के अन्तर्गत धारा ३४४ की उपधारा (४) के अधीन धारा सभा द्वारा संशोधित होने के पूर्व स्थगित हो कर समाप्त हो गये हैं संबंधित न्यायालय द्वारा स्वयमेव पुनः संचालित कर दिये जायेंगे । यह सभी वाद अथवा व्यवहार उसी स्थान से प्रारम्भ किये जायेंगे, जहां से स्थगित अथवा समाप्त हुए थे ।"

अध्यक्ष महोदय, इस नियम को बढ़ाने की आवश्यकता यों हुई कि पहली बार जब सरकार की ओर से निर्देश ऐसा हुआ था कि, टेनेंसी ऐक्ट की दफ़ा ४९ के मातहत जितने वाद, अपील, रिफरेन्स और रिवीजन चल रहे थे वह सब स्टे कर दिये गये थे, उनकी कार्यवाही स्थगित कर दीगयी थी । उसके बाद वह अबेट या समाप्त हो गये । इस तरह से उनको समाप्त हो जाने पर वह रुक गये थे । अब सरकार ने उसी धारा ४ में परिवर्तन कर दिया है कि ४९ के जो मुकदमे हैं उन को फिर से चालू होने की आज्ञा दे दी गयी है । तो इस नियम के जरिये से

काश्तकारों का यह फायदा होगा कि अदालत उन मुकदमों को स्वयं ही चालूकर देगी । इस के लिये उन लोगों को जो वादी हैं १५ आने का टिकट लगा कर दरख्वास्त देनी पड़ती और तल-बाना भी देना पड़ता और साथ ही वकील की फ़ीस भी देनी पड़ती। एक ही बार बुलाने पर वह हाजिर नहीं होते और ३-४ बार बुलाये जाने पर हाजिर होते । इस तरह से ५० रुपये का खर्चा होता । इस सशोधन के जरिये से यह हो जायगा कि अदालत उन मुकदमात को जिनको स्थगित या समाप्त कर दिया गया है स्वयं अपनी इच्छा से जारी कर देगी और उसी स्थान से इन मुकदमों की कार्यवाही शुरु हो जायगी, जिस स्थान पर वह समाप्त या स्थगित हुई थी। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करता हू कि वह मेरे इस संशोधन को स्वीकार कर ले।

श्री चरण सिंह---माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का संशोधन मुझे स्वीकार है ।

अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि नियम ३४१ के बाद निम्नलिखित नया नियम ३४२ बढ़ा दिया जाय--

"३४२-धारा ४९, यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट, १९३९, के अन्तर्गत वे सभी वाद अथवा व्यवहार (जिनके अन्तर्गत अपील, अभिदेश और पुनरीक्षण भी हैं) जो नियम ४ के उपनियम (४) के अन्तर्गत धारा ३४४ की उपधारा (४) के अधीन धारा सभा द्वारा संशोधित होने के पूर्व स्थगित होकर समाप्त हो गये हैं, सम्बन्धित न्यायालय द्वारा स्वयमेव पुनः संचालित कर, दिये जायेंगे । यह सभी वाद अथवा व्यवहार उसी स्थान से प्रारम्भ किये जायेंगे जहां से स्थगित अथवा समाप्त हुये थे।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री चरण सिंह---मैं प्रस्ताव करता हूं कि आकार पत्र ६३ के स्तम्भ (२) में "पटवारी का हलक़ा" के स्थान पर "परगना" लिखा जाय ।

अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि आकार पत्र ६३ के स्तम्भ (२) में "पटवारी का हलक़ा" के स्थान पर "परगना" लिखा जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री चरण सिंह---मैं प्रस्ताव करता हूं कि आकार पत्र ६४ के स्तम्भ (९) में शब्द "पटवारी" के स्थान पर शब्द "अमीन" लिखा जाय।

अध्यक्ष---प्रश्न यह कि आकार पत्र ६४ के स्तम्भ (९) में शब्द "पटवारी" के स्थान पर शब्द "अमीन" लिखा जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री चरण सिंह---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आकार पत्र ६५ के शीर्षक और स्तम्भ, ७, में "पटवारी" के स्थान पर "अमीन" लिखा जाय।

अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि आकार पत्र ६५ के शीर्षक और स्तम्भ (७) में "पटवारी" के स्थान पर 'अमीन' लिखा जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री चरण सिंह---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आकार पत्र ६६ के स्तम्भ (२) में शब्द "पटवारी का हलक़ा" के स्थान पर शब्द "परगना" लिखा जाय।

अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि आकार पत्र ६६ के स्तम्भ (२) में शब्द "पटवारी का हलक़ा" के स्थान पर शब्द "परगना" लिखा जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री चरण सिंह---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आकार-पत्र ७६ के शीर्षक में शब्द "पटवारी" के स्थान पर शब्द "अमीन" और शब्द "मंडल" के स्थान पर शब्द "अमीन का नाम" लिखा जाय।

अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि आकार पत्र ७६ के शीर्षक में शब्द " पटवारी " के स्थान पर शब्द "अमीन" और शब्द "मंडल" के स्थान पर शब्द "अमीन का नाम" लिखा जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री चरण सिंह---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि परिशिष्ट २ में निम्नलिखित संशोधन किये जायें---

(१) आदर्श उपविधि ६ के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबंधात्मक अनुच्छेद बढ़ा दिया जाय, अर्थात्:---

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ये निरोध केवल नये सदस्यों के सम्बन्ध में लागू होंगे न कि उन व्यक्तियों के सम्बन्ध में जो दायाधिकार द्वारा सदस्य बन गये हों।"

(२) आदर्श उपविधि १२ में से मदें ४ और ५ निकाल दी जांय।

(३) आदर्श उपविधि १४ के खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय, अर्थात्:---

"(ख) कोई भी सदस्य समिति किसी ऐसे प्रस्ताव द्वारा निकाला जा सकता है जिसका समर्थन समिति के कम से कम दो-तिहाई सदस्य करें और जिसकी पुष्टि फ़ार्म के कम से कम दो-तिहाई सदस्य करें।"

(४) आदर्श उपविधि १५ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय:---

"१५---फ़ार्म के किसी ऐसे सदस्य को, जिसने इस्तीफ़ा दे दिया हो या जो निकाल दिया गया हो या जो हटा दिया गया हो, किसी चकबन्दी वाले ब्लाक में उस भूमि के बराबर भूमि प्राप्त करने का अधिकार होगा,जो उसने फ़ार्म को अंशदान के रूप में दी हो।"

(५) आदर्श उपविधि १६ की पहली पंक्ति में शब्द "कोई भी सदस्य" तथा शब्द "किसी ऐसे" के बीच शब्द "संपत्ति निस्तारण के सम्बन्ध में उसके अधिकारों का निरोध करने वाली किसी वैयक्तिक विधि को बाधित न करते हुये" रख दिये जांय।

(६) आदर्श उपविधि ३७ में शब्द "दे सकती है" के स्थान पर शब्द "देगी" रख दिया जाय।

(७) आदर्श उपविधि ३९ में शब्द और अंक "उपविधि ३७ और ३८" के स्थान पर "उपविधि ३८" लिख दिया जाय।

(८) आदर्श उपविधि ४९ और ५० में से प्रत्येक के अन्त में निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ा जाय:—

"स्पष्टीकरण—कोई सदस्य केवल इसलिये कि वह मजदूरी पर समिति के लिये शारीरिक परिश्रम का कार्य करता है समिति के अधीन किसी लाभ के पद पर आसीन न समझा जायगा।"

(९) आदर्श उपविधि ५९ में शब्द "जिसे कृषि प्रशिक्षण प्राप्त हो" के स्थान पर "जिसे कृषि में प्रशिक्षण या पर्याप्त अनुभव प्राप्त हो" लिखा जाय।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि परिशिष्ट २ में निम्नलिखित संशोधन किये जायें:—

(१) आदर्श उपविधि ६ के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबंधात्मक अनुच्छेद बढ़ा दिया जाय, अर्थात्:—

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ये निरोध केवल नये सदस्यों के संबन्ध में लागू होंगे न कि उन व्यक्तियों के सम्बन्ध में जो दायाधिकार द्वारा सदस्य बन गये हों।"

(२) आदर्श उपविधि १२ में से मदें ४ और ५ निकाल दी जायं।

(३) आदर्श उपविधि १४ के खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय, अर्थात्:—

"(ख) कोई भी सदस्य समिति किसी ऐसे प्रस्ताव द्वारा निकाला जा सकता है जिसका समर्थन समिति के कम से कम दो-तिहाई सदस्य करें और जिसकी पुष्टि फार्म के कम से कम दो-तिहाई सदस्य करें।"

(४) आदर्श उपविधि १५ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय:—

"१५—फ़ार्म के किसी ऐसे सदस्य को, जिसने इस्तीफ़ा दे दिया हो या जो निकाल दिया गया हो या जो हटा दिया गया हो, किसी चकबन्दी वाले ब्लाक में उस भूमि के बराबर भूमि प्राप्त करने का अधिकार होगा जो उसने फ़ार्म को अंशदान के रूप में दी हो।"

(५) आदर्श उपविधि १६ की पहली पंक्ति में शब्द "कोई भी सदस्य" तथा शब्द "किसी ऐसे" के बीच शब्द "संपत्ति निस्तारण के संबधं में उसके अधिकारों का निरोध करने वाली किसी वैयक्तिक विधि को बाधित न करते हुये" रख दिये जायं।

(६) आदर्श उपविधि ३७ में शब्द "दे सकती है" के स्थान पर शब्द "देगी" रख दिया जाय।

(७) आदर्श उपविधि ३९ में शब्द और अंक "उपविधि ३७ और ३८" के स्थान पर पर "उपविधि ३८" लिख दिया जाय।

(८) आदर्श उपविधि ४९ और ५० में से प्रत्येक के अन्त में निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ा जाय:—

"स्पष्टीकरण—कोई सदस्य केवल इसलिये कि वह मजदूरी पर समिति के लिये शारीरिक परिश्रम का कार्य करता है समिति के अधीन किसी लाभ के पद पर आसीन न समझा जायगा।"

(९) आदर्श उपविधि ५९ में शब्द "जिसे कृषि प्रशिक्षण प्राप्त हो" के स्थान पर "जिसे कृषि में प्रशिक्षण या पर्याप्त अनुभव प्राप्त हो" लिखा जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। (४) में शायद मंत्री जी का मंशा यह है कि उस भूमि के बराबर मूल्य की भूमि प्राप्त करने का अधिकार होगा। ऐसा ही कमेटी में तय हुआ था।

श्री चरण सिंह—जी नहीं, ऐसा नहीं है। कमेटी में यह तय हुआ था कि जो शख्स इस तरह निकाला जाय या इस्तीफा दे तो उसको जमीन एक ब्लाक में, यह नहीं है कि जो पुरानी जमींन थी या उसके बिखरे हुये खेत थे, दिये जायं, बल्कि एक ब्लाक में, एक चक में उसको जमीन दी जायगी। इसका कंस्ट्रकशन बहुत अच्छा नहीं है, यह ठीक है, लेकिन आशय यही था कि जो इसमें इस वक्त है।

(कुछ ठहर कर)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि परिशिष्ट ३ में निम्नलिखित संशोधन किये जायं।

(१) "क्रम संख्या २५(२) के सामने स्तम्भ ५ की वर्तमान प्रविष्ट के स्थान पर उस "वाक्य स्थिति में जबकि धारा २० (ख) के अधीन व्यवहार का कारण निहित होने के दिनांक के पूर्व प्रारम्भ हुआ हो निहित होने के दिनांक से और अन्य स्थितियों में उस दिनांक से जब व्यवहार का कारण (cause of action) प्रारम्भ हुआ हो," लिखा जाय।

(२) क्रम संख्या २५ (४) के सामने स्तम्भ ४ की वर्तमान प्रविष्ट के स्थान पर अंक और शब्द "६ मास" और स्तम्भ ५ की वर्तमान प्रविष्ट के स्थान पर से शब्द "बंधक नियुक्ति (Satisfaction) दिनांक से" को लिखे जायं।

(३) क्रम संख्या ३० के सामने स्तम्भ ६ की वर्तमान प्रविष्ट के स्थान पर शब्द "जो यू० पी० टैनेन्सी ऐक्ट की धारा १८० के अधीन किसी बाद (Suit) के लिये देय और देय मालगुारी पर निर्धारित हो," रखे जायं।

कहीं-कहीं काज आफ ऐक्शन की तारीख ऐसी संबंधित छोटी-छोटी बातों लिये जरूरी थी और कमेटी के आशय के अनुसार यह संशोधन पेश किया गया है।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि परिशिष्ट ३ में निम्नलिखित संशोधन किये जायं—

(१) क्रम संख्या २५ (२) के सामने स्तम्भ ५ की वर्तमान प्रविष्ट के स्थान पर वाक्य "उस स्थिति में जब कि धारा २० (ख) के अधीन व्यवहार का कारण निहित होने के दिनांक पूर्व प्रारम्भ हो निहित होने के दिनांक से और अन्य स्थितियों में उस दिनांक से जब व्यवहार का कारण (Cause of action) प्रारंभ हुआ हो" लिखा जाय।

(२) क्रम संख्या २५ (४) के सामने स्तम्भ ४ की वर्तमान प्रविष्ट के स्थान पर अंक और शब्द "६ मास" और स्तम्भ ५ के वर्तमान प्रविष्ट के स्थान पर शब्द "बंधक नियुक्ति (Satisfaction) के दिनांक से" लिखे जायं।

(३) क्रम संख्या ३० के सामने स्तम्भ ६ की वर्तमान प्रविष्ट के स्थान पर शब्द "जो यू० पी० टैनेन्सी ऐक्ट की धारा १८० के अधीन किसी वाद (Suit) के लिये देय और देय मालगुजारी पर निर्धारित हो" रखे जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

[क्रम के लिये देखिये पीछे पृष्ठ ११८ पर]

अध्यक्ष—इसके बाद संशोधन संख्या १२१ जो स्थगित किया गया था वह लिया जायगा।

श्री चरण सिंह—अब दरअसल उसकी आवश्यकता नहीं है, अब माननीय सदस्य को संतोष हो गया है।

श्री सरेश प्रकाश सिंह---माननीय मंत्री जी ने जो रेवेन्यू मेन्युअल मुझे दिखलाई उसके प्रकाश में अब मैं इसकी आवश्यकता नहीं समझता । मैं उसको वापस लेना चाहता हूं ।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया ।)

कार्य के क्रम में परिवर्तन

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)---माननीय अध्यक्ष महोदय, इस नियमावली पर विचार हो जाने के बाद कल यह तय हुआ था कि जमींदारी विनाश अनुपूरक विधेयक पर विचार किया जायगा, लेकिन उसके साथ ही आपने यह इजाजत भी दी थी कि आज शाम के ४ बजे तक जो सज्जन संशोधन भेजना चाहें भेज सकते हैं। इसलिये अगर हम इसके बाद उक्त विधेयक को लेते हैं तो जो सुविधा आपकी ओर से दी गई थी उसका माननीय सदस्य लाभ न उठा सकेंगे ।

अध्यक्ष---तो क्या इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल ले लिया जाय ?

श्री चरण सिंह---जी हां ।

अब नियमावली के बाद तो इलेक्ट्रिसिटी विधेयक ही लिया जायगा इसलिये संशोधनों के लिये बजाय आज ४ बजे तक के कल सुबह १० बजे तक का समय रख दिया जाय तो अच्छा होगा ।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---अध्यक्ष महोदय, यह बड़े आश्चर्य की बात है कि एजेंडा जो तीन दिन से छप रहा है वह लगातार बदला जा रहा है। कल के एजेंडा के अनुसार हम जमींदारी विधेयक पर तैयार होकर आये थे लेकिन अब मालूम हुआ है इलेक्ट्रिसिटी बिल लिया जायगा।

अध्यक्ष---मैं समझता हूं आपको जो काफी क्रान्तिकारी विचारों के हैं, जब परिस्थिति बदल जाती है तो उसका सामना क्रान्ति के साथ करना चाहिये।

(कुछ ठहर कर)

जमीदारी विधेयक पर संशोधन अभी ४ बजे तक ही लिये जायेंगे। अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल कल तक चला और मौका मिला तो कल ११ बजे तक का वक्त दिया जायगा क्योंकि कल सुबह संशोधन आने से वे छप नहीं सकेंगे ।

अब हम उठते हैं और सवा दो बजे फिर बैठेंगे जब कि इलेक्ट्रिसिटी टेम्पोरेरी पावर्स संशोधन विधेयक लिया जायगा ।

(इस समय १ बजकर २० मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १५ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

उत्तर प्रदेश जमींदारी बिनाश और भूमि व्यवस्था नियमावली में प्रस्तावित संशोधनों पर विचार समाप्त होने के पश्चात संशोधन प्रस्तुत करने की प्रार्थना

श्री अतहर हुसैन ख्वाजा (जिला सहारनपुर)---जनाबवाला, पेश्तर इसके कि आनरेबिल मिनिस्टर साहब वहां बिल इन्ट्रोड्यूज (प्रस्तुत) करें मैं यह अर्ज करना चाहता हुं कि मैं इन रूल्स में जो कि अभी चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है कुछ अमेंडमेंट मूव करना चाहता हूं और जब आनरेबिल रेवेन्यू मिनिस्टर साहब आयेंगे तो मैं उसे मूव करना चाहूंगा ।

उपाध्यक्ष---मैं समझता हूं कि रूल्स माननीय अध्यक्ष महोदय की मौजूदगी में ही पास हो चुके हैं। अब मैं उससे पीछे नहीं जा सकता हूं।

श्री अतहर हुसैन ख्वाजा---मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जनाब को यह अधिकार है कि उसमें कोई ऐसा अमेंडमेंट हो तो उसे ले लें। वह अभी बिलकुल खत्म तो हुआ नहीं है। खत्म तो तब समझा जायगा जबकि दूसरी जांच शुरू हो जायगी। लिहाजा मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि मेरा जो अमेंडमेंट है वह इस बिल के बिलकुल आखिर में रूल्स में आता है। मैंने यह कहा है कि रूल्स में इजाफा कर दिया जाय। मैं परसों संडे (रविवार) को ही आया था तो समझता था कि आफिस खुला होगा और वहीं पर मैं अपना अमेंडमेंट दे दूंगा लेकिन परसों आफिस बन्द रहा लिहाजा मैंने कल अपना अमेंडमेंड दिया।

उपाध्यक्ष---आपने नोटिस दिया था ?

श्री अतर हुसैन ख्वाजा---जनाब वाला, मैंने नोटिस दिया था। इसके ऊपर उसूली बहस है और मैं समझता हूं कि ऐडमिनिस्ट्रेशन प्वाइंट आफ वियू (प्रशासनीय दृष्टिकोण) से भी इसका होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने कल आनरेबिल मिनिस्टर साहब को भी नोटिस दे दिया था कि वे इस पर गौर कर लें कि इस शक्ल में होने से मुनासिब होगा।

उपाध्यक्ष---माननीय सदस्य यह तो जानते ही हैं कि ३६ घंटे की नोटिस की आवश्यकता है। और अध्यक्ष महोदय यह फैसला कर चुके हैं तथा इसके अलावा माननीय राजस्व मंत्री भी भवन में मौजूद नहीं हैं ऐसी हालत में इस वक्त मैं यह प्रश्न नहीं लूंगा। अगर आप चाहें तो कल इस प्रश्न को अध्यक्ष महोदय के सामने पेश कर सकते हैं।

श्री अतर हुसैन ख्वाजा---आज मैंने इसीलिये इस स्टेज पर उज्र कर दिया कि बाद में कोई एतराज न हो और हमारा राइट रिजर्व रहे।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह---श्रीमान् जो रूल्स में संशोधन माननीय सदस्य का आया है, पता नहीं वह क्या है इसलिये कोई मुखालिफत करने का सवाल नहीं उठता लेकिन एक गलतफहमी जरूर है माननीय सदस्य को और वह यह है कि माननीय अध्यक्ष ने पहले यह कहा था, मेरे ही संशोधन के ऊपर जिसे सरकार स्वीकार करना चाहती थी कि तमाम रूल्स लेने के बाद मैं इस संशोधन को लूंगा। इसलिये कि रूल्स पर बहस जारी है तो श्रीमान् मुझे अपना संशोधन वापस लेना पड़ा और मैंने वापस ले लिया। अब डेफिनिटली रूल्स बहस खत्म हो चुकी है तो फिर इसको कैसे लिया जा सकता है।

उपाध्यक्ष---इस पर मैं अधिक विवाद के लिये मौका नहीं दे सकता हूं। अब मैं दूसरे आइटम पर बढ़ता हूं।

श्री अतर हुसैन ख्वाजा---जनाब को भी यह हक हासिल है और जनाब भी इसे कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि जनाब ने कहा मिनिस्टर साहब के आने पर मैं इस मामले को फिर हाउस के सामने रखना मुनासिब समझूंगा।

उपाध्यक्ष---मगर मेरे सामने डेफिनिट इनफारमेशन (निश्चित सूचना) है कि रूल्स के काम खत्म हो चुके हैं। ऐसी हालत में मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूं। अगर आप चाहें तो माननीय स्पीकर महोदय के सामने कल इस प्रश्न को पेश कर सकते हैं।

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक सीटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ़ कंट्रोल) (संशोधन) विधेयक, १९५२*

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)---जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कंट्रोल) (संशोधन) विधेयक,

*विधान परिषद द्वारा पारित विधेयक १८ अगस्त, १९५२ की कार्यवाही में छपा है।

१९५२ पर, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, विचार किया जाय।

पिछली लड़ाई के जमाने में डिफेंस आफ इंडिया रूल्स के जरिये मुख्तलिफ चीजों पर कंट्रोल लगे थे। वह कन्ट्रोल जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लगाये थे सन् १९४६ ई० और ४७ ई० में खत्म हो गये और उसके बाद यह देखना हुआ कि आया अभी कोई जरूरत और किसी चीज पर कन्ट्रोल लगाने की बाकी है या नहीं है और अगर है तो उसके लिये पूरा इंतजाम किया जाय। चुनांचे उस वक्त यह पाया गया कि बिजली का जहां तक जनरेशन इस प्रदेश में है उससे बहुत ज्यादा मांग मौजूद है और यह मुमकिन नहीं है कि उस थोड़े जनरेशन के साथ उस मांग को पूरा किया जाय। इसलिये जरूरत होगी कि बिजली के देने में इस बात का लिहाज किया जाय कि कहां जरूरत ऐसी है जिस जरूरत को किसी दूसरी मांग पर तरजीह दी जाय। इसलिये महसूस हुआ कि कंट्रोल रहना जरूरी है। चुनांचे ४७ में यह ऐक्ट जिसकी तरमीम के लिये आज मैंने यह मोशन किया, पास हुआ और उस वक्त इसकी दो साल मियाद करार दी गयी कि दो साल के बाद अगर फिर जरूरत रहे तो इजाफे का सवाल लेजिस्लेचर के सामने रखा जायगा और जरूरत न रहे तो न रखा जायगा। लेकिन सन् १९४८ के आखिर में जब कि पहले कानून की मियाद या जमाना खत्म होने वाला था यह बात पायी गयी कि बिजली की मांग अभी तक बहुत है और जितनी बिजली इस प्रदेश में बन रही है वह उस मांग को पूरा नहीं कर सकती है। इसलिये सन् १९४८ ई० में बिजली के लिये फिर इसको बढ़ाया गया। फिर इसी तरह सितम्बर, १९५० में जब इस कानून की मियाद खत्म होने को आयी तो इसकी जरूरत फिर महसूस की गयी और इसकी मियाद ३० सितम्बर, ५२ तक बढ़ा दी गयी।

अब जो इसकी पोजिशन है उसको देखते हुये मैं यह अर्ज करता हूं कि मांग बहुत है, बिजली कम है, अगरचे इस दौरान में बिजली का जनरेशन बढ़ाया गया है, जैसा कि मैं अभी बतलाऊंगा, लेकिन फिर भी वह इतना नहीं है कि इस जमाने की मांग को पूरा किया जा सके। इसलिये गवर्नमेंट ने फिर यह तजवीज की कि इस कानून की मियाद को दो साल के लिये और बढ़ायी जाय। मैं यह भी बतलाऊंगा कि दो साल के लिये बढ़ाना क्यों तजवीज किया। हो सकता था कि साल भर के लिये बढ़ाया जाय। यह भी हो सकता था कि तीन साल कह दें। लेकिन दो साल जो रखा गया है वह क्यों रखा गया है। वह मैं अपनी अभी अर्ज करूंगा।

बहरहाल यह बिल जो इस वक्त सामने है इसका मकसद तो सिर्फ इतना है कि जो कंट्रोल का बिजली कानून हमारे यहां जारी है वह ३० सितम्बर, ५२ से ३० सितम्बर ५४ तक जारी रहे। बस इतनी थोड़ी सी तरमीम इस दफा के अन्दर, जैसा कि इसमें लिखा है, करना मंजूर है। बात बहुत मुख्तसर है। कमी है बिजली की पैदावार की। उसकी वजह से कन्ट्रोल हो। तो यह जाहिर है कि सिर्फ कन्ट्रोल के ऊपर रहना काफी नहीं हो सकता है। इस बात की पूरी कोशिश होनी चाहिये कि जिस चीज की पैदावार की कमी है मसलन जैसे बिजली हमारे यहां कम पैदा होती है तो उसकी पैदावार को हम बढ़ायें और बढ़ाकर उस दज तक ले जायं जिस दर्जे तक मुल्क को उसकी जरूरत है। तो गवर्नमेंट ने इस बीच में इस जनरेशन के बढ़ाने का इन्तजाम किया और उस इन्तजाम का नतीजा यह हुआ कि सन् ४६ से लेकर जबकि यह कानून कन्ट्रोल का जारी किया गया था, उस वक्त से लेकर अब तक यानी मार्च जो पिछला गुजरा है सन् ५२ का, उस मार्च तक इस प्रदेश में ३१,००० से कुछ ज्यादा किलोवाट् बिजली बढ़ाई जा चुकी है। ३१,००० के बढ़ जाने के बाद अभी और जरूरत बाकी है। जहां तक इस ३१,००० का ताल्लुक है इसमें

[श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम]

से १५,००० किलोवाट् जो सरकारी पावर हाउसेज हैं उनके अन्दर बढ़ी है और बाकी १६ हजार जो हैं वह लाइसेंसीज के जो पावर हाउसेज हैं उनके अन्दर बढ़ी है। लाइसेंसीज से मुराद वे लोग हैं जिनको गवर्नमेंट बिजली बनाने या बिजली की तकसीम करने का लाइसेंस देती है और वह शहरों में और दूसरी जगह कस्बों में बिजली बना करके लोगों के हाथ फरोख्त करते हैं, जैसे कि लखनऊ है, इलाहाबाद है, बनारस है आगरा है। ये सब मुकाम जो हैं इनमें सब लाइसेंसीज की बिजली है। इन सबके यहां भी इस दौरान में बिजली बढ़वाई गई है। चुनांचे लखनऊ में भी बढ़ी है, बनारस में भी बढ़ी है, इलाहाबाद में भी बढ़ी है, आगरे में भी बढ़ी है, बरेली में भी बढ़ी है और उस सब बढ़ी हुई का टोटल लाइसेंसीज का वह १६,००० से कुछ ज्यादा होता है। तो इस तरह से ३१,००० किलोवाट् बिजली का इजाफा हो जाने के बाद भी इस बात की जरूरत रहती है। इसका अन्दाजा इससे होता है कि मसलन हाईडेल ग्रिड एरिया है। हाईडेल ग्रिड एरिया उन जिलों को कहते हैं जिनमें सरकारी पावर हाउसेज में पानी के जरिये से जो बिजली बनाई जाती है वह तकसीम होती है, जो बरेली से इधर के जिले हैं सहारनपुर की तरफ के। इधर बदायूं है, मथुरा है, अलीगढ़ है। ये सब ग्रिड एरिया के अन्दर शामिल हैं। उस एरिया के अन्दर की मांग जो इस वक्त हमारे पास मौजूद है वह ६०,००० किलोवाट् से ज्यादा है और इस हाईडेल ग्रिड एरिया में बावजूद बिजली बढ़ जाने के इस वक्त जो अवेलेबिल (प्राप्य बिजली) है वह ४२,००० किलोवाट् है। इसी तरह से लाइसेंसीज के हिसाब हैं और वह बहुत ज्यादा हैं, मैं समझता हूं उनके अन्दर जाने की और उनको बयान करने की जरूरत नहीं है, इससे काफी अन्दाजा हो जाता है कि बिजली की कमी हमारे यहां कितनी है। अगर हम इस इन्क्रीज (वृद्धि) से जो जनरेशन की सन् ४६ से अबतक हुई है, जो पिछला जमाना था उससे मुकाबिला करें तो मालूम होगा कि हमारे जनरेशन की तादाद कम से कम पिछले जमाने के मुकाबिले में और कुछ नहीं तो दुगनी रही है।

इस प्रदेश में सबसे पहले बिजली जेनरेट हुई मसूरी में, सन, १९०९ में। सन् १९०९ से लेकर सन् १९४७ तक जितनी बिजली बनी है उसकी तादाद मेरे पास है। उसका औसत सालाना २,७०० किलोवाट् आता है। यानी उस जमाने के अन्दर सन् १९०९ से लेकर सन् १९४७ तक बिजली की इन्क्रीज (वृद्धि) इस प्रदेश में औसतन साल भर में २,७०० किलोवाट होती थी। उसके बजाय इस जमाने में सन् ४६ से लेकर अब तक जो बिजली बढ़ाई गयी है उस का औसत उससे दुगना होता है। वह ६,००० से कुछ ज्यादा होता है। तो इससे अन्दाजा कर सकते हैं कि हमारी बिजली बढ़ाने की रफ्तार इतनी सुस्त नहीं रही है कि उसको हम यह कह सकें कि वह कोई ऐसी काबिले लिहाज चीज थी। बिजली बनाने के अन्दर मुख्तलिफ किस्म की दिक्कतें हैं और एक बड़ी भारी दिक्कत यह है कि बिजली के जनरेशन के सामान जो हैं वे हमारे मुल्क में बनते नहीं हैं। उसके छोटे छोटे पुर्जे और बड़े बड़े इंजिन और कलें जितनी भी हैं वह सब बाहर के मुल्कों से मंगा कर यहां पावर हाउसेज में काम किया जाता है और उन पावर हाउसेज के अन्दर बिजली बनाई जाती है। जब हम उन चीजों को वहां से मांगते हैं तो वहां तरीका जो है उन चीजों को फराहम करके देने का वह यह नहीं है कि जैसे आज मुझको किसी चीज की जरूरत हो और मैं लखनऊ के बाजार से उसको खरीद लाऊं, बल्कि वह बाजार में बिकने के बजाय आर्डर देने के ऊपर उन स्पैसिफिकैशन्स के साथ जो जरूरी हों, बनायी जाती हैं। इसलिये उनको वक्त देना होता है और कम अज कम तीन साल चार साल और अगर किसी हालत में जल्द मिलना हुआ तो दो साल, इतना जमाना डिलिवरी का उनका होता है। अगर आज आर्डर दिया जाता है तो दो साल से लेकर चार साल तक यह तवक्को की जा सकती है कि वह सामान हमको वहां से बन करके मिल सकेगा। अगर वहां के वादे में इस किस्म की कोई बात वाक़े नहीं हुई जिसकी वजह से उन बनाने वालों को कोई रुकावट आये और उस रुकावट की वजह से उनको और जमाना मांगना पड़े कि हमारे यहां अभी

चीज तैयार नहीं है । कुछ वक्त के बाद हम सामान देंगे । यह हालत है बिजली के सामान की । ऐसी सूरत में हमारे यहां इतने ज़माने में इतने जनरेशन को बढ़ाना मैं समझता हूं कि एक काबिले इत्मीनान बात हो सकती है मगर हम उसके ऊपर कनटेंटेड (परितुष्ट) नहीं हो सकते, इसलिये कि बिजली एक ऐसी जरूरत की चीज है, जिस से हमारी इंडस्ट्री का, एग्रीकल्चर का और हमारे हर रोज के राहत व आराम का बहुत बड़ा ताल्लुक़ है । बमुकाबिले पहले के आज हमारे यहां ऐसे बहुत से आदमी हैं जिनको अपने घरों के अन्दर पंखों के लिये भी और रोशनी के लिये भी बिजली की जरूरत होती है, बीमारों को जरूरत होती है, इंडस्ट्री वालों को, दूकानदारों को, मुख्तलिफ काम करने वालों को, सभी को बिजली की जरूरत होती है और इसलिये जरूरत इस बात की है कि जिस क़दर जल्द से जल्द जनरेशन बढ़ाया जा सके बढ़ाया जाय । चुनांचे इसी वजह से अलावा इस किस्म के छोटे पावर स्टेशन्स बनाने के जिनके जरिये कि बिजली बढ़ाई गई है, मसलन गोरखपुर में पावर हाउस बनाया गया या सोहावल पावर स्टेशन है उसमें एक्सटेंशन किया गया और इस तरीके से किया गया कि उसमें बिजली तीस हजार के बजाय ३६ हजार किलोवाट तैयार हो सके, गवर्नमेंट अपने यहां पावर हाउसेज बना रही है मसलन पथरी पावर हाउस इस वक्त बन रहा है, शारदा का पावर स्टेशन इस वक्त बन रहा है, मुहम्मदपुर का पावर स्टेशन बन करके अभी तैयार हुआ है और उसके जरिये ६ हजार किलोवाट बिजली तकसीम के लिए मिल रही है । इन पावर हाउसेज के बनने में जमाना लगता है, वक्त सर्फ होता है, रुपया भी सर्फ होता है और उस रुपये का इन्तजाम भी करना होता है । चुनांचे इसी वजह से वह पावर हाउसेज अभी तक अंडर कांस्ट्रक्शन (निर्माणाधीन) हैं और उनमें से जहां तक कि पथरी और शारदा पावर स्टेशन्स का ताल्लुक है उनसे बिजली बन करके हमको सन् १९५४ के शुरू में या आधे जमाने तक मिलने वाली है और इसी लिये हमने अपना यह जमाना मुकर्रर किया कि हम दो साल और बढ़ायें क्योंकि उस वक्त हमको ४२ हजार किलोवाट बिजली और मिलेगी सन् १९५४ में इन पावर हाउसेज के जरिये से उस वक्त हमको यह मौका होगा कि हम अपने डेसीजन (निश्चय) को फिर से रिवाइज (संशोधित) करें कि आया हमको किसी ऐसे कंट्रोल को रखने की जरूरत है या नहीं है । अगर उस वक्त के हालात से यह मालूम हुआ कि जितनी बिजली बन रही है वह काफी नहीं है तो मुमकिन है कि और दूसरे पावर स्टेशन्स के बनने तक कंट्रोल जारी रखा जाय लेकिन इस वक्त जो दो साल का जमाना मुक़र्रर किया गया वह इस एक्सपेकटेशन पर मुकर्रर किया गया कि हमें उन पावर हाउसेज से बिजली मिलेगी जो हम बना रहे हैं और जिसका तज़किरा इस ऐवान में हम बजट के जमाने में कर चुके हैं ।

इसके अलावा मऊ, आज़मगढ़, का पावर स्टेशन बनाया गया, गोरखपुर का पावर स्टेशन और बढ़ाया गया, हरदुआगंज पावर हाउस का एक्सटेंशन हो रहा है और सोहावल पावर हाउस का एक्सटेंशन हो रहा है । इन सब चीजों को देखते हुये जो बिजली बन करके आने वाली है उससे मैं समझता हूं कि हमारी जरूरतों के पूरा होने का मौका आ जायगा । सिर्फ वक्त का सवाल है कि उस वक्त तक जब तक कि बिजली कम रहती है, हमारे पास बिजली कम है, उस वक्त किसी कंट्रोल का लगना जरूरी है । इसी वजह से मैंने यह बिल इस ऐवान के सामने रखा और फिलहाल हम रिवाइज करके दो साल का जमाना बढ़ा लें और उस के बाद फिर देखें कि क्या होने वाला है । यह तो बिजली की सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन के मुताल्लिक़ हुआ ।

जहां तक कि बिजली की तकसीम का ताल्लुक़ है जो तरीका डिफेन्स आफ़ इंडिया रूल के मातहत जब यहां ब्रिटिश पीरियड था उसमें रायज था उसमें यह था कि तकसीम गवर्नमेंट से होती थी । जिस वक्त हमारी गवर्नमेंट आयी अपने देश की उस वक्त भी वह तरीका जारी रहा । उसके अन्दर फिर थोड़ी सी तरमीम कर दी गयी यानी सेक्रेटेरियट से पहले बिजली तकसीम होती थी वह काम एक डिप्टी सेक्रेट्री के सुपुर्द था और जो खास खास प्वाइंट्स होते थे वह मिनिस्टर इंचार्ज के

[श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम]

पास आते थे और उस लाइट में तकसीम होता था और उसी के मुताबिक प्रायरिटीज़ मुकर्रर की जाती थी और उन प्रायरिटीज़ को मुकर्रर करने का काम इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट करता था। जहां तक कि ऐग्रीकल्चर का ताल्लुक़ है उन ऐप्लीकेशन्स को ऐग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के मातहत शिफारिश की जाती थी। इसमें ५०-५१ में थोड़ी सी तरमीम यह हुई कि जो यह काम सेण्ट्रलाइज़्ड (केंद्रिति) था उसको डिसेंट्रलाइज़ (विकेंद्रित) कर दिया गया और उसको हटा कर प्रायरिटी देने का काम डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट्स को दिया गया और जहां तक ऐप्लीकेशंस को एण्टरटेन करने का सवाल है वह लाइसेंसिंग कम्पनियां जो बिजली की हैं उनके सुपुर्द कर दिया गया और इस लिहाज़ से कि किस महीने की किस तारीख को ऐप्लीकेशन आई है जो क्रानालाजिकल आर्डर होता था उस के हिसाब से बिजली को तकसीम करने का तरीका था। यह आर्डर लाइसेंस्ड एरियाज़ जैसे लखनऊ, आगरा, इलाहाबाद हैं के लिये दिया गया था।

जहां तक हाइडेल का ताल्लुक़ है और जहां तक कानपुर का ताल्लुक़ है जो कानपुर एलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी के जनरल मैनेजर हैं उनको अख्तियार दे दिया गया है और हाइडेल एरिया के अन्दर बिजली बराबर यहां से तकसीम होती थी। पिछले साल तकसीम के साल पर इस ऐवान के मेम्बरान की एक कमेटी मुकर्रर की गयी और उस कमेटी के सामने यह सब मामलात पेश हुये कि आया तकसीम का जो तरीका उस वक्त रायज था वह तरीका मुनासिब है या उस में किसी किस्म की तरमीम की ज़रूरत है। उस कमेटी ने सिफारिशें दीं और उन सिफारिशों की बिना पर उस तरीक़े में जो रायज था तरमीम कर दी गयी और अब उस का तरीका यह है कि गवर्नमेंट के यहां से तकसीम बिलकुल नहीं होगी। हाइडेल एरिया के अन्दर हाइडेल के सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर और एक्जीक्यूटिव इंजीनियर की सिफारिशों के ऊपर और जहां तक लाइसेंस्ड एरिया का ताल्लुक़ है वहां पर कलेक्टर और लाइसेंसिंग कम्पनीज़ जो हैं दोनों मिल कर इस काम को करेंगी। यह कमेटी की सिफारिशों के मुताबिक नया तरीका बन गया है और प्रायरिटीज़ (प्रथमताएं) मुकर्रर कर दी गयी हैं। मसलन, हाइडेल एरिया के लिये प्रायोरिटी गवर्नमेंट ने मुकर्रर की है। उसमें यह मुक़र्रर कर दिया गया है कि जो बिजली अवेलेबुल होगी उस में से ६० फ़ी सदी ऐग्रीकल्चर के लिये दी जायगी, ३० फ़ी सदी इंडस्ट्रीज़ को दी जायगी और बाक़ी १० फ़ी सदी डोमेस्टिक कनेक्शन्स के लिये दी जायगी। यह हिदायत दे दी और उसी के साथ में इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट ने अपनी प्रायोरिटी की लिस्ट जो पहले से थी उसको वह रिवाइज़ कर रहे हैं। उस के बाद वह उस लिस्ट को तक़सीम करने वालों के पास भेज देंगे कि इन इन इंडस्ट्रीज़ को गवर्नमेंट ने तय किया कि दूसरों के ऊपर उनको प्रिफ़रेन्स (पुरोधान) दिया जाय। तो बिजली की तक़सीम ज़रूरत के लिहाज़ से और उस फ़ायदे के लिहाज़ से होगी जो फ़ायदा कि उस बिजली के इस्तेमाल से इंडस्ट्री को, ऐग्रीकल्चर को या रहने वाले आदमियों को पहुंच सकता है। यह थोड़ा सा क़िस्सा इसके मुताल्लिक़ था कि बिजली की तक़सीम किस तरीके से होगी।

एक तीसरी बात और है वह भी मैं अर्ज़ किये देता हूं, इस लिये कि उसके मुताल्लिक़ मैं बहुत शिकायत सुनता हूं। मैं यह नहीं कहता हूं कि वह शिकायत बेजा होती है, कभी बजा भी होती है और ज्यादातर वह इस पर मबनी होती है कि रेट्स जो बिजली के हैं वे मुख़्तलिफ़ जगहों पर मुख़्तलिफ़ हैं, मसलन इलाहाबाद में रेट कुछ और हैं, बरेली में कुछ और हैं, सीतापुर में कुछ और हैं, आगरा और झांसी वग़ैरह में कुछ और हैं। तो उस में तो एक फ़ैक्टर काम करता है और वह फ़ैक्टर यह है कि जिस जगह में बिजली जनरेट करेंगे उस जगह पर जो ख़र्चा बिजली के जनरेशन का होगा उससे उसकी क़ीमत डिटरमिन (निर्धारित) होगी। तो जितना ज्यादा बड़ा टाउन होगा उसके अन्दर अगर बिजली बनायी जायगी और वहां ज्यादा बिजली बनेगी तो उस का ख़र्चा बमुक़ाबिले उस जगह के जहां थोड़ी पैदा होगी और थोड़े लेने वाले होंगे तो वहां ख़र्चा ज्यादा होगा और यहां ख़र्च कम पड़ेगा। मसलन बरेली की क़ीमत का लखनऊ की कीमत से हम मुक़ाबिला नहीं कर सकते हैं। आगरे की क़ीमत का सीतापुर की क़ीमत से हम मुक़ाबिला नहीं कर सकते हैं। तो चूंकि कास्ट आफ़ जनरेशन (उत्पादन-

मूल्य) कहीं ज्यादा होती है और कहीं कम पड़ती है इसलिये मुख़्तलिफ़ कम्पनियों में मुख़्तलिफ़ क़ीमतें हैं।

जहां तक इसका ताल्लुक़ है कि बिजली की कम्पनियां ज्यादा क़ीमत रख कर नाजायज फ़ायदा न उठायें तो उसका इंतज़ाम यह है कि गवर्नमेंट आफ़ इंडिया ने सन् १९४८ में एक ऐक्ट पास किया था। पहले बिजली की कार्रवाई जो थी वह कंट्रोल होती थी सन् १९१० के ऐक्ट से। सन् १९४८ में गवर्नमेंट आफ़ इंडिया ने एक दूसरा ऐक्ट बनाया और उस में उन्होंने यह मुक़र्रर किया कि किसी बिजली के बेचने वाले को उसके केपिटल के ऊपर ५ फ़ी सदी से ज्यादा मुनाफ़ा न होना चाहिये। तो इस हिसाब से ये रेट्स होंगे कि अगर ५ फ़ी सदी से कम मुनाफ़ा किसी बिजली कम्पनी को मिलता होगा तो उसके यहां जो रेट्स जारी होंगे वे ज्यादा हो जायंगे बक़दर उसके कि उसको ५ फ़ी सदी का मुनाफ़ा हो जाय। तो यह मुनाफ़ा इतना ज्यादा नहीं है कि जिसकी हम यह शिकायत करें कि यह बहुत ज्यादा है। यह मुनाफ़ा मेरे नज़दीक तो मुनासिब है। इसके अलावा एक और बात है जो मैं यहां इस ऐवान में अर्ज़ कर दूं कि हमारे उत्तर प्रदेश में कई टाउन्स ऐसे हैं जहां बिजली नहीं है। पहले से तरीक़ा उन टाउन्स को बिजली मोहय्या करने का यह चला आ रहा था कि गवर्नमेंट ने किसी कम्पनी को लाइसेंस दे दिया। उन्होंने वहां जनरेशन करके बिजली बांटना शुरू कर दिया। इस तरीक़े से उनके साथ कंट्रेक्ट्स हैं। किसी के साथ ३० साल का कंट्रेक्ट है, किसी के साथ ५० साल का है, किसी के साथ २५ साल का है। ये कंट्रेक्ट्स उनसे पहले हो चुके हैं जिनके मातहत वह बिजली इस वक्त यहां तक़सीम कर रहे हैं। हमने यह देखा कि इतने मुख़्तलिफ टाउन्स के लिये गवर्नमेंट को मुमकिन नहीं है कि यकायक बिजली मुहय्या कर दे। लिहाजा हमने प्रेस नोट जारी किया कि जो लोग बिजली सप्लाई करना चाहें वह दरख्वास्त दें। लेकिन ५ फ़ी सदी मुनाफ़ा होने की वजह से किसी ने भी दरख्वास्त नहीं दी। कोई भी आदमी अपना रुपया बिजली के काम में इंवेस्ट (लगाने) के लिये तैयार नहीं है। लेकिन जो फिलहाल काम कर रहे हैं उनके मुनाफे को कंट्रोल करके हमने घटा दिया है। इसका कायदा यह है कि उनके यहां जो रिकार्ड्स होते हैं। उसकी जांच गवर्नमेंट के चारटर्ड अकाउंटेंट्स से कराई जाती है और वह जांच करके रिपोर्ट गवर्नमेंट में भेजते हैं और फिर गवर्नमेंट उसकी जांच करके फैसला देती है कि ये हिसाब ठीक है और ज्यादा मुनाफा हो रहा है या नहीं हो रहा है।

दूसरी बात यह है कि सन् ४८ के ऐक्ट में एक प्राविजन यह कर दिया है किसी जगह के रेट के मुताल्लिक़ कंज्यूमर्स सैटिसफाइड (उपभोक्ता संतुष्ट) हों, कम्पनी या गवर्नमेंट चाहे तो एक कमेटी बिठा सकती है। चुनांचे इसके मातहत हमने ११ जिलों में कमेटी बिठा रखी है कि वह देखें कि रेट्स ठीक हैं या नहीं और जो मुनाफ़ा कम्पनीज़ ले रही हैं वह ५ फ़ी सदी से ज्यादा पड़ता है या नहीं। ११ कमेटियों का काम हो रहा है। जहां तक रेट्स का ताल्लुक़ है उसकी हकीकत तो इतनी ही है जो मैंने अर्ज़ कर दी है।

जहां तक इन कम्पनीज़ के ऊपर निगरानी का ताल्लुक़ है उसके दो ही तरीक़े हैं। एक तो यह कि उनकी जांच उसी तरह से होती है जो मैंने अर्ज़ किया, दूसरे कमेटी बिठा कर जांच करायी जाती है। कमेटी में जो आदमी होते हैं वह मुकर्रर हैं। एक तो डिस्ट्रक्ट जज होता है, एक अकाउंट का आदमी होता है और एक एक्सपर्ट (विशेषज्ञ) होता है। यह तीनों जनरल मैनेजर के साथ बैठते हैं। इस तरह की कमेटीज़ ११ जगह जांच कर रही हैं।

जो कुछ मैंने अर्ज़ किया वह यह है कि आज कल बिजली की मांग बहुत ज्यादा है और बिजली कम होती है। इसलिये बिजली के जेनरेट करने की ज़रूरत है। इसलिये दो वर्ष के लिये इस ऐक्ट की मियाद को बढ़ा दिया जाय। इन दो वर्षों में और

[श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम]

बिजली हमको मिल जायगी। जहां तक इनके काम का ताल्लुक़ है उसकी निगरानी की जाती है और देखभाल की जाती है कि किसी जगह की कम्पनी ५ फीसदी से ज्यादा मुनाफा ले।

इसी के साथ साथ यह भी है कि हमने बिजली बढ़ाई और यह समझा कि इस कस्बे में इतनी बिजली हो गयी है कि इस जगह अब कंट्रोल रखने की जरूरत नहीं है तो हम पहले कंट्रोल को रिलेक्स कर देते हैं और फिर बिल्कुल हटा देते हैं। हमने बनारस से उठा दिया है, आगरा से उठा दिया है, बरेली में रिलेक्स (शिथिल) कर दिया है और लखनऊ में सवाल दरपेश है, इस पर हम कंसीडर (विचार) कर रहे हैं और मियाद दी हुई है कि १५ अक्तूबर तक इसको उठाने की जरूरत महसूस की जाती है। जहां पर कंट्रोल है वहां पर उठाने की कार्रवाई होती रहती है और जहां उठाया जा सकता है वहां उठा दिया जाता है।

मैं समझता हूं कि जहां तक इस बिल का ताल्लुक है एक बहुत थोड़ी सी बात इसके अन्दर है कि दो साल के लिये बढ़ा दिया जाय। इसके लिये इतना किस्सा मुझे अर्ज करना था वह मैंने अर्ज कर दिया। अगर मुझे आयन्दा किसी मालूमात के रखने की जरूरत हुई तो मैं रख दूंगा या जो कुछ मुनासिब जवाब होगा वह मैं अर्ज कर दूंगा। इस वक्त मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूं और समझता हूं कि ऐवान संजीदगी के साथ गौर करके इन नतीजे पर पहुंचेगा कि वाकई इसकी जरुरत है और दो साल के लिये इसकी मियाद और बढ़ा दी जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से माननीय वित्त मंत्री के बिल में यह संशोधन रखना चाहता हूं कि यह उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ़ कंट्रोल) विधेयक, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है इस सदन की एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय। सदस्यों के नाम मैं बाद को सुना दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, आज जो विधेयक माननीय वित्त मंत्री जी ने हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया है वह हमारे प्रदेश के लिये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिछले दिनों से इस सदन में और वैसे भी सरकार की ओर से आने वाले भावी निर्माण योजनाओं के बारे में, हमारे प्रदेश के निर्माण कार्य के बारे में जो कुछ भी हम सुनते रहे हैं वह सब बिजली के उचित वितरण पर, उसके प्रोडक्शन पर निर्भर है। तो आज जो यह विधेयक हमारे सामने आया है यह हर दृष्टि से, भावी निर्माण की दृष्टि से, शहरों में रहने वाली जनता की दृष्टि से और देहात की जनता की दृष्टि से जो आज भी ट्यूबवेलों के द्वारा या बिजली के नलकूपों द्वारा यह स्वप्न देखा करते हैं कि हम अपनी खेती को बढ़ायेंगे उनके लिये भी यह अत्यन्त आवश्यक है। लेकिन हम यह देखते हैं कि यह विधेयक बिलकुल ही अधूरा है। यह विधेयक उन आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता जिनसे हमारे प्रदेश की बिजली की आवश्यकता पूरी हो सके या जितनी बिजली हमको प्राप्त है उसका उपयोग और उसका संचार ठीक कर सकें। हम यह देखते हैं कि जब यह कहा जाता है कि इंडियन एलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट, १९१० के मातहत हम चल रहे हैं और यह भी कहा जाता है कि एलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ऐक्ट, ४८ हमारे सामने है उससे भी हम गाइड होते हैं। फिर यह भी देखते हैं कि यह विधेयक हमें पास करना चाहिये और इसी रूप में पास करना चाहिये। अगर हम इसको इसी रूप में पास करते हैं तो यह विधेयक इंडियन इलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट, १९१० और ऐलेक्ट्रिक सप्लाई ऐक्ट, ४८ दोनों पर कुठाराघात करता है और जो कुछ केंद्रीय सरकार करना चाहती है उसको भी रोकने का प्रयत्न करता है।

मैं थोड़े विस्तार के साथ सदस्यों का ध्यान और सरकार का ध्यान इसके उपबन्धों की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि किस प्रकार यह विधेयक रुकावट डालता है। अगर आप सन् १९४७ ई० के इसके प्राविजनों की ओर नजर डालें तो उससे यह साफ प्रकट होता है कि इंडियन

इलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट, १९१० की दफा २२ के मुताबिक कम्पनी हर लाइसेन्सी को बिजली दे। यह दफ़ा २२ के अनुसार कम्पनी के लिये लाजिमी था। उस सेक्शन २२ पर कंट्रोल रखने के लिये यह विधेयक बनाया गया था और यह कितने दिनों के लिये बनाया गया था, केवल एक साल के लिये पहले बनाया गया था। उसमें शुरू के ऐक्ट में, यह है कि:--

"It shall cease to have effect after September 30, 1948, except as respects things done or omitted to be done before the expiration thereof and section 6 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904, shall apply upon the expiry of this Act as if it had then been repealed by an Act of this State."

[इसका प्रभाव ३० सितम्बर, १९४८ के पश्चात विरत हो जायगा अतिरिक्त उन चीज़ों के जो उसके समाप्त होने के पूर्व की गयी हों या करने से छूट गयी हों और इस अधिनियम के समाप्त होने पर उत्तर प्रदेश जनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४ की धारा ६ लागू होगी जैसे कि यह इस राज्य के अधिनियम से उस समय निरस्त हो गया हो।]

यह मन्शा इस सदन का था कि एक साल के बाद यह खुद रिपील (निरस्त) हो जायगा। जिस वक्त यह सवाल इस सदन के सामने गया था तो उसने यह स्वीकार किया था कि यह मंजूर किया जाय। सन् १९४८ ई० में इसको २ साल के लिये एक्सटेंशन (विस्तार) मांगा गया था कि हमारी सन् १९५० में पूर्ति हो जायगी और हम हजारों मांगने वालों को बिजली दे सकेंगे। सन् १९५० भी आया और सन् १९५० में दो साल के लिये इसका एक्सटेंशन (विस्तार) मांगा गया कि हम सन् १९५२ ई० में इसको पूरा कर लेंगे। जब सन् ५२ उपस्थित है तो कहा जाता है कि हम इसको सन् १९५४ ई० में पूरा कर लेंगे। मैं आपसे कहता हूं कि सन् १९५४ ई० में भी हमारे वित्त मंत्री जी इस विधेयक को हमारे सामने लायेंगे और कहेंगे कि इसको दो साल के लिये और बढ़ा दिया जाय। फिर यह कहना कि २ साल की मियाद और बढ़ाई जाय यह कहां तक मुनासिब हो सकता है। मैं उनके भाषण को बहुत ध्यान से सुन रहा था, लेकिन मैं जान न सका और जानना चाहता हूं कि उनका 'लिमिटेट पीरियड' क्या है। ऐक्ट के प्रीएम्बल में लिखा है:--

"An Act for the continuance during a limited period of powers....

['शक्तियों की परिमित अवधि के बीच जारी रखने के लिये एक अधिनियम....']

यह तो लिमिटेड के बजाय और अनलिमिटेड (अपरमित) होती चली जा रही है और इसका कोई ठिकाना ही नहीं है।

माननीय मंत्री जी ने यह आंकड़े बतलाये कि सन् ५४ जब आवेगा तो ४२ हजार किलोवाट बिजली और पैदा हो जायगी और तब सोचेंगे कि कितने साल के लिये फिर एक्सटैण्ड (विस्तार) किया जाय लेकिन उन्होंने यह नहीं बतलाया कि डिमाण्ड कितनी है। यह मान लें कि ४२ हजार किलोवाट हम सन् ५४ तक पैदा कर लेंगे लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि जरूरत कितनी है।....

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम--मैंने अर्ज कर दिया था। मैंने डिमांड (मांग) भी बयान कर दी थी और सुनने वालों ने सुना भी होगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी--मान लीजिये कि उन्होंने डिमाण्ड के आंकड़े दिये भी तो उनको अलग अलग देने चाहिये थे कि डोमेस्टिक परपजेज (घर के प्रयोजनों) के लिये, एग्रीकल्चरल परपजेज के लिये और इंडस्ट्रियल परपजेज के लिये कितनी आवश्यकता है। उन्होंने एग्रीकल्चरल परपजेज के लिये ६० फीसदी और इंडस्ट्रियल परपजेज के लिये ३० फीसदी और डोमेस्टिक परपजज के लिये १० फीसदी बटवारे की बात रखी है। जब कि

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

उन्होंने सन् ५० में अपने भाषण में बताया था डिमण्ड के बारे में, मैं उसको आपकी आज्ञा से हाउस के सामने पढ़ना चाहता हूं। पेज १९२ पर उन्होंने कहा था कि "गोया मैं यह अर्ज करा रहा था कि दो साल की मियाद कैसी है। मेरे नजदीक २ साल के बाद वक्त आयेगा जब हम, (मेरी मुराद अपने आप से नहीं है बल्कि जितने इनसान हैं यहां के) जितने हमारे दोस्त यहां बैठे हैं, वे सब रिव्यू करेंगे उस स्थिति को और उस वक्त तय करेंगे की हम बिजली का कन्ट्रोल जारी रखें या न रखें। क्या होगा उस वक्त तक यह मैं अर्ज किया चाहता हूं। इससे यह अन्दाजा होगा कि ५२ में जा कर इस सूबे के अन्दर बिजली की पोजीशन क्या होगी।" आगे उन्होंने बताया था कि मुहम्मदपुर और सुहावल स्टेशन तैयार हो जावेंगे तो ३२ हजार किलोवाट और बढ़ जावेंगे और इसीलिये यह २ साल का वक्त मांगा जा रहा है। उन्होंने कहा था कि २ साल में आवश्यकता की पूर्ति हो जायगी। डिमाण्ड के बारे में भी उन्होंने कहा था कि आज इस स्टेट के अन्दर एक लाख किलोवाट बिजली है और वहां ७ लाख की डिमाण्ड मौजूद है। और जब माननीय श्री गोपाल नारायण सक्सेना ने उनसे उस समय पूछा कि 'यह मांग कहां से आई और आप जरा बतला दें कि आपने यह कैसे केलकुलेट (गणना) किया है।' तब उन्होंने, हाफिज जी से कहा था कि 'मैं बड़े अदब से अर्ज करूंगा कि हजारहा दरख्वास्तें रखी हुई हैं और उनके किलोवाट जोड़े गये हैं और उनसे इस नतीजे पर पहुंचा गया है। तमाम दरख्वास्तें जो सप्लाई कम्पनीज के आफिस में या इंसपेक्टर वगैरह के यहां गुजरती रही हैं वे सब मौजूद हैं।' यानी सन् ५० में ७ लाख किलोवाट की डिमाण्ड सरकार के पास पहुंची हुई थी। तो आप जरा विचार करें कि जब सन् ५० में ७ लाख किलोवाट की मांग मौजूद थी तो वह कितनी और बढ़ गई होगी। अब मंत्री जी कहते हैं कि सन् ५४ तक केवल ४२ हजार किलोवाट होगी तो आप देखें कि कहां ७ लाख किलोवाट और कहां ४२ हजार। कितने ही सालों तक आप प्रयत्न करते रहेंगे और मियाद बढ़ाते रहेंगे तब भी आप पूरा नहीं कर सकेंगे। उनका उस वक्त का भाषण मेरे पास है उसको जो साहब चाहें देख सकते हैं। ५ ईयर प्लान (पंच-वर्षीय योजना) में कहा गया है कि अगले १५ साल में कितनी बिजली का प्रोडक्शन होगा जब कि वह सारी योजना पूरी हो जायगी। इस को भी मैं आप की आज्ञा से पढ़ दूं

"The production would have increased from 64,600 kilowatts at present to 5,41,400 kilowatts on the completion of the 15 year plan, more than 8 times the present capacity. ...."

[१५ वर्षीय योजना के पूर्ण होने पर उत्पादन ६४,६०० किलोवाट से, जो कि इस समय है, ५,४१,४०० किलोवाट बढ़ गया होता, वर्तमान सामर्थ्य से अठगुने से भी अधिक···।]

यानी १५ साल के बाद ५ लाख ४१ हजार किलोवाट बिजली आपके पास होगी। तो आपकी ७ लाख और १० लाख की डिमांड कहां पूरी हुई? अगर आप १५ साल का भी मौका दें तो भी यह डिमांड आपकी पूरी नहीं हो सकती, ये आपके ही आंकड़े हैं, सोशलिस्ट पार्टी के नहीं हैं। इसलिये यह विधेयक एक टेम्पोरेरी पैलियेटिव की तरह हमारे सामने रख दिया गया है। एलैक्ट्रिसिटी ऐक्ट सन् ४८ का यह अपहरण करता है। जरा दोनों के प्रियम्बिल को तो मिलाइये (हमारे ऐक्ट का और सेंट्रल ऐक्ट का) हमारे ऐक्ट में कहा गया है—

"Whereas it is expedient to provide for the continuance during a limited period of powers to control the production, supply and distribution of and trade and commerce in electricity ....."

[चूंकि यह आवश्यक है कि बिजली के उत्पादन, पूर्ति और वितरण का तथा बिजली में व्यापार और वाणिज्य के नियंत्रण की शक्तियों की परिमित अवधि के लिये जारी रखने के लिये उपबन्ध किया जाय····।]

यह हमारा उद्देश्य है। सेंट्रल के ऐक्ट का उद्देश्य है--

"An Act to provide for the rationalization of the production and supply of electricity and generally for taking measures designed to the electrical development of the provinces of India."

[बिजली के उत्पादन एवं पूर्ति के अभिनवीकरण के लिये और साधारणतया भारतीय प्रांतों के बिजली के विकास के लक्ष्य के आयोजन, सम्पादन को उपबद्ध करने के लिये एक अधिनियम ।]

आप देखिये कि उद्देश्य है 'रेशनालाइजेशन आफ प्रोडक्शन ऐंड सप्लाई' और 'डिस्ट्रीब्यूशन आफ प्रोडक्शन ऐंड सप्लाई।' एक ही उद्देश्य है। तो उस कार्य को सेंट्रल गवर्नमेंट ने सन् ४८ में ऐक्ट के द्वारा पूरा किया है। लेकिन हमारी सरकार को देखिये और हमारे माननीय मंत्री की हमारे ऊपर मेहरबानी को देखिये कि आज तक उस सप्लाई ऐक्ट को यहां लागू नहीं किया है। सन् ४८ का सप्लाई ऐक्ट अगर आज हमारे मंत्री जी लागू कर दिये होते तो इस विधेयक की आवश्यकता न होती। जितनी बातें इसमें हैं उनसे ज्यादा ही ४८ के ऐक्ट में मौजूद हैं। पिछले बजट अधिवेशन में हमारे माननीय मंत्री जी ने फरमाया था कि हमने तो प्राविंशियल एलैक्ट्रिसिटी बोर्ड बनाया ही नहीं। मैं जानना चाहूंगा कि क्या उन्होंने सन् ४८ के एलेक्ट्रिक सप्लाई ऐक्ट के अनुसार प्राविंशियल एलैक्ट्रिसिटी बोर्ड बनवाया। क्या बोर्ड की वही ताकत नहीं थी जिसकी आज हम और आप बातें करते हैं? एलैक्ट्रिसिटी ऐक्ट की धारा १ में लिखा हुआ है--

"This section and sections 3, 4, 57, 58 and 77 and the sixth schedule and the table appended to the 7th schedule of this Act, shall come into force at once."

[यह धारा और धारायें ३,४,५७,५८ एवं ७७ और छटा परिशिष्ट और वह सूची जो इस अधिनियम के सप्तम परिशिष्ट में सम्बद्ध है, तुरन्त लागू हो जायगी।]

४ की उपधारा में लिखा है--

"The remaining provisions of this Act shall come into force in a province on such date not latter than 2 year from the coming into force of these sections and schedule and table ....."

[इस अधिनियम के शेष उपबन्ध किसी प्रान्त में उस दिनांक को लागू होंगे जो इन धाराओं, परिशिष्ट और सूची के लागू होने के २ वर्ष बाद न होंगे--]

अब आप बतलाइये कि एलैक्ट्रिसिटी ऐक्ट की जो टेबिल और शैड्यूल है ये हमारी सरकार को माने हुये सालों हो गये। सन् ४९ में ही उसने इन्हें मान लिया था। माननीय मंत्री जी ने कहा कि ऐक्ट के अनुसार ५ परसेंट से अधिक मुनाफा नहीं हो सकता लेकिन २ साल के बजाय ४ साल बीत गये और बोर्ड नहीं बना। मैं समझता हूं कि शायद यह एक तमाशा है कि विधेयक को इम्पलीमेंट नहीं किया जाय। केवल बोर्ड की ही बात नहीं थी। यदि ऐसा ही होता तो मैं संतोष कर लेता। इसके अलावा एक प्राविंशियल एलैक्ट्रिकल काउंसिल भी थी जिसके द्वारा तमाम शहरों में सदस्यों को बिजली नियंत्रण करने का पूरा अधिकार होता। धारा १६ में लिखा गया है कि--

"The Provincial Government shall constitute a Provincial Electricity Council for the province and in cases to which section 6 or section 7 applies, the Provincial Governments concerned shall constitute such one or more Provincial Councils."

[प्रांतीय सरकार प्रांत के लिये एक प्रांतीय बिजली परिषद् का निर्माण करेगी और उन मामलों में जिनमें धारा ६ व ७ लागू होती है सम्बद्ध प्रांतीय सरकार ऐसी प्रांतीय काउन्सिल या अधिक काउन्सिलों का निर्माण करेगी।]

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

आप यह देखें कि सन् ४८ में यह कानून लागू हुआ और माननीय मंत्री कहते हैं कि यह कानून लागू है लेकिन उसको लागू नहीं करते हैं। कौंसिल का पता नहीं और बोर्ड का पता नहीं । बोर्डस और बिजली के नियंत्रण के लिये हमने सलाह दी थी कि बड़े बड़े शहरों में यानी कानपुर, लखनऊ, बनारस वगैरह में लोकल एडवाइजरी कमेटीज बना दी जायं लेकिन माननीय मंत्री जी ने इस पर चुप्पी साध ली क्योंकि इलैक्ट्रिसिटी ऐक्ट में लिखा था कि लोकल एडवाइजरी कमेटी बनायी जाय। मैं जानना चाहता हूं कि कितने रीजन ऐसे हैं, जहां बिजली कम्पनियां हैं और वहां आपने एडवाइजरी बोर्डस भी बनाये हैं। दफा १७ में लिखा हुआ है ---

"The Provincial Government may from time to time, constitute in such areas as it may deem fit Local Advisory Committees consisting of such number of persons as it may deem fit."

[प्रांतीय सरकार, समय समय पर ऐसे क्षेत्रों में जहां यह उचित समझती है, स्थानीय परामर्शदात्री समितियों का निर्माण कर सकती है, जिनमें सदस्यों की उतनी संख्या होगी जितनी यह उचित समझेगी।]

इन लोकल ऐडवाइजरी कमेटीज के पावर्स और फंक्शन्स भी दिये गये हैं। न तो एलेक्ट्रिसिटी कौंसिल ही बनाई गई, न बोर्ड ही बनाया गया और न लोकल ऐडवाइजरी कमेटी ही बनाई गई। आपका ऐक्ट पास हो गया लेकिन हमें नहीं मालूम कि कितने कंज्यूमर्स हैं। आज हमारे पास इस बारे में कोई आंकड़े नहीं हैं। सन् ४७ से यह ऐक्ट लागू हुआ है, क्या आपको पता है कि यह किस प्रकार लागू हुआ? ट्रांसपोर्ट में इन्फोर्सिग स्टाफ होता है राशनिंग में भी इन्सपेक्टर होते हैं जो राशन कार्ड्स की जांच करते हैं लेकिन क्या आपके पास इस परपज के लिये कोई इनफोर्सिंग स्टाफ है? क्या आप बता सकते हैं कि किस को कितनी पावर (बिजली) मिली है और वह कितनी पावर इस्तेमाल कर रहा है। किसी को ५ किलोवाट दिया हुआ है तो वह १० किलोवाट इस्तेमाल कर रहा है। इसमें बड़ी ब्लैकमार्केटिंग चल रही है। जिनको जरूरत है उनको बिजली नहीं मिलती और जिन को जरूरत कम है वे जरूरत से ज्यादा बिजली खर्च कर रहे हैं लेकिन आज सरकार के पास कोई अथोरिटी ऐसी नहीं कि जिसके जरिये से वह जांच करा सके। क्या केवल एक एलेक्ट्रिकल इन्सपेक्टर ऐसी जांच कर सकता है? नहीं कर सकता है।

यह विधेयक बना तो दिया गया, सदन ने पास तो कर दिया लेकिन जहां तक इसको लागू करने का सवाल है वह फेल हो गया। प्रायोरिटी की बात कही गयी। पहिले यह होता था कि बिजली कंपनियां लोड लिखती थीं वह इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट जाता था फिर पी० डब्लू० डी० में जाता था। लेकिन क्या आपने देखा कि यह प्रायोरिटी किन को दी गई? प्रायोरिटी सिनेमा घरों को दी गई। चले जाइये बड़े बड़े शहरों में। बिजली के कनेक्शन पर कनेक्शन दिये गये, जिनमें ३–३, ४–४ शो दिखाये जाते हैं।

श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम--- झूठ है, बिलकुल झूठ है। उत्तर प्रदेश में सिनेमा घरों को बिजली दी ही नहीं गई।

श्री नारायणदत्त तिवारी---यह क्या माननीय मंत्री कोई प्वाइन्ट आफ आर्डर (वैधानिक प्रश्न) उठा रहे हैं? उनका इस तरह बीच में बोलना उचित नहीं है।

उपाध्यक्ष---वे आपको एक सूचना दे रहे हैं। यह बात गलत है ऐसी सूचना वे आपको दे रहे हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी---बाद को ऐसी सूचना देने की इजाजत हमको भी देदीजिये।

उपाध्यक्ष --आपको भी दी जा सकती है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--प्रायोरिटी बड़े बड़े सिनेमा हाउसेज को दी गई जिनमें तीन-तीन और चार-चार शो होते हैं। बिजली के कनेक्शन उनको बड़ी खूबी के साथ दिये गये २-२, ३-३ साल पहिले जो सिनेमा घर बन्द हो गये थे वे भी जारी हो गये। इलाहाबाद के अन्दर और लखनऊ के अन्दर आज भी ऐसे सिनेमाघर हैं। उनके पास बिजली कहां से आती है? क्या उनको लोकल लोड दिया जाता है या उनकी कोई निजी बिजली होती है?

कहा गया कि शहरों में तो अब बिजली बढ़ा दी गई, लेकिन ग्रिड एरिया में अभी बिजली की कमी है। यह बात मेरी समझ में नहीं आई। माननीय मंत्री जी अगर इसको समझा दें तो अच्छा हो। आपका जो ग्रिड एरिया है वहां पर मिसाल के तौर पर बरेली में ट्यूब-वेल्स तो आपने बढ़ाये ही नहीं हैं पूर्वी जिलों में आपने बढ़ाये हैं? लेकिन इस भाग में ट्यूब-वेल्स नहीं बढ़ाये हैं। जहां ग्रिड एरिया है वहां आप कैसे बिजली सप्लाई करने को तैयार हैं, यह आपने नहीं बतलाया। आपने यह जरूर कहा कि १७०० किलोवाट ग्रिड एरिया में बिजली बढ़ी। लेकिन हमको यह नहीं मालूम हुआ कि ग्रिड एरिया की जो डिमांड है वह कैसे पूरी होगी। अगर आप एलेक्ट्रिक सप्लाई ऐक्ट को मान लेते और उसे लागू करते तो ग्रिड टैरिफ ऐक्ट के अनुसार हो सकता। धारा ४७ में आपकी आज्ञा से पढ़ देना चाहता हूं:--

"A Grid Tariff to be known as the Tariff Provision shall in accordance with any regulation made on this behalf be fixed from time to time by the Board in respect of each area for which the scheme is in force."

[ग्रिड टैरिफ जिसका नाम टैरिफ प्राविजन कहलायेगा उस नियमन के अनुसार जो इसके लिये बनाया गया है बोर्ड के द्वारा प्रत्येक क्षेत्र के लिये जिसके लिये वह योजना लागू है नियत किया जायगा।]

और इस ग्रिड एरिया में जो बोर्ड की ताकत है उसे भी आप जरा देख लीजिये।

"Where only a portion of the licencee's maximum demand for the purpose is chargeable under the Grid Tariff the price payable for the portion shall not be greater than the average price, and the Grid Tariff may contain provisions for adjustment of prices having regard to the power factor or supply or the cost of fuel and coal. A minimum charge or surcharge of a pice....irrespective of the demand of the licencee for coal.

for regulating the rates....."

[जिसमें लाइसेंसी के प्रयोजन के लिये अधिकतम मांग का केवल एक भाग ग्रिड टैरिफ के अधीन अधिरोप्य है, उस भाग के लिये जो मूल्य दिया जायगा वह अनुपात के मूल्य से अधिक न होगा और ग्रिड टैरिफ शक्तवयव या पूर्ति, या लकड़ी और कोयला के मूल्य का ध्यान रखता हुआ मूल्यों के व्यवस्थापन के लिये उपबन्ध रख सकता है। किसी मूल्य का न्यूनतम अधिरोप्य या अधिभार .... कोयले के लिये लाइसेंसी की मांग का अनपेक्ष दरों के विनियमन के लिये...]

तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि अगर हमारे माननीय मंत्री जी मेहरबानी करके एलेक्ट्रिक सप्लाई ऐक्ट को ठीक प्रकार से लागू करते तो उनको यह परेशानी जो उठानी पड़ रही है, जिसे उन्होंने कहा है उसकी आवश्यकता न पड़ती। सन् ५० में एक अमेंडमेंट इस सदन ने मंजूर किया सेक्शन ३ ए० ए० कार रेगुलेटिंग रेट। रेगुलेट तो आपने कर दिया है लेकिन जहां फिक्स करने का सवाल है, लागू करने का सवाल है, उसमें हमारा विधेयक बिलकुल अधूरा है। उसमें आप किस प्रकार से मैक्जिमम कर देंगे या मिनिमम कर देंगे यह बात तो है लेकिन किस

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

प्रकार से रेगुलेट करेंगे, किस प्रकार से फिक्स करके उसे इनफोर्स करेंगे उसके लिये विधेयक में कोई बात नहीं है। हमारी हुकूमत एलेक्ट्रिक सप्लाई ऐक्ट को मानने को तैयार नहीं है। एलेक्ट्रिक सप्लाई ऐक्ट की धारा ५७ में अगर माननीय मंत्री जी देखेंगे तो धारा ५७ की उपधारा सी० में रेट्स के बारे में दिया हुआ है।

"Within one month after the receipt of the report under clause (b), the Provincial Government shall cause the report to be published in the official Gazette and may, at the same time, make an order in accordance therewith fixing the licencee's charges for the supply of electricity."

[खंड (ख) के अन्तर्गत प्रसूचना की प्राप्ति के एक मास के भीतर प्रान्तीय सरकार उस प्रसूचना को सरकारी गजट में छपवायेगी और साथ ही साथ उसके अनुसार बिजली की पूर्ति के लिये लाइसेंसी के अधिरोप को नियत करती हुई आदेश निकाल सकती है।] तो हमारे विधेयक में केवल रेगुलेटिंग की बात है, फिक्स करने के मामले में वह अधूरा है। पांच-चार साल बीत गये, आखिर में कैसे मानूं कि हमारी सरकार प्रान्त में बिजली ठीक मात्रा में, ठीक प्रकार से और नियंत्रित रूप से देना चाहती है अब मैं आपको क्या बताऊं, एक के बाद एक एलेक्ट्रिक सप्लाई ऐक्ट की ऐसी धारायें मैं दिखला सकता हूं। जिसके द्वारा आज हमारे माननीय मंत्री जी चाहते हैं लेकिन उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं होती है पूरी हो सकती है। मैं कहता हूं कि वे एक बार इसको लागू करके तो देखें कि यह क्या है! इस तरह से आपकी फाइलों में, लाइब्रेरी में, या आपकी आलमारियों में किताबें पड़ी रहेंगी और उनकी धारायें काम में नहीं आयीं तो फिर क्या फायदा होगा। आप एक बोर्ड बनावें, एक कौंसिल बनावें, लोकल ऐडवाइजरी कमेटी बनावें और उसे ताकत दें कि वे इस काम को अच्छी तरह से कर सकें।

मैं आपको नैनीताल का ही किस्सा बतलाऊं कि वहां पर गरीबों की हालत बहुत खराब है। नैनीताल तालाब के चारों तरफ रंग बिरंगी लाल, नीली, पीली बिजली बत्तियां लगायी जाती हैं और कहा जाता है कि बाहर से आने वालों को दिखाने के लिये यह किया जाता है। बाहर से आने वालों के देखने के लिये तो यह किया जाता है, लेकिन गरीब मेहतरों के घरों में जो बिजली के कनेक्शन्स म्युनिसिपल बोर्ड की तरफ से लगे हुये हैं वे काट दिये जाते हैं। बाहर से जो देखने के लिये आते हैं वे नकली शोभा देखने के लिये नहीं आते हैं बल्कि प्राकृतिक शोभा देखने के लिये ही आते हैं। वहां की प्राकृतिक शोभा ही इतनी है जो देखने के लिये बहुत काफी है। लेकिन नियंत्रण के नाम पर मेहतरों के घरों से बिजली के कनेक्शन काट कर तालाब के चारों तरफ बिजली लगाने का प्रोग्राम यह कहां तक शोभा की चीज है, यह जरा सोचने की बात है। अगर माननीय मंत्री जी उस तरह के संशोधन लाते और कहते कि ये बिजली के कनेक्शन केवल एग्रीकल्चरल या इंडस्ट्रियल परपजेज (औद्योगिक प्रयोजनों) के लिये हैं, तब तो बात समझ में आ सकती थी। अगर डोमेस्टिक परपजेज के लिये आप कोई संशोधन लाते तो मैं बहुत खुश होता। डोमेस्टिक परपजेज से मेरा मतलब यह है कि जो म्युनिसिपैलिटीज के अन्दर रहनेवाले जितने नागरिक हैं और जो निम्न मध्य वर्ग की जनता है वह एक या दो बल्ब मांगती है उनके लिये आपने १० परसेंट मांग होने पर भी जो कंट्रोल लगा रखा है वह भी मेरी समझ में नहीं आया। आप कहते हैं कि शहरों में बिजली की हालत सुधरी है और ज्यादा बिजली पैदा कर ली है और दूसरी तरफ आप हाइडेल ग्रिड' की बात कहते हैं। उधर आप शहरों के लोगों को, गरीब जनता को बिजली बढ़ने पर भी कनेक्शन देने के लिये तैयार नहीं हैं तो यह तो हालत है। आपने रेट्स की बात कही है। अगर रेट्स के बारे में मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूं तो उनको और भी ज्यादा आश्चर्य होगा। रेट्स में आप देखिये इतना बेतुकापन है। मेरे पास पब्लिक इलेक्ट्रिसिटी रेट्स की किताब मौजूद है जो सेन्ट्रल एलेक्ट्रिसिटी कमीशन के जरिये हुई और उन्होंने सारे

हिन्दुस्तान में बिजली के रेट्स की इन्क्वायरी की है। लाइट और फैन्स के बारे में अलीगढ़ में डोमैस्टिक परपजेज़ के लिये मिनिमम चार्जेज़ १ रुपया ८ आना है, आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, गाजीपुर में भी वही रेट हैं। अब गाजीपुर देखिये वह तो कोई बड़ा शहर नहीं है और बलरामपुर वहां १ रुपया ८ आना है और दूसरी जगह बरेली और बनारस में, केवल बनारस को ही ०.२५ किलोवाट एक रुपये में मिलेगी और सब जगह ८ आने इसके चार्ज किये जाते हैं और १०० वाट्स के ऊपर १ रुपया। अब इंडस्ट्रियल परपजेज के लिये लीजिये। बरेली में इंडस्ट्रियल परपजेज के लिये ५ रुपया ७ आना ६ पाई, इलाहाबाद में ६ रुपये, बलरामपुर और बदायूं में ५ रुपये पर बी० एच० पी० और बनारस में ३ रुपये ८ आने २ पाई पर बी० एच० पी०। इलाहाबाद में ६ रुपये और बनारस में ३ रुपये ८ आने २ पाई यह अलग रेट्स मौजूद हैं। और मंसूरी और नैनीताल को ले लीजिये। मंसूरी में ५ आना पर के० डबलू० एच० और नैनीताल में ८ आना पर के० डबलू० एच० है--

अब जेनरेशन का सवाल लीजिये। हमारे माननीय मंत्री जी कहते है कि जैनरेशन एलेक्ट्रिसिटी का बढ़ गया है और उनके ही स्टैटिस्टिक्स बतलाते हैं कि ४८ में ४ लाख ३८ हजार २९ मिलियन के० डबलू० एच० बिजली पैदा हुई और ५० में उससे ३२ हजार मिलियन कम हो गई। पेज २८१ स्टैटिस्टिक्स ५२ को जो किताब है उसमें लिखा हुआ है।

"The generation of electricity in the State of Uttar Pradesh declined in thousand units by 3,582, to 44,894, during February, that is a corresponding fall of 2981 thousand units in the total State."

[उत्तर प्रदेश राज्य में बिजली का उत्पादन फरवरी में हजारों यूनिट--३,५८२ से ४४,९९४ तक गिरा है, यानी कुल राज्य में २,८८१ हजार यूनिट का आनुक्रमिक पतन।] तो जो आंकड़े हमें स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट की तरफ से या हमारी गवर्नमेंट की तरफ से मिलते हैं जो हर मेम्बरों को बांटे जाते हैं उससे मेम्बरान और भी भूलभुलैया में डाल दिये जाते हैं, किसको मानें किसको न मानें। माननीय मंत्री जी की बात को मानें या इसमें जो घटा-बढ़ी या चढ़ाव-उतार है उस को मानें? बड़ी समस्या आ गयी है सदन के सदस्यों के सामने क्या करें, क्या न करें। अगर पढ़ते नहीं हैं तो मैंने खुद सुना है लोगों को कहते हुये कि मजाक है क्या करना है मेम्बर लोग देखते-पढ़ते थोड़े ही हैं, मिलाते थोड़े ही हैं, ऐसे ही बांट दो। यह ख्याल होता है। और अगर हम पढ़ दें तो कहा जाता है कि नारायण दत्त जी आंकड़ों के जाल में फंस जाते हैं। शिकायत यह है कि आंकड़े क्यों पढ़ते हैं। तारीफ़ की बात तो यह है। तो मैं माननीय मंत्री जी से अर्ज करूंगा कि रेट्स का जो फर्क है इसकी तरफ़ भी ग़ौर करें।

इंडस्ट्रियल कंजम्पशन की बात कही गयी। पिछले इतने सालों में, ४६ से आज तक कोशिश हुई और जो कुछ भी हुआ उस के लिये मैं माननीय मंत्री जी को बधाई दे सकता हूं। लेकिन क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस प्रदेश ने कितनी तरक्की की है। मैं कहता हूं कि हमारे प्रदेश ने इस दिशा में बिलकुल तरक्की नहीं की है? सेंट्रल एलेक्ट्रिसिटी कमीशन क्या बतलाता है। सन् १९४९ ई० में बिजली के इंडस्ट्रियल कंजप्शन की क्या हालत थी--ट्रावनकोर कोचीन में ८०.३ फ़ी सदी, मैसूर में ७७ फीसदी, उत्तर प्रदेश में ५६.५ फ़ीसदी। तीसरा नम्बर था हमारे प्रदेश का इंडस्ट्रियल कंजप्शन में। उसके बाद बंगाल और बम्बई का नम्बर था। लेकिन एक साल के बाद ५० में क्या हालत आ गयी। हम सातवें हो गये। ट्रावनकोर कोचीन ८८ फीसदी, मैसूर ८७ फीसदी, बंबई और बंगाल आगे बढ़ गये, बम्बई ८४ फीसदी, पश्चिमी बंगाल ७७ फीसदी उत्तर प्रदेश ५८ फीसदी। इसी तरह हम सातवें नम्बर पर पहुंच गये। यही हमारे यहां का बिजली का इंडस्ट्रियल कंजम्शन बढ़ा कि तीसरे नम्बर से सातवें नम्बर पर पहुंच गये। यह रिपोर्ट मेरी नहीं है। सेंट्रल एलेक्ट्रिसिटी कमीशन की रिपोर्ट मौजूद है।

उपाध्यक्ष---लम्बी दौड़ में हमारा प्रदेश सब से आगे चला जायगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी---तो मैं आप से अर्ज कर रहा था कि इस ऐक्ट के लागू होने से हमने कितनी तरक्की की । अगर तीसरे से सातवें नम्बर पर आना तरक्की कही जा सकती है, तो जरूर तरक्की हुई है ।

अभी सिनेमा का नाम सुना तो माननीय मंत्री जी को बुरा लगा । लेकिन मैं फिर सिनेमाओं पर आऊंगा । उसके चार्जेज की तरफ अगर ध्यान दिलाया जाय तो शायद माननीय मंत्री जी को भी आश्चर्य होगा । सेंट्रल एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने बताया है कि सिनेमाओं से किस हिसाब से रेट लिया जाता है । बरेली में १७७ रुपये ३ आने महीना । बनारस, लखनऊ और इलाहाबाद में २० रुपया महीना, आगरा में १७० रु० महीना । बलरामपुर में ७७ रुपया आठ आने महीना । बिजनौर में ५ रुपया महीना । यह सुन कर सदन को आश्चर्य होगा। लेकिन यह रिपोर्ट है सेंट्रल एलेक्ट्रिसिटी कमीशन की।

इसके बाद अगर आप उनकी शर्तें देखें तो आप को और भी आश्चर्य होगा कि अलग-अलग कम्पनियों ने किस प्रकार से अलग-अलग शर्तें रखी हैं। मैं तो बोर्ड के कायम होने की मांग करूंगा, इसलिये मैंने यह प्रस्ताव रखा है कि यह विधेयक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय। या तो माननीय मंत्री जी आश्वासन दें कि यह बोर्ड बनेगा, जिसकी इतने सालों से मांग की जा रही है, वह पूरी की जायगी, एडवाइजरी कमेटी बनेगी । नहीं तो ये सारी शर्तें कैसे रखी जायंगी । अब आप जरा शर्तें देखिये। सुहावल में पावर स्टेशन है उस में एक कोल क्लाज लगाया गया है । उस में लिखा है---

" For every 8 annas rise or fall in the cost of coal from Rs.10-8 per ton, 0.01 anna per cwt. increase or decrease will be made in the rates."

[कोयले के मूल्य में प्रत्येक अठन्नी के बढ़ने और घटने , १० रुपये ८ आने से ०.०१ आना प्रति हंडरवेट के रेट में वृद्धि या घाटा होगा।]

सुहावल पावर स्टेशन में यह फर्क देखिये। गाजीपुर में अगर आप देखिये, उस में क्या लिखा है । पांच रुपये और ले लिये जायंगे ।

" Each power consumer is required to enter into an agreement with the company and guarantee for a period of two years a minimum payment of Rs.5 per month in addition to meter rent, inrrespective of whether energy of this value is consumed or not."

[प्रत्येक शक्ति उपभोक्ता को आवश्यक है कि वह कंपनी के साथ करार करे और मीटर के किराये के अतिरिक्त दो वर्ष के लिये उसे ५ रुपये न्यूनतम भुगतान की प्रतिशत इस बात के निरपेक्ष करनी होगी कि इस मूल्य की शक्ति खर्च की गयी या नहीं की गयी।]

बी देखिये । गाजीपुर में ही दूसरा यह लिखा है ।

" The company reserves the right to charge interest on bills over-due for payment."

[भुगतान के लिये कालातीत विपत्र के ऊपर स्वत्व के प्रमाण के अधिकार को कम्पनी सुरक्षित रखती है ।]

और कहीं नहीं, यहां इंटरेस्ट भी है । फ़र्रुखाबाद में क्या लिखा है पावर कंपनी में, "८ १/२ परसेंट सरचार्ज इज लेवीड आन आल रेट्स"। यानी सब दरों पर साढ़े आठ परसेंट सरचार्ज है । हाथरस, बुलन्दशहर, अलीगढ़ में क्या है कि---

"Two bulbs and fan for each tube-well and two additional lights for each agricultural consumer allowed."

[प्रत्येक ट्यूबवेल के लिये दो बल्बों और पंखा तथा प्रत्येक कृषकीय उपभोक्ताओं के लिये दो अतिरिक्त बल्बों की आज्ञा है ।]

केवल हाथरस, बुलन्दशहर और अलीगढ़ इन तीन ग्रिड एरियाज़ में तो यह सुविधा दी गयी है और कहीं कहीं नहीं है ।

मिर्जापुर में लिखा है,

"All rates subject to a surcharge of 15 per cent."

[१५ प्रतिशत अधिकार के अधीन रखते हुये समस्त दरें ।]

गाजीपुर मे साढ़े आठ परसेंट और मिर्जापुर में १५ परसेंट । अब रुड़की को लीजिये कि यहां डिस्काउंट है २५ परसेंट का ।

"A discount of 3 pies per kwh. is given on prompt payment. If not paid full rates of 1.5 annas for kwh. shall apply."

[तुरन्त भुगतान पर ३ पाई प्रति हंडरवेट पर डिस्काउंट दिया जाता है । यदि नहीं दिया जाता तो हंडरवेट के लिये १.५ आने की पूरी दर लागू होगी ।]

यानी जो जल्दी पेमेंट कर देगा उसे २५ परसेंट डिस्काउंट है ।

तो आप यह देखेंगे कि पेमेंट की जो शर्तें हैं उनमें कितना फ़र्क है, सहूलियतों में कितना फर्क है, सरचार्ज में कितना फर्क है । और हमारे मंत्री जी केवल इतनी तकलीफ़ गवारा करते हैं कि सन् ५२ का सन् ५४ कर दिया । मैं अदब से कहना चाहता हूं कि हमारी समस्या केवल इतनी नहीं है । हमारे लिये इतना ही विचार नहीं करना है कि हम ५२ को ५४ कर दें । इस मेरे प्रस्ताव के अन्दर जो विद्युत वितरण की समस्या है वह सब आ जाती है । अगर हम वास्तव में अपने गांव-गांव में प्रकाश फैलाना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि नगर नगर में, प्रत्येक घर में हर गरीब के घर में चाहे वह कितनी ही कम तनख्वाह पाने वाला क्यों न हो, मजदूर ही क्यों न हो उसको हम अपने निर्माण-कार्यों के द्वारा लाभ पहुंचा सकें तो आवश्यक होगा बिजली के उत्पादन, वितरण और दरों के संबंध में हम एक नियत नीति के साथ चलें । यह नहीं कि केन्द्रीय सरकार दूसरी नीति और प्रान्तीय सरकार बिलकुल दूसरी नीति पर चले । यह ठीक है इलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट, सन् १९१० में पास कर लिया है लेकिन क्या हम केंद्रीय सरकार की नीति को मानते और उस के क़दमों पर चलते हैं । एक तरफ़ तो हमारी पंच वर्षीय योजना सारी स्टेट और इंडिया के लिये हैं और इंडिया और स्टेट का प्लान मिला हुआ है, लेकिन जहां नियंत्रण और उत्पादन का सवाल आता है तो इंडिया का ऐक्ट अलग है । और हमारा अलग है । हमने सेक्शन २२ को सस्पेंड (Suspend) कर दिया और जिस तरह से हमारा ऐक्ट चला आ रहा है हमारी योजना सन् ५४ में भी पूरी नहीं हो सकती है । जैसा कि मैंने अपने आंकड़ों से साबित किया था कि १५ साल क्या २० साल भी गुजर जायंगे तब भी हमारी सप्लाई और डिमांड बराबर नहीं हो सकती है । सरकारी आंकड़ों से भी साबित हो जाता है। इसलिये मैं बड़े अदब के साथ निवेदन करूंगा कि गोया मैं माननीय वित्त मंत्री की नीयत में पूरा विश्वास करता हूं, हाफिज जी तो हाफिज जी हैं, विद्वान हैं और उनका हमसे ज्यादा तजुर्बा हो सकता है, लेकिन मैं उन से निवेदन करना चाहता हूं कि जरा आप पुनर्विचार करें और बतलायें कि कौन सा कारण है कि जिसकी वजह से आज इलेक्ट्रिक सप्लाई ऐक्ट को एनफोर्स नहीं किया जा सका । अगर आप उसे एनफोर्स करते तो आज इस विधेयक को लाने की आवश्यकता नहीं होती और जो कुछ भी आप कह रहे हैं, यह ५२ और ५४ का झगड़ा यह सब खत्म हो जाता । सरकार को भी सहूलियत होती कि निर्माण-कार्यों को चला सके और जो

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

रेट्स में इतना फर्क है, जो शर्तों में इतना फर्क है वह कम हो जाता और जहां तक प्रायर्टीज़ का सवाल है वह भी पूरा हो जाता। अगर हम उस ऐक्ट को एनफोर्स नहीं करते तो इस सदन के सामने एक ही चारा रह जाता है कि इस बिल को हम दोबारा विचार करने के लिये एक सिलेक्ट कमेटी में भेज दें और वह सिलेक्ट कमेटी इलेक्ट्रिक सप्लाई ऐक्ट की धाराओं को देखते हुये और इस प्रान्त की स्थिति को देखते हुये और जो कुछ भी इस सदन के सदस्यों के रोजाना के व्यवहार में अनुभव होता है उस को देखते हुये यह देखें कि कहां पर इसमें संशोधन की आवश्यकता है। कहां पर इसमें कमी आ गयी है। एलेक्ट्रिक ऐक्ट में आर्बिट्रेशन का जिक्र आता है। हमें मालूम है कि सेंटर में एक सेंट्रल एलेक्ट्रिक अथारिटी बन गयी है। उसको इस बात का अधिकार है कि अगर इस सरकार का और किसी लाइसेंसी का कोई झगड़ा हो तो आर्बिट्रेशन के लिये वह झगड़ा उस अथारिटी के सामने जायगा। कहां इसमें ऐक्ट में लिखा हुआ है कि जो आर्बिट्रेशन का फैसला होगा वह इनफोर्स किया जायगा।

ऐसे ही इसमें आप देखिये कि लिखा हुआ है कि हम डोमेस्टिक कंजम्पशन या तमाम कनेक्शन्स को रेगुलेट करेंगे। कनेक्शन्स के मामले में आप टैम्पोरेरी कनेक्शन्स की हालत को देखिये कि उन पर दुगुना चार्ज होता है। यदि कोई बीमार हो जाता है तो उस को बिजली मिलना वैसे ही मुश्किल होगा लेकिन अगर बहुत जोर-शोर लगाने के बाद टैम्पोरेरी कनेक्शन मिल गया तो दुगना चार्ज होगा। घोस्ट कनेक्शन्स की यह हालत है कि अगर पांच का कनेक्शन मिला है तो दस का इस्तेमाल हो रहा है। अभी परसों हमारे माननीय आर्य जी ने, जो रामपुर से हमारे सदस्य हैं, एक प्रश्न घोस्ट कनेक्शन्स के बारे में किया था, और उसके उत्तर में हमारे माननीय मंत्री ने यह स्वीकार किया था कि ऐसे पांच कनेक्शन्स गलती से दे दिये गये हैं और वे अब ठीक हो रहे हैं। हमारे सदन को मालूम है कि हमारे माननीय आर्य जी ने क्या प्रश्न किया था और उन को क्या उत्तर मिला था। जब हमारी सरकार स्वयं इस बात को मंजूर करती है कि ऐसी गलती हो रही है तो क्यों नहीं ठीक कदम उठाती है। मैंने काफी समय ले लिया। मैं समझता हूं कि जो मेरा उद्देश्य था जो मेरी मंशा थी इस विधेयक की कमजोरियों को बतलाने की वह पूरी हो गयी। और एलेक्ट्रिक सप्लाई ऐक्ट, सन् १९४८ को लागू न करने से जो कठिनाइयां पैदा हुईं, जो अड़चनें पैदा हुई हैं उन को बतलाने की जो मेरी मंशा थी, मैं समझता हूं कि उससे इस सदन के सभी माननीय सदस्य सहमत होंगे और हमारे माननीय मंत्री महोदय भी सहमत होंगे। मुझे आशा है कि वे या तो इस बात की घोषणा करेंगे कि एलेक्ट्रिक सप्लाई ऐक्ट को पूरे माने में इनफोर्स किया जायगा या इस विधेयक को इस सदन द्वारा नियुक्त एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जायगा ताकि इस प्रान्त की स्थिति को देखते हुये इस पर आगे विचार हो सके।

श्री चन्द्रसिंह रावत--(जिला गढ़वाल)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बड़े जोश-खरोश के साथ इस सदन में दलीलें और तकरीरें माननीय नारायणदत्त जी ने पेश की हैं। मैंने बड़े गौर और ध्यान के साथ उनकी दलीलों और तकरीरों का मनन किया। मैं इस सदन को माननीय उपाध्यक्ष के द्वारा बताना चाहता हूं कि उनका तर्क जो था वह तर्क-विहीन था और उनका तर्क खोखला था और जो कुछ बातें उन्होंने यहां कहीं और उनकी स्पीच में थीं वह सेल्फ कनडेम्ड थी। कारण १ मैं आप को बताना चाहता हूं कि एक तरफ दलील पेश कर दी जाती है कि सन् १९४८ में जो कानून पास किया गया वह तो बहुत काफ़ी है, उसके अन्दर इस विधेयक से भी ज्यादा प्राविजन्स हैं, तो इसकी जरूरत क्या है? मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि अगर सन् १९४८ का कानून काफी था तो आप को इस विधेयक को अपोज करना चाहिये था कि यह विधेयक सुपरफ्लुअस है और इस विधेयक को थ्रो आउट कर देना चाहिये। इसमें अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं थी। यह तो बुद्धि का दिवाला है। अगर आप समझते हैं कि इस कानून की जरूरत नहीं लेकिन फिर भी अगर आप इसमें अमेंडमेंट पेश करते हैं, तो जो आपका तर्क है वह सेल्फ कनडेम्ड हो जाता है।

दूसरे मैं आप को यह बताना चाहता हूं कि यह कहा गया कि १५ साल में भी उतनी बिजली पैदा नहीं हो सकेगी जितनी कि माननीय मंत्री महोदय ने बताई । ठीक है, जब आप यह तर्क देते हैं कि डोमेस्टिक पर्पजेज के लिये बिजली पर किसी के लिये कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिये और सब को बिजली बिना लाइसेंस दे देना चाहिये, तो फिर बिजली आयेगी कहां से ? उधर तो आप कहते हैं कि इंडस्ट्रीज में ज्यादा होना चाहिये और इधर आप तर्क करते हैं कि जो १० परसेंट बिजली डोमेस्टिक पर्पजेज के लिये दी जाती है वह हर एक को काफी दी जानी चाहिये, उधर तो आप कहते हैं कि १५ साल में पूरी नहीं होगी और इधर आप कहते हैं कि सब को दी जानी चाहिये । तो जब आप ही खुद कहते हैं कि १५ साल में भी उतनी बिजली पैदा नहीं होगी तो फिर सब को दी कहां से जाय ? इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि आप अपने तर्क से साबित करिये कि जो आप कहते हैं कि हर एक को बिजली काफ़ी दी जानी चाहिये तो वह कहां से दी जाय ? आपकी स्पीच में इसका कहीं ज़िक्र नहीं है । इसलिये जो आप की दलील है वह बिल्कुल ग़लत है । जनता ने आप के दिमाग़ के ऊपर भरोसा करके आप को यहां भेजा है तो क्या इस तरह की खोखली दलीलों से उन लोगों की आंखों में धूल झोंकी जा सकती है, मुझे इसमें संदेह है ।

अब मैं आप को यह बताना चाहता हूं कि इसके साथ साथ यह कहा गया कि रेट्स डिफ़र करते हैं। ऐसा मालूम होता है कि माननीय सदस्य ने माननीय मंत्री जी की स्पीच को पूरे ग़ौर से नहीं सुना वरना जितने भी डिफ़रेन्सेज़ रेट्स में अलग अलग शहरों में हैं उस का कारण माननीय मंत्री जी ने पहले ही अपनी स्पीच में बतला दिया था । और मैं समझता हूं कि अगर उन्होंने माननीय मंत्री जी के भाषण को सुन लिया होता तो जो इस सदन के समय का अपव्यय उन्होंने अपनी स्पीच को देने में किया वह न करते। इसलिये माननीय मंत्री जी के भाषण को बिना सुने हुये इस तरह की स्पीच हाउस के सुनने के क़ाबिल नहीं है ।

अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर यह बात सही है कि सन् १९४८ का क़ानून बहुत काफ़ी है, उसके अन्दर इस विधेयक से भी काफ़ी प्राविज़न हैं तो मैं यह समझता हूं कि अपोज़ीशन के लिये यह बहुत ही साउंड ग्राउंड होता कि वह यह कहते कि इस विधेयक को इस हाउस में पेश ही नहीं होना चाहिये और माननीय सदस्यों से यह अर्ज़ करते कि इस विधेयक को अपना सपोर्ट न दें । बावजूद इसके कि सब से मज़बूत ग्राउंड जो कि अपोज़ीशन को मिल सकता था उसको वह लेते, वह अमेंडमेंट पेश करने चले हैं जो साबित करता है, उन्हीं की दलील और तक़रीर के मुताबिक़, कि सन् १९४८ का क़ानून जो बनाया गया वह नाकाफ़ी है, वरना क्यों अमेंडमेंट पेश करते। अमेंडमेंट पेश करने के माने यह हुये कि आज जो विधेयक पेश है वह ठीक है, उसमें थोड़ी बहुत त्रुटि रह गयी है, उस को पूरा करने के लिये उनकी दलीलों और तक़रीर के मुताबिक़ मेरी नहीं—अमेंडमेंट पेश कर दिया । तो इन बातों को देखते हुये मैं समझता हूं कि जिन स्वीपिंग रेमार्क्स में आप ने इस विधेयक के ऊपर अपनी भावनाएं ज़ाहिर की हैं वे कंडेम करने के काबिल हैं, उनके अन्दर कोई तथ्य नहीं है । अगर आप तारतम्य के साथ अपने तर्क को चलाते तो शायद मैं इन शब्दों को इस्तेमाल न करता जो मैंने ज़ोर में कहे हैं। लेकिन मैंने ग्राउंड्स पूरे-पूरे दे दिये हैं कि मैंने क्यों इन शब्दों का इस्तेमाल किया है । मैंने कोई बहुत कठोर शब्द नहीं कहे हैं। आप बुरा न मानें इस लिये मैंने उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जिन शब्दों में मुझे आप की तक़रीर को कैरेकटराइज़ करना चाहिये था। अब मैं यह समझता हूं कि इस तरह की दलील और तक़रीर हाउस के सुनने के क़ाबिल नहीं है और जो अमेंडमेंड रखा गया है उसका मैं विरोध करता हूं, वह तथ्यहीन है और उसको थ्रो आउट कर देना चाहिये।

महाराज कुमार बालेन्दुशाह (ज़िला टेहरी गढ़वाल)—मैं यह तो नहीं कह सकता कि मैं तिवारी जी के भाषण से पूरी तरह से सहमत हूं और न ही चन्द्र सिंह जी के भाषण से। एक भाषण आंकड़ों से भरा हुआ था और दूसरा भाषण जोश में डूबा हुआ । बहरहाल

[महाराज कुमार बालेन्दुशाह]

दोनों में कुछ न कुछ ग़ल्ती अवश्य थी। इस समय जो प्रश्न है वह यह है कि यदि तिवारी जी का संशोधन गिरता है तो उस समय मुझे अपने संशोधन के संबंध में कहने का अवसर मिलेगा, क्या यह प्रस्ताव जो माननीय मंत्री जी ने पेश किया है वह सदन के सामने रखा जाय या नहीं ? इस विषय में मैं कुछ कहना चाहता था ।

तिवारी जी ने जो कुछ टैम्पोरेरी लेजिस्लेशन के संबंध में कहा उस के साथ मैं सहमत हूं। टेम्पोरेरी लेजिस्लेशन एक विशेष रूप का लेजिस्लेशन है जिसे विशेष परिस्थितियों से जस्टीफाई करना आवश्यक है । मैं मान सकता हूं कि सन् १९४६–४७ में परिस्थितियां ऐसी रही हों। हमारे मंत्री जी ने कहा कि उस समय, यानी अंग्रेजी हुकूमत के समय में लड़ाई के दौरान में क़ानून बने थे । ऐसा मैं मान सकता हूं कि जब यू० पी० ऐक्ट नंबर सिक्स आफ़ १९४७ पारित किया गया तो उस समय विशेष परिस्थिति रही हो।

सवाल यह है कि क्या जो अमेंडिंग बिल मंत्री जी ने रखा है जिसके द्वारा जो ऐक्ट १९४६ में पास किया गया था (extend) किया जा रहा है, क्या यह उचित है ? प्रश्न यह है कि क्या आज भी वही परिस्थिति मौजूद है जो सन् १९४६ के बिल के जीवन को एक्सटेंड करने को जस्टीफाई करती है ? टैम्पोरेरी लेजिस्लेशन एक बहुत ही खतरनाक चीज है । उस का सब से बड़ा खतरा यह है कि वह आर्डीनेंस का रूप शीघ्र ही धारण कर लेता है । मैं जानता हूं कि कभी कभी परिस्थिति ऐसी होती है कि सरकार को अपने हाथ में पूर्ण रूप से राज्य शासन के सब काम लेना पड़ते हैं । अगर ऐसी परिस्थिति है तो माननीय मंत्री जी हमें समझायें और हम फिर से इस पर विचार करने के लिये तैयार हैं। क्या आज भी वही बात है जो कि इस जीवन के दो साल के लिये और एक्सटेंड कर दिया जाय ?

टैम्पोरेरी लेजिस्लेशन के संबंध में जो कुछ तिवारी जी ने कहा वह सही कहा । यदि यह बिल जैसा कि इसके प्रीएम्बिल में लिखा गया है कि:–

"An Act for the continuance during a limited preiod"

[परिमित समय तक जारी करने के लिये एक अधिनियम...]

यदि टैम्पोरेरी लेजिस्लेशन का मतलब यह हुआ कि एक बिल जो कि "पूर्ति सन् ४६ में परित किया जाय और वह ऐक्ट बन जाय तो फिर उसको टेम्पोरेरी लेजिस्लेशन के नाम में बार बार एक्सटेंड किया जाय, तो क्या ऐसी हालत में उस समय भी बिल का नाम (Temporary) ही रखना आवश्यक है ? यह ग़लत प्रतीत होता है ।

"A Bill to amend the U. P. Elecricity (Temporary Powers)...."

[यू० पी० इलेक्ट्रिसिटी (टैपोरेरी पावर्स) के संशोधित करने के लिये विधेयक . .]

यह बात समझ में नहीं आती है कि यह टैम्पोरेरी बात है या परमानेंट बात है। बीच में कोई नई व्यवस्था पैदा नहीं हो सकती है। यह कहना, क्योंकि सरकार एक टैम्पोरेरी रूप में यहां बैठी हुई है, यानी चुनाव के दौरान में सरकार बैठी है, इसलिये सरकार की सब कार्यवाही उसी दौरान के लिये होगी, यह तो न मैं कहूंगा और न कोई कह सकता है। हालांकि यह सम्भव हो सकता है कि आगामी चुनाव में कोई और सरकार वहां पर बैठे। इसका मतलब यह नहीं है कि इस समय जो सरकार वहां पर बैठी हुई है वह इस दृष्टि से केवल पांच साल के लिये ही काम करे, यह सही नहीं कहा जा सकता। भारतवर्ष के भविष्य को देखने की कोशिश करनी चाहिये और आगे का निर्माण भी देखना आवश्यक है। मेरे नाम से जो संशोधन है उसका महत्व यही है कि पुराने ऐक्ट को ३ महीने का अवसर और दे दिया जाय। मैं इस बात को मान सकता हूं कि यदि किसी कारण, और कार्यों में व्यग्र होने के कारण, सरकार को इस विषय पर ध्यान देने का अवसर न मिला हो तो तीन महीने का समय और बढ़ा दिया जाय।

उपाध्यक्ष—आप अपने सशोधन पर नहीं बोल सकते।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह—जो नहीं, मैं अपने संशोधन पर नहीं बोल रहा हूं। मैं तो तिवारी जी से यही कहता हूं कि तीन महीने का समय इस बिल के द्वारा और बढ़ा दिया जाय और इस दौरान में पूरी परिस्थिति जांच ली जाय और परिस्थिति जांचने के बाद तब उस पर विचार किया जाय। टैम्पोरेरी लेजिस्लेशन के नाम से सरकार ऐसी कोई कार्यवाही न करे इस तरह से उनको करना शोभा नहीं देता है और न इस सदन के सदस्यों को ही शोभा देता है। लेजिस्लेशन का काम बहुत महत्व का है। जनता के विचारों को कानूनी रूप देने के साथ साथ यह भी जरूरी है कि हम कानून पास करके जनता को शिक्षित करें। जहां तक हो सके लेजिस्लेशन को साधारण रूप में पास करना चाहिये और टैम्पोरेरी लेजिस्लेशन केवल विशेष परिस्थिति में किया जा सकता है। अगर माननीय वित्त मंत्री हमको इस बात से सन्तुष्ट कर देते हैं कि कुछ खास बातें प्रबल हैं जिसके कारण एक नया बिल पेश नहीं कर सकते हैं और यह उचित समझते हैं कि इस पुराने ऐक्ट को एक्सटेंड किया जाय तो फिर बहस सुनने के बाद अवश्य हम उस पर विचार कर सकते हैं।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—उपाध्यक्ष, महोदय मैं सोचता था कि पहाड़ के लोग काफी बोल चुके हैं, कहीं मैं न रह जाऊं। इस पर मैंने भी सोचा कि कुछ कहूं। जब मैं अपने मित्र नारायण दत्त जी तिवारी का भाषण सुन रहा था, तो यह सोच रहा था कि यह सेलेक्ट कमेटी की बात करेंगे और जो आंकड़े उन्होंने लम्बे चौड़े दिये वह सेलेक्ट कमेटी के सामने रखते तो अच्छा था, उस तरफ भी बैठने वाले बहुत सदस्य ऐसे हैं कि जो आंकड़ों का मुकाबला आंकड़ों से कर सकते हैं। माननीय सदस्य सब जानते हैं कि हमारे पास भी ऐसे लोग हैं, जो आंकड़ों का मुकाबला आंकड़ों से कर सकते हैं। और जहां हमारे माननीय चन्द्र सिंह जी का सवाल है उनका बहुत दिनों से जोशीला भाषण नहीं सुना था और हमारे मित्र भी ऐसी जगह से आ रहे हैं जहां पर बिजली का नाम-निशान नहीं है और ए० सी०, डी० सी० क्या है? इसको भी नहीं जानते हैं। यहां लखनऊ में आकर ही बत्ती जलाने का काम कर रहे हैं इसीलिये वह बिजली पर कुछ नहीं बोले। उन्होंने कहा कि सेल्फ कन्डैम्ड है, और यह है, कुछ ऐसी ही बातें कह डालीं और कुछ समझ में नहीं आया क्या कहा। खैर जो कुछ उन्होंने कहा वह बेचारे बिजली के बारे में कुछ जानते तो हैं नहीं, इसलिये उनको आज जो मौक़ा मिला, तो जो समझ में उनकी आया वह उन्होंने कह डाला और श्री नारायण दत्त जी पर ही वह बिजली गिराने लगे।

मैं इस सिलसिले में बहुत कुछ कहना नहीं चाहता क्योंकि माननीय श्री नारायण दत्त जी ने इस पर काफी कह दिया है लेकिन फिर भी मुझे खुशी है कि माननीय मंत्री जी ने हमें कुछ बतलाया कि वितरण के बारे में क्या व्यवस्था होने वाली है और किस तरह से उन्होंने एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और डोमेस्टिक परपजेज के लिये प्रायरिटी आदि रखी है। एक बात के बारे में मैं मन्त्री जी से चाहूंगा कि वह उसको जरा साफ़ कर दें। माननीय सदस्यों के जिलों से बहुत से लोग ऐसे आते होंगे जो कहते होंगे कि हमें बिजली दिलवा दो, हम आटे की चक्की चलाना चाहते हैं, उसके लिये बिजली दिलवा दो, तो वह हम से कहते हैं, कि हम अफसरों से मिलें, मिनिस्टर साहब से बात करलें, ताकि बिजली मिल जाय। इसमें हमें बड़ी दिक्कत होती है। अगर हमें साफ़ साफ़ मालूम हो जाय कि जो बिजली पैदा होती है वह कहां और किस तरह से दी जाती है, और जो नियम बनाये गये हैं, क्या वह उन्हीं के मुताबिक दी जाती है या उसमें कोई खास सिफ़ारिश की जरूरत होती है। अगर यह सब मालूम हो जाय तो हमारा काम भी आधा हल्का हो जाय। हम साफ़ कह सकते हैं कि यह नियम हैं, इसके खिलाफ किसी को बिजली मिली हो तो हमें बतलावो, तो हम मंत्री महोदय से बात करें। लेकिन हमने देखा है, और मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है, कि जहां पर इंडस्ट्री

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

के लिये बिजली की जरूरत है वहां पर बिजली नहीं मिली है, और उन चीजों के लिये बिजली के कनेक्शन्स मिले हैं, जिनकी आवश्यकता नहीं है। अगर मंत्री जी कहेंगे तो मैं उनको बहुत सी मिसालें दूंगा, लेकिन मैं पुरानी बातों पर नहीं जाता जो हुआ वह हुआ, लेकिन आगे से हमें मालूम हो जाय कि यह इंडस्ट्री हैं इनको फर्स्ट प्रायरिटी दी जायगी, कोई कमेटी होती, कोई बोर्ड होता, उसके सामने तमाम अर्जियां जातीं, और उन पर विचार होता और जिनको प्रायरिटी मिलना चाहिये, उनको बिजली मिला करती। लेकिन आज ऐसा नहीं है। इसलिये मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि अगर आप ऐसा कर देंगे तो हमारा सबका और सदन के सदस्यों का बोझ हल्का हो जायगा। अगर साफ़ साफ़ मालूम हो जाय कि यह नियम है, और इस इस इंडस्ट्री को प्रायरिटी मिलेगी। उसमें अगर गड़बड़ होगी तो हम सवालों के रूप में या दूसरे तरीक़े से उन चीजों को यहां उठा सकते हैं। जब तक बिजली कम है, बड़े दुख की बात है, लेकिन हम आशा करते हैं कि बिजली का प्रोडक्शन बढ़ेगा और डिस्ट्रिब्यूशन भी ठीक तरह से होगा। उसके बाद फिर हमारे दोस्त चन्द्र सिंह जी को भी शिकायत नहीं रहेगी बिजली के बारे में। मैं कल ही सदन में सुन रहा था उधर से माननीय ऐजाज रसूल साहब ने कहा था कि पहाड़ के लोग जमींदारी के सिलसिले में क्या जानते हैं, वह तो ऐसे ही अमेंडमेंट पेश कर देते हैं। शायद पहले दिन माननीय सुल्तान आलम साहब ने भी कहा था और श्री ऐजाज रसूल ने भी कहा था और उसका जवाब भी हमारे माननीय नारायणदत्त जी ने दे दिया था। हमारे प्रान्त के मुख्य मंत्री जी भी पहाड़ के रहने वाले हैं और वह सारी हुकूमत चला रहे हैं और यह कहना कि हम उस इलाक़े से आये हैं कि हमारे यहां यह चीज लागू ही नहीं होती, यह बात नहीं है। उन्हें हक़ है कहने को, जो चाहें वह कह सकते हैं, लेकिन मैं अपने माननीय मंत्री जी से जरूर प्रार्थना करूंगा कि हमारे पहाड़ की जो नदियां हैं, जो वहां से बह कर आ रही हैं, जो शारदा में ग्रिड बन रहा है, उससे बहुत जल्द बिजली पैदा करने की कोशिश की जाय। हमारे पहाड़ों में जहां बहुत से उद्योग धंधे हो सकते हैं और बिजली की ट्रेन चल सकती है शेप बैंज चल सकती हैं छोटे छोटे उद्योग धंधे चलाये जा सकते हैं वहां के लिये मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूगा कि वे इस पर अधिक ध्यान दें। यदि वह ऐसा करेंगे तो हमारे यहां बहुत जल्द बिजली आ जायगी। माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमारे प्रान्त के लाइसेंसीज को ५ परसेंट से अधिक मुनाफ़ा नहीं होने दिया जायगा। उन्होंने कहा कि शायद कोई कमेटी भी बनी है। लेकिन इन कम्पनीज के इतने ज्यादा ख़र्च हैं और इतनी ज्यादा तनख्वाह अफसरों की है, कि जो कुछ वे लेना चाहते हैं, तनख्वाहों के रूप में ही ले लेते हैं। इसलिये आवश्यकता है कि इनके खर्चों और वेतनों को घटाया जाय। जैसा कि माननीय नारायणदत्त जी ने कहा, यदि यह बिल सेलेक्ट कमेटी के सामने जाता है तो वहां ये सब बातें विस्तार से कही जा सकती थीं, कि किस तरह खर्चा घटाया जा सकता है, ताकि जनता को सस्ती बिजली मिल सके। हमारे प्रान्त के अन्दर इंडस्ट्रीज बहुत कम हैं। पजाब में पहले स्पोर्ट्स की इंडस्ट्रीज का काम बहुत अच्छा होता था और अब वे लोग हमारे प्रान्त में आ गये हैं। यदि उन्हें सस्ती बिजली मिले तो वे उस इंडस्ट्री को यहां कायम कर सकते हैं। दवाइयों का धंधा है। आयुर्वेदिक लोगों को दवाइयां घोटने के लिये बिजली की आवश्यकता है। उनका भी ध्यान रखना चाहिये। नेशन बिल्डिंग के कामों के वास्ते बिजली मिलनी जाहिये। उन चीजों के बनाने के लिये जिन्हें हम बाहर से मंगाते हैं, यदि बिजली दी जायगी, तो इससे हमारे देश का उद्योग धंधा तो बढ़ेगा साथ ही पैसे की भी बचत होगी। ऐसी इंडस्ट्री वालों को प्रायोरिटी मिलनी जाहिये। मैं जानता हूं कि माननीय मंत्री जी शायद सेलेक्ट कमेटी की बात न मानें इसलिये यहां इन बातों को कहने की आवश्यकता हुई। नहीं तो

सेलेक्ट कमेटी के सामने ये बातें होतीं। वैसे तो मैं आशा करूंगा कि वह हमारी सेलेक्ट कमेटी की बात को मान लें ताकि इधर के और उधर के भी आंकड़े वहां पेश हो सकें। इसलिये यदि माननीय मंत्री जी सेलेक्ट कमेटी की बात मान लें तो बहुत अच्छा होगा।

श्री ऐजाज रसूल (ज़िला हरदोई)—जनाबवाला, मैंने अपने दोस्त तिवारी जी की तक़रीर सुनी। उन्होंने बहुत जोरों से इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर व्याख्यान दिया। उन्होंने गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट, १९४८ का हवाला दिया। मुझे अफसोस है कि वह इस वक्त यहां मौजूद नहीं हैं। उन्होंने कहा कि यू० पी० गवर्नमेंट ने प्राविंशल इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड नहीं बनाया, अगर्चे सेंट्रल ऐक्ट लागू हो गया है। मैं उसी ऐक्ट का हवाला देकर कहना चाहता हूं उसमें यह लिखा है—

"This section and sections 3, 4, 5, 7, 58 and 77 and schedule 6 and the table appended to the 7th schedule of this Act shall come into force at once."

[यह धारा और धाराएं ३, ४, ५, ७, ५८ और ७७ तथा छठा परिशिष्ठ और वह सूची जो इस अधिनियम के सप्तम परिशिष्ट में सम्बद्ध है तुरन्त लागू हो जायगी।]

(इस समय ४ बज कर ३ मिनट पर माननीय अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

लेकिन यह जो कांस्टीट्यूशन और कंपोजीशन आफ प्राविंसियल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स है वह सेक्शन ५ से ताल्लुक रखता है। उसमें यह लिखा हुआ है कि जिस वक्त कोई नोटीफिकेशन कर दिया जायगा उसके बाद कंस्टीट्यूशन ऐंड कंपोजीशन आफ प्राविंशियल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स (प्रान्तीय बिजली बोर्ड का संघटन एवं निर्माण) होगा। लेकिन वह नोटीफिकेशन इस वक्त तक नहीं हुआ है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने वह रोक दिया है कि फिलहाल कांस्टीटच्यूशन न बनाया जाय। अगर तिवारी जी ऐवान के सामने ठीक दफात पढ़ कर रखते तो उनको भी यह मालूम हो जाता कि ठीक बात क्या है। मुझे खुशी है कि उन्होंने मेहरबानी करके कानून 'मुझे दे दिया और मैंने उसको देख कर यह बतलाया कि ऐवान के सामने ये वाकयात ठीक नहीं रखे गये हैं। मेरे ख्याल से उन्होंने किसी ग़लती से इसका ताल्लुक़ दफा १—३ से रखा मगर उसका वास्ता दफा ५ से है। अब इस दफा ५ में फौरन लागू होने की बात नहीं है। इसीलिये ये बोर्ड्स इस सूबे में नहीं बने। जैसा कि मैं पहिले ही कह चुका हूं कि गवर्नमेंट आफ इंडिया ने फिलहाल सूबे की गवर्नमेंट को रोक दिया है कि इस तरह का कोई कांस्टीट्यूशन न बनाया जाय।

आपने यह तरमीम पेश की और यह कहा कि सेलेक्ट कमेटी बना दी जाय। इस वजह से कि वह पूरे कानून के ऊपर नजरसानी कर सके। हर शख्स जो इस असेम्बली का मेम्बर है वह यह जानता है कि जो बिल होगा उसी पर नजरसानी की जा सकती है। इसमें लिखा है कि सन् ५२ के बजाय सन् ५४ कर दिया जाय। इसलिये इस पर जो सेलेक्ट कमेटी बैठेगी, उसको पहिले इलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट पर विचार करने की कोई पावर ही न होगी। यह दूसरी बात थी कि मेम्बर साहब यह प्रस्ताव करते कि यह बिल आप वापिस ले लीजिये और पूरे बिल को लाइये ताकि उसको देख कर उसमें जरूरी तरमीमात की जा सकें। जैसा कि संयुक्त दल के एक साहब ने फरमाया कि यह बिल वापिस कर लिया जाय और गवर्नमेंट से यह इस्तदुआ की जाय कि वह पूरे इलेक्ट्रिसिटी बिल को दुबारा लाये और एक कमेटी बना दे जिससे वह उस पूरे बिल पर ग़ौर कर सके। लिहाजा यह कहना कि यह बिल सेलेक्ट

[श्री ऐजाज़ रसूल]

कमेटी में भेजा जाय, बेकार सी चीज़ है। यह मैं नहीं कहता कि उस पर जो नुक्ताचीनी की गई, वह ठीक नहीं है। उसमें बहुत सी बातें दुरुस्त हैं और ठीक हैं। मैं यह नहीं कहता कि ऐक्ट में खामियां नहीं हैं उसमें बहुत सी खामियां हैं और वे खामियां तब तक दुरुस्त नहीं हो सकतीं जब तक उनको बतलाया न जाय। लेकिन यह बिल सेलेक्ट कमेटी में किस वास्ते जाय यह मेरी समझ में नहीं आया। सिवाय इसके कि सन् ५२ का ५३ हो जाय या दो साल के बजाय ४ महीने या ६ महीने उसकी मियाद बढ़ा दी जाय। लिहाजा यह प्रस्ताव कि इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाय यह प्रस्ताव मेरे ख्याल में बहुत ही नामुनासिब है। मैं समझता हूं कि वे खुद भी बहुत समझदार और होशियार आदमी हैं वे अगर उस पर ग़ौर करेंगे तो अपना प्रस्ताव वापिस ले लेंगे।

हर शख्स चाहता है कि बिजली का प्रोडक्शन (उत्पादन) बढ़े और रोज बरोज बढ़ता रहे लेकिन मजबूरी भी होती है। गवर्नमेंट ने कोशिशें कीं कि सामान बिजली का आये और उसके आने के बाद बिजली का प्रोडक्शन जल्दी हो सके जिससे वह सूबे में तकसीम की जा सके लेकिन बिजली का सामान नहीं पहुंच सका। शारदा इलेक्ट्रिसिटी की स्कीम जल्द ही शुरू होने वाली थी लेकिन मजबूरी रही कि सामान ही न पहुंच पाया। लेकिन अब सामान आ गया है और वह सन् ५३ तक तैयार हो जायगा और उसकी बिजली तमाम सूबे में फैलेगी, वहां के लोगों को मिलेगी। अब अगर यह कहा जाय कि गवर्नमेंट ने बिजली का प्रोडक्शन नहीं बढ़ाया है तो मेरे पास सन् ४७ से ५२ तक के आंकड़े मौजूद हैं और उनसे मालूम होता है कि इस वक्त तक २१,२५६ किलोवाट बिजली बढ़ गयी है। मुहम्मदपुर पावर स्टेशन, सोहावल पावर स्टेशन और इसी तरह के जो मुख्तलिफ पावर स्टेशन खोले गये हैं वहां पर बिजली का प्रोडक्शन बढ़ गया है और उसका डिस्ट्रिब्यूशन भी हो रहा है। जो हमारे तिवारी जी कहते हैं कि लोगों को बड़ी दुश्वारियां हैं, बड़ी दिक्कतें हैं, उनका कहना बिल्कुल बजा और दुरुस्त है। लेकिन जब बिजली ज्यादा न हो और अगर उसके लिये डिमांड (मांग) ज्यादा हो जैसा कि लखनऊ शहर है, मैं भी यहीं का बाशिन्दा हूं, यहां पर लोगों की डिमांड ज्यादा है, लेकिन इतना प्रोडक्शन नहीं है तो मजबूरन कंट्रोल करके जिसको जितनी जरूरत होती है बिजली तकसीम की जाती है। अगर लोकल ऐडवाइजरी कमेटी बन जाती और उसमें अलावा आफिशियल के नान-आफिशियल लोगों का भी सम्बन्ध हो जाता तो ज्यादा मुनासिब था और मुझे उम्मीद है कि आनरेबिल मिनिस्टर साहब इस पर ग़ौर करेंगे।

अब रहा यह कि मैंने जो बातें कही हैं मुझे उम्मीद है कि तिवारी जी इस पर ग़ौर करके अपने संशोधन को वापस ले लेंगे। क्योंकि इससे कोई ज्यादा फायदा है नहीं। सिवाय सन् में तब्दीली करने के, आप ऐक्ट में कोई तब्दीली नहीं कर सकते हैं। इसलिये मुझे उम्मीद है कि आप इस पर ग़ौर करके अपने सेलेक्ट कमेटी वाले संशोधन को वापस ले लेंगे।

श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)—जनाब स्पीकर साहब, इस छोटे से बिल के ऊपर अभी जो बहस हुई है उसे मैंने बड़े गौर से सुना। मेरे दोस्तों ने जो तकरीरें कीं वे तकरीरें बड़ी मेहनत से तैयार की गयी थीं। और उसमें जो बिजली के सिलसिले में और उसको हासिल करके इस्तेमाल करने के सिलसिले में जो दुश्वारियां आम तौर पर लोगों के सामने आती रहती हैं उन चीजों का खासतौर से बयान किया गया। लेकिन मैंने जितनी तकरीरें सुनीं उन तकरीरों से मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि इस बिल के उसूल पर शायद इस भवन के अन्दर किसी को इख्तलाफ नहीं है। कई तकरीरें इस हाउस के अन्दर की गयीं, लेकिन किसी में

यह नहीं कहा गया कि यह बिल इसलिये नामंजूर होना चाहिये कि इस बिल की इस हाउस को जरूरत नहीं है ।

जहां तक बिजली के पैदा होने और बिजली के इस्तेमाल करने का ताल्लुक है, कौन नहीं जानता कि बिजली की मांग बराबर बढ़ती जा रही है और उसकी पैदावार सूबे के अन्दर मांग के हिसाब से बढ़ नहीं सकी है। मांग ज्यादा है और जो हमारा तरीका रहा है कि जितना कि हम चाहते हैं और जितना कि होना चाहिये उतना नहीं हो सका है। दुनिया का एक मुसल्लमा उसूल है कि जब पैदावार काफी नहीं होती तो जो प्रोडक्शन हो उसको एक्विटेबली (न्यायसंगत) तकसीम करने के लिये किसी न किसी तरह का कंट्रोल लगाया जाता है । यही कंट्रोल की थ्योरी है और इसी वजह से कंट्रोल लगाया जाता है। खासतौर से मेरे वे दोस्त जो उस तरफ बैठे हुये हैं वे शायद इस उसूल को पहले से ही मानते हैं कि जब तक प्रोडक्शन न बढ़ जाय उस वक्त तक किसी किस्म का कंट्रोल जरूर होना चाहिये। इस भवन के अन्दर किसी ने यह बात नहीं कही कि यह बिल इसलिये हाउस में मंजूर नहीं होना चाहिये। अगर यह बिल इस हाउस में मंजूर नहीं होता तो उसका नतीजा यह होगा कि ३० सितम्बर के बाद बिजली के प्रोडक्शन और कंजम्शन पर कोई पाबन्दी नहीं रह जायगी। और अगर कोई कंट्रोल बाकी नहीं रह जायगा तो उसका नतीजा हम अच्छी तरह समझ सकते हैं। अगर बिजली के प्रोडेक्शन और कंजप्शन (उत्पादन और उपभोग) पर से कंट्रोल उठ गया तो जिन लोगों को इस वक्त तक बिजली मिल जाती है, बड़ी दुश्वारियों के साथ, बड़ी दिक्कतों के साथ, उनको भी बिजली मिलना मयस्सर न हो सकेगा। लोगों की दिक्कतें और दुश्वारियां बढ़ जायेंगी। मेरे दोस्त ने अपनी तकरीर के अन्दर यह भी फरमाया कि यह बिल सन् ४६ में जब लाया गया और यह ऐक्ट बना था तो वह एक साल के लिये था। उसके बाद उसकी मुद्दत बराबर बढ़ायी जाती रही। और आज इस भवन के सामने इसकी मुद्दत २ साल के लिये और बढ़ाई जा रही है। यह सही है लेकिन उनका ख्याल ऐसा था कि गवर्नमेंट ने जो इब्तिदाई बिल पेश किया था उसका मंशा यह था कि एक लिमिटेड पीरियड के लिये यह ऐक्ट रहेगा और उसके बाद यह वापिस किया जायगा लेकिन उनको ऐसा खतरा पैदा हुआ कि इस बिल की मुद्दत बार बार क्यों बढ़ाई जा रही है। इसका तो मतलब उनकी समझ में यह है कि एक अनलिमिटेड पीरियड (अपरिमित अवधि) के लिये इसको इस सूबे में लागू किया जायगा लेकिन मैं उनसे बड़े अदब के साथ दरख्वास्त करूंगा कि इससे गवर्नमेंट की नीयत सही मालूम होती है इसलिये कि अगर गवर्नमेंट ने सन् ४६ में १० साल के लिये ऐसा कानून बनाकर लागू कया होता तो हममें से बहुत से लोगों को ऐतराज होता कि बहुत बड़ी मुद्दत के लिये गवर्नमेंट ने इसको लागू कर दिया। लेकिन इससे साफ मालूम होता है कि गवर्नमेंट का मंशा कम से कम मुद्दत के लिये लागू करने का है सिर्फ उतनी मुद्दत के लिये लागू करने का है जितनी के लिये इस सूबे को जरूरत है और इससे यह भी जाहिर है कि उसकी हरगिज यह ख्वाहिश नहीं है कि वह एक दिन के लिये भी लागू रखे जबकि उसकी जरूरत बाकी न रहे। ऐसी सूरत में अगर इसकी मुद्दत २ साल के लिये बढ़ाई जा रही है तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है।

जो आंकड़े पेश किये गये हैं उनसे भी हम देखते हैं कि प्रोडक्शन की मिकदार अभी हमारे सूबे में इतनी नहीं है जो हमारी जरूरतों को बगैर कंट्रोल के पूरा कर सके। हां, इस बात में मैं अपने माननीय दोस्तों के हमनवा हूं कि हमारे सूबे में प्रोडक्शन अभी तक इस हालत में क्यों नहीं पहुंचा जिसके मातहतत हमें कंट्रोल की जरूरत नहीं होती। इस सिलसिले में गवर्नमेंट की भी बहुत सी दिक्कतें और दुश्वारियां हैं और ऐसे औकात हैं जिनके ऊपर गवर्नमेंट का भी काबू नहीं है। बहरहाल, यह अफसोस की बात है कि हमारे सूबे के अन्दर इतना प्रोडक्शन नहीं बढ़ा जिससे कंट्रोल की जरूरत न होती लेकिन प्रैक्टिकल होने की हैसियत से हमें यह सोचना है कि जब वाकई प्रोडक्शन नहीं है तो ऐसी सूरत में इस बिल की मियाद को हम बढ़ायें या न बढ़ायें जिससे हमारी जरूरियात पूरी हो सकें। हमें यह भी मालूम है कि अभी

[श्री सुल्तान आलम खां]

पिछले साल इस हुकूमत की तरफ से एक कमेटी इस गरज से बनाई गई थी कि वह कमेटी इस बात पर सोच विचार करे और एक फैसला दे कि बिजली की तकसीम किस तरह से हो। मुझे याद है कि पिछले साल भी और जब जब इस हाउस के अन्दर एलेक्ट्रिसिटी का सवाल पैदा हुआ तो लोगों ने बहुत सी शिकायतें कीं एलेक्ट्रिसिटी की तकसीम के मुताल्लिक, उसके कंजम्प्शन के मुताल्लिक, उसके प्रोडक्शन के मुताल्लिक और खास तौर पर उसकी तकसीम के मुताल्लिक बहुत सी शिकायतें हुईं। उसकी वजह यही है कि मिकदार कम है और बहुत से लोग उसके मांगने वाले हैं। चुनांचे इसी वजह से गवर्नमेंट ने एक कमेटी बैठायी और उस कमेटी ने काम करने के बाद अपनी रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट के अन्दर उसने बहुत सी सिफारिशें कीं कि बिजली की तकसीम ऐग्रीकल्चर और डोमेस्टिक परपजेज के लिये किस सूरत से की जाय। उस कमेटी की रिपोर्ट गवर्नमेंट के पास पहुंच चुकी है और मेरा ख्याल है जैसा कि माननीय मंत्री ने फरमाया भी कि कमेटी की रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट (अभिपूरित) किया जा रहा है। लेकिन मैं बड़े अदब से माननीय मंत्री से अर्ज करूंगा कि उस कमेटी की रिपोर्ट को न तो अब तक शाया किया गया है और न उसकी कापियां हम सब लोगों की दी गई हैं।

मेरा अपना ख्याल है कि अगर उस रिपोर्ट की कापियां इस भवन के मेम्बरों के पास एक एक पहुंच जातीं तो शायद उनके लिये इतनी दिक्कतें और दुश्वारियां न पेश होतीं और जो बहुत से ऐतराजात यहां हुये हैं उनमें से बहुत से शायद नहीं होते। मैं माननीय मंत्री से बहुत ही अदब से दरख्वास्त करूंगा कि वह कापियों को छपवाकर एक एक सब लोगों को तकसीम करवा दें। यह अब मुमकिन हो सकता है इसलिये कि गवर्नमेंट ने भी रिपोर्ट को मंजूर कर लिया है और उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। इस सिलसिले में एक शिकायत जो बिजली के मुताल्लिक की जा रही है वह मैं गवर्नमेंट की रूबरू पेश करना चाहता हूं मसलन् खुद मेरे जिले फर्रुखाबाद से मेरे पास यह शिकायत आई है कि बिजली कम्पनी वह टैक्स जो सरचार्ज (अधिभार) की सूरत में है और जो लड़ाई के जमाने में लिया गया था अब तक वह कंज्यूमर्स (उपभोक्ताओं) से ले रही है। उसका नतीजा यह है कि उन को हाई रेट्स देने पड़ते हैं। जो सूरत हाल जंग के जमाने में कायम थी, जिसके मातहत उन को सरचार्ज देना पड़ता था, वह चीज आज बाकी नहीं रही। तो ऐसी सूरत में यह मुनासिब ही होता कि उन का सरचार्ज अब तक खत्म हो जाता।

जैसा कि अभी माननीय मंत्री जी ने बताया ग्रिड एरिया के अन्दर बिजली की तकसीम के लिये इग्जिक्यूटिव इंजीनियर को जिम्मेदार बना दिया है और नान-ग्रिड एरिया के अन्दर कलेक्टर और कमिश्नर के जरिये तकसीम होगी। इस भवन में कई दोस्तों ने यह सवाल भी उठाया कि उन लोगों के साथ जो बिजली की तकसीम का काम करेंगे अगर एक एडवाइजरी कमेटी मुकर्रर कर दी जाय तो उससे पब्लिक सेंटीमेंट्स ऐसोशिएट हो सकेंगे और शायद तकसीम में सहूलियत हो सके। इस बिल पर इस भवन में काफी बहस होगी। मैं चाहूंगा कि जो इधर दोस्त बैठे हुये हैं और जो उधर दोस्त बैठे हुये हैं वह सब इस मसले पर खास तौर से रोशनी डालें। और मैं यकीन करता हूं कि अगर लोगों का बहुमत इस तरफ होगा कि एडवाइजरी कमेटी मुकर्रर कर दी जाय तो माननीय मंत्री जी इसपर जरूर हमदर्दी से गौर करेंगे। मैंने यह इसलिये खास तौर से अर्ज किया कि जहां तक ऐडवाइजरी कमेटियों का ताल्लुक है दो मुख्तलिफ रायें हैं। एक तो यह है कि अगर ऐडवाइजरी कमेटी किसी आफिसर के साथ लगा दी जाय तो उस से पब्लिक ओपीनियन शामिल हो जाती है और उस काम के अन्जाम देने में सहूलियत होती है। लेकिन एक स्ट्रांग पब्लिक ओपिनियन (प्रबल जन अभिप्राय) यह भी है कि जहां कहीं भी इस किस्म की कमेटियां बनी हैं तो उनका यह नतीजा हुआ कि जो काम सहूलियत से अंजाम पा जाता उसमें दुश्वारियां पैदा हुईं। इसलिये मैं चाहूंगा कि जितने यहां दोस्त मौजूद हैं वह इस मसले पर काफी रोशनी डालें। अपने तजुरबात बयान करें और गवर्नमेंट को इस बात में राय दें कि आया इस किस्म की कमेटी होनी चाहिये या नहीं।

इसके बाद मैं यह समझता हूं कि कोई ऐसी बात मालूम होती नहीं जिस पर इस बात पर जोर दिया जाय कि यह बिल सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाय। जैसा कि ऐजाज रसूल साहब ने फरमाया बिल बहुत मुख्तसर सा है। उसमें सिर्फ चन्द शब्द बदलने हैं कि सन् ५२ के बजाय ५४ तक इसको बढ़ा दिया जाय या न बढ़ाया जाय। हो सकता है कि कमेटी में पहुंचने के बाद यह कहा जाय कि सन् ५४ तक नहीं ५३ तक बढ़ाया जाय। लेकिन जैसा कि माननीय मंत्री ने फरमाया ५४ के फीगर इसलिये दिये गये हैं कि जो काम बिजली का इस वक्त चल रहा है वह ५४ तक पूरा होने का मौका होगा। और दो साल की मियाद के बाद इस भवन को मौका होगा कि तमाम पोजीशन को रेव्यु (स्थित पर विचार) करने के बाद यह देखा जाय कि इस बिल की तौसी की जाय या न की जाय। अगर हम छः महीने या साल भर के बाद ही इस पर गौर करें तो न यह तवक्को है कि इस अरसे में प्रोडक्शन में बेहतरी हो जायगी, साथ ही यह भी सोचने की बात है कि ऐसे छोटे से बिल के लाने में कितना पब्लिक एक्सपेंडीचर (सार्वजनिक व्यय) हो सकता है। कितना वक्त लग सकता है।

इसलिये मैं दरख्वास्त करूंगा कि माननीय मंत्री की तकरीर सुनने के बाद और इन तमाम हालात को देखते हुये इस बात का मौका दिया जाय कि इस बिल को ऐक्ट बनने का मौका दिया जाय ताकि तकसीम का जो सिलसिला है वह बगैर किसी इंटरप्शन (बाधा) के जारी रहे। दूसरे में दो साल के बाद फिर मौका मिलेगा कि हम प्रोडक्शन को देखें और इस बात को तय करें कि इस को तौसीय दी जाय या न दी जाय।

श्री शिव नारायण (जिला बस्ती)—माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे लायक दोस्त नारायण दत्त जी तिवारी ने जो क्रिटिसिज्म (आलोचना) किया है उस पर जो अमेंडमेंट है उससे यह पता चलता है कि वह आधे सहमत हैं कि जो बिल हमारे सामने है उसमें अमेंडमेंट पेश करने से उसका मतलब यह है कि सदस्य महोदय उसके पक्ष में हैं। थोड़ा सा उसमें इधर उधर करा के ठीक कराना चाहते हैं। तो तिवारी जी से तो मैं कहूंगा कि अपने संशोधन को वापस करें और इस बिल को पास होने दें। साथ ही उन्होंने यह भी क्रिटिसाइज किया कि कुछ काम नहीं हुआ, मैं पंडित जी को बताना चाहता हूं कि सन् १९४७ में, जब से स्वराज्य मिला, हम लोगों ने बिजली उन कोनों में भी पहुंचाई जहां पर रात में एक भी लालटैन नहीं दिखाई देती थी। जिन गलियों से निकलना दुश्वार था, जिन म्युनिसिपैलिटियों के गलियारों से निकलना सावन और भादों की रात्रि में असम्भव था, सांप काट लेते थे, आज उन गोशों में बिजलियां चमक रही हैं। हमारे पास बिजली का बटन नहीं है कि हम यक बयक सारे मुल्क में पहुंचा दें। हमारे मुल्क में आफत और भुखमरी है। हम अपने कितने ही प्रोग्रामों को रोक करके दूसरी तरफ झुकने पर मजबूर होते हैं।

अभी हमारे मुख्य मंत्री ने २१ तारीख को फूड प्राब्लम पर भी इस सदन में कहा कि हम बड़ी स्कीमों को रोक कर फूड प्राब्लम को साल्व करेंगे? इसलिये यह कोई ऐसी बात नहीं है। हमें अभी ५-६ वर्ष हुये कि स्वराज्य मिला है, हम चल रहे हैं। मैं देखता हूं कि कोई कहता है कि हम पहाड़ के हैं, हम मैदान के हैं। इन चीजों से काम नहीं चल सकता। हम जितने सदस्य हैं, हम लोगों ने शपथ ली है कि इस गवर्नमेंट के बाजू मजबूत करेंगे। हर सोशलिस्ट भाई जो अपोजीशन में बैठे हैं या जो भी हैं उनका इस तरफ फर्ज है कि गवर्नमेंट के बाजू को मजबूत करें। साथ ही हमारे उपाध्याय जी बोले तो वह हमारे लायक दोस्त को क्रिटिसाइज कर रहे थे कि वह पहाड़ के हैं, उनको बिजली का ज्ञान नहीं है। वह भी पहाड़ ही से आये हैं। उपाध्याय जी ने जो कुछ कहा उससे ऐसा मालूम होता था कि वह लाइसेंस के फेर में रहे और कोशिश करते रहे और जिनको दिलवाना था उनको नहीं दिलवा सके उसी के गुबार में वह भी क्रिटिसाइज (आलोचना) कर रहे थे।

अध्यक्ष--माननीय सदस्य से मैं कहूंगा कि वह व्यक्तिगत आक्षेप कोई न करें।

श्री शिवनारायण--श्रीमान्, आक्षेप नहीं कर रहा हूं। उन्होंने कहा इस सदन के अन्दर इसलिये उसका जवाब देना उचित समझता हूं।

अध्यक्ष--किसी आक्षेप का जवाब आक्षेप से नहीं होता।

श्री शिवनारायण--आक्षेप नहीं कर रहा हूं। अगर आप आक्षेप समझते हैं तो मैं वापस लेता हूं। हां, तो साथ ही क्रिटिसाइज (आलोचना) करना तो आसान है लेकिन "टु ऐक्ट इज डिफिकल्ट" (कार्य करना कठिन है)। जरूरत है कि हम जितने भी बिल्स हाउस में आयें, उनपर मनन करें। सरकार के हर बिल पर जोरदार सहायता पहुंचाई जाय। हमारे राजा साहब ने एक सुझाव पेश किया कि ३ महीने के लिये अगर इसको कर दिया जाय तो अच्छा है। चीज सुन्दर ढंग से उन्होंने कही, उसपर विचार किया जा सकता है। अगर कोई सुन्दर बात कहे तो हर सदस्य का फर्ज है कि उसको माने।

एक बात मैं जरूर कहूंगा कि शिकायत है बिजली के मिलने में। बस्ती में बिजली है, और शहरों में भी है जैसा कि पीछे से एक सदस्य कह रहे हैं हर जगह शिकायत है कि जो लोग एप्लिकेशन (आवेदन पत्र) देते हैं उनको नहीं मिलती। इसको हम टालते नहीं, यह शिकायत है। मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस तरफ लाना चाहता हूं कि इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि बिल चाहे जिस ढंग से आप लावें, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ भी ध्यान देना चाहिये कि जो जरूरतमन्द हैं उनको मिले। ऐसा भी हुआ है कि जो बहुत बड़े लोग हैं उनको बहुत ज्यादा मिल गयी है और जो मिडिल क्लास के आदमी हैं वह मुसीबत में हैं। जो पेशेवर लोग हैं, मशीनें चला रहे हैं। फैक्टरी चला रहे हैं उनको नहीं मिल पाती है। "वी आर रनिंग ए डेमोक्रैटिक गवर्नमेंट"। इस डेमाक्रैसी के जमाने में हमको चाहिये कि हम हर तरफ ख्याल रखें। यह नहीं कि कोइनसाइडेंट देखें। मैं गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट (प्रार्थना) करूंगा कि इस तरफ ध्यान दें और तिवारी जी से अनुरोध करूंगा कि भाई, आप तो पूरा माने हुये हैं, जरा सा संशोधन आपका है। अगर आप वापस कर लें तो अति उत्तम है।

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)--माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बिल तो बहुत छोटा सा था। मैं समझता हूं कि उसके ऊपर बहुत अधिक वादविवाद नहीं होना चाहिये था लेकिन कुछ बात ऐसी समझ में आ रही है कि जो सदस्य इस बिल के ऊपर बोल रहे हैं उनकी मंशा कुछ इससे और आगे हैं? लोगों की मांग है कि हमारे प्रदेश के अन्दर बिजली की मात्रा और अधिक होनी चाहिये। हमारी गवर्नमेंट को ऐसे हालात पैदा करने चाहिये जिससे हमारे सूबे में बिजली अधिक बनने लगे। पिछली मर्तबा जिस समय बजट के ऊपर यहां पर बहुत सी स्पीचेज हुईं उससे भी यह ज्ञात होता था कि बिजली की मात्रा बहुत कम है, बिजली एक ऐसी चीज है जिस की देश को बेहद जरूरत है। यदि किसी देश को तरक्की करना है तो उसके लिये बिजली की शक्ति बहुत आवश्यक है। स्टैलिन ने यह बात कही थी "कि हमारे देश के अन्दर दो चीजों की आवश्यकता है, एक सोवियट यानी पंचायतों की और दूसरी बिजली की।" मैं समझता हूं कि हमारे देश में बिजली की बेहद जरूरत है। इसके लिये गवर्नमेंट क्या कर रही है यह तो मैं समझता हूं कि सब लोगों को मालूम है मगर मैं भी इस बात को मानता हूं कि जितना इस तरफ हमको चलना चाहिये उतना अभी हम नहीं चल रहे हैं। एक चीज जो मुझे हमेशा खटकती रहती है वह यह है कि हमारे यहां वह बड़ी मशीनें पैदा नहीं की जा रही हैं जिनके जरिये से हम बिजली पैदा करते हैं। यदि हमारे देश में या हमारे प्रान्त में टरबाइन्स की जरूरत होती है तो हमें दूसरे देशों की तरफ देखना पड़ता है और अक्सर ऐसा होता है कि कई-कई साल तक भी जो आर्डर्स हमारी तरफ से किये जाते हैं वे सप्लाई नहीं किये जाते, जिसका फल यह

होता है कि जो काम जल्दी होना चाहिये था वह जल्दी नहीं हो सकता। और हमारी सब स्कीमें एक लम्बे अर्से के लिये बढ़ जाती हैं।

इसलिये मैं अपनी सरकार से यह अनुरोध जरूर करूंगा कि बिजली की जो बड़ी-बड़ी मशीनें हैं जिनके जरिये से बिजली बनती है उनकी तरफ खासतौर से ध्यान देना चाहिये। मैं यह मानता हूं कि सरकार के पास शायद उतने रिसोसस नहीं हैं या उतनी शायद एक प्राविंस में जरूरत न हो कि इतनी बड़ी बड़ी मशीनें बनाई जायं मगर मैं समझता हूं कि अगर हमारी प्रांत की सरकारबड़ी बड़ी कम्पनियों को सहायता दे, अमेनिटीज दे, तो यह भी दिक्कत हमारी पूरी हो सकती है।

दूसरी दिक्कत जो मुझे नजर पड़ती है वह ट्रेन्ड पर्सनल की है। हमारे यहां बिजली का काम करने वाले लोगों की बहुत कमी है और यही वजह है कि बिजली की चीजें होते हुये भी बाज दफा हम अपने काम को पूरा नहीं कर सकते। इसलिये दूसरी यह बड़ी आवश्यकता है कि जितनी हमारी युनिवर्सिटीज या दूसरे स्थान इस वक्त बिजली की ट्रेनिंग देने के लिये हैं वे पर्याप्त मात्रा में नहीं हैं। उनके लिये हमें बहुत जल्दी कोशिश करनी चाहिये कि हमारे यहां बिजली की जानकारी रखने वाले एक्सपर्ट लोग काफी संख्या में हो जाँय जिस से कि हम अपनी मशीनरी को बना सकें और चला सकें और जल्द तरक्की कर सकें।

अब रही बात यह कि आया यह बिल जो अभी हमारे मंत्री महोदय ने रखा है पास किया जाय या न किया जाय। यह एक सीधी सी बात है कि जब एक चीज की कमी है और उस चीज की पूर्ति हमारे पास हो नहीं रही है, तो वह टैम्पोरेरी मेजर्स से या आर्जी कानून के जरिये से पूरी की जाती है। हम देख रहे हैं कि हमारे यहां गल्ला और दूसरी प्रकार की जरूरत की चीजों की कमी है। उन चीजों के लियेअ भी कंट्रोल चल रहे हैं और उन कंट्रोलों के जरिये से हम अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं। अगर हमारे पास बिजली की मात्रा पूरी होती तो हमें ऐसे आर्जी कानूनों की जरूरत नहीं होती किन्तु हमारे यहां चीजों की कमी है, बिजली की कमी है और उसी के लिये यह आर्जी कानून हमारे सामने लाया गया है। हां, यह मैं जरूर कहना चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे कि इस दो वर्ष के अर्से में उनके पास बिजली की इतनी मात्रा हो जाय कि फिर आइन्दा उनको ऐसे कानून को दो वर्ष के लिये यानी सन् १९५६ तक के लिये जरुरत पेश न आये। इसलिये मैं अपने मंत्री महोदय से अध्यक्ष महोदय आपके जरिये से यह प्रार्थना करूंगा कि इस दो वर्ष के अन्दर २ हमारे प्रांत में बिजली की मात्रा इतनी बढ़ जानी चाहिये कि आइन्दा हमें इस बात की नौबत न आये कि इस बिल को फिर दो वर्ष की मियाद बढ़ाने के लिये लाना पड़े। मैं यह भी समझता हूं कि यह आरजी किस्म के कानून कुछ ज्यादा अच्छे क़ानून नहीं होते। जैसा अभी मेरे भाई बालेन्दुशाह जी ने कहा, हमें यदि बिजली का प्रयोग करना है और अपने देश के और प्रांत के काम को बढ़ाना है तो हमें इस कानून को मुस्तक़िल रूप देना चाहिये और जो क़ानून हमारा पहले से इलेक्ट्रिसिटी का बना हुआ है उसमें उस प्रकार का संशोधन कर देना चाहिये कि जिससे हमारे प्रान्त में बिजली की मात्रा भी बढ़े और सब लोगों के पास पर्याप्त मात्रा में बिजली पहुंच जाय।

श्री मुश्ताक़ अली खां (जिला बदायूं)—जनाबवाला, मैं मश्कूर हूं कि जनाब ने मुझको मौका दिया कि मैं इस सिलसिले में कुछ अर्ज कर सकूं। जहां तक कि इस बिल का ताल्लुक है, मैं इसकी मुवाफिक़त में हूं और मैं समझता हूं कि हुकूमत को ये अख्तियारात जो इस सिलसिले में मांगती है जरूर मिलने चाहिये। लेकिन मेरी गुज़ारिश यह है कि इसमें कोई शुबहा नहीं है कि सप्लाई उतनी नहीं है जितनी कि उसके मुताल्लिक डिमांड है। लेकिन, जितनी भी बिजली पैदा होती है उसको इस तरीके से बांटा जाता है कि बाज लोगों को बहुत ज्यादा हासिल हो जाती है और बाज जगह वह बिलकुल नहीं पहुंचती। मैं जिस कांस्टीटुएन्सी (निर्वाचन क्षेत्र) से मुन्तखिब होकर आया हूं वहां इसकी बहुत जरूरत महसूस की जाती है और मैंने आनरेबिल हाफिज मुहम्मद इब्राहीम साहब के सामने हाजिर हो कर इसकी गुजारिश

[श्री मुश्ताक़ अली खां]

भी की थी। अब मैं यह समझता हूं कि जब दो साल के लिये हुकूमत को डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर मजीद अख्तियारात हासिल होंगे उस वक्त वह इस चीज का जरूर ख्याल फ़रमायेंगे कि ऐसे मुक़ामात पर जहां बिजली नहीं पहुंची है, जहां डिमांड (मांग) ज्यादा है, जहां के लोग बिजली न होने की वजह से अपने कारोबार को आगे नहीं बढ़ा सकते उनकी जरूरत को मरहूज खातिर रखा जायगा। आज कल जब कि जमींदारी खत्म हो गयी है और बेकारी के बढ़ने का ज्यादा इमकान है तो ऐसे मुकामों पर जहां कि बिजली पहुंचने से छोटी-छोटी इंडस्ट्रीज चालू हो सकती हैं वहां अगर बिजली मांगी जाय तो मैं यह अर्ज करूंगा कि उनके इस मतालबे को निहायत हमदर्दी के साथ देखा जाय और उनको बिजली जरूर दी जाय। इस क़दर अर्ज करने के बाद मैं यह कहूंगा कि बिजली मेरी कांस्टीटुएंसी के बहुत क़रीब तक पहुंच गयी है, दो मील के फासले पर मौजूद है और सैफ़ान के रहने वाले, जहां से मैं मुन्तिखब हो कर आया हूं, इसका मतालबा करते हैं तो कुछ बेजा नहीं है कि बिजली की सप्लाई वहां भी होने लगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आइन्दा जब बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन (वितरण) होगा तो इस चीज को मरहूज-खातिर रखा जायगा कि ऐसी छोटी-छोटी इंडस्ट्रीज के लिये जिनसे लोगों को काम करने का मौका मिल जायगा और अपनी रोजी कमा सकेंगे, बिजली जरूर दी जायगी। इस क़दर अर्ज करने के बाद मैं यह उम्मीद करता हूं कि ये अख्तियारात जो हुकूमत चाहती है वे उसको जरूर मिल जाने चाहिये।

श्री गजेन्द्र सिंह (जिला इटावा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय नारायण दत्त तिवारी जी ने सदन के समक्ष रखा है मैं उसका समर्थन करना चाहता हूं। इससे पहले कि मैं उसके समर्थन में कुछ दलीलें पेश करूं मैं माननीय चन्द्रसिंह जी ने जो दलीलें उसके विरोध में दी हैं उनका जिक्र करना चाहता हूं। उन्होंने पहली दलील यह दी है कि डोमेस्टिक परपजेज (घर के कामों) के लिये सब को बिजली कहां से दी जाय। माननीय नारायण दत्त जी ने यह सुझाव माननीय मंत्री जी के सामने पेश किया था कि ज्यादा से ज्यादा डोमेस्टिक परपजेज के लिये बिजली दी जानी चाहिये। उस पर माननीय चन्द्रसिंह जी का यह कहना है कि सबको बिजली नहीं दी जा सकती। मैं उनको यह बतलाना चाहता हूं कि अगर सरकार चाहे और सब तरफ से किफायत की जाय तो डोमेस्टिक परपजेज (घर के कामों) के लिये ज्यादा से ज्यादा बिजली दी जा सकती है। इंडस्ट्रीज को जो बिजली दी जाती है उसमें से ६ बजे से लेकर ९ बजे तक इंडस्ट्रीज बन्द रहती हैं। इस वक्त किसी किस्म की बिजली इंडस्ट्रीज के लिये खर्च नहीं की जाती है। यह समय ऐसा है कि डोमेस्टिक परपजेज के लिये बिजली दी जा सकती है। पंखा चलाने के लिये या बिजली जलाने के लिये दी जा सकती है। इस तरह से यदि बिजली घरेलू कामों के लिये बचत करके दी जाय तो कुछ न कुछ इजाफा हो सकता है। दूसरी चीज यह है कि सिनेमा हाउसेज को बहुत ज्यादा बिजली दी जाती है। दस बजे से लेकर रात के एक-एक बजे तक सिनेमा चलते हैं और उनमें बहुत ज्यादा बिजली खर्च होती है और दो-दो तीन-तीन शो होते हैं। बड़े-बड़े शहरों में इनकी तादाद २०—२५ तक होते हैं और छोटे शहरों में भी ३—४ की होती है। इस तरह से इनमें से कुछ बिजली की बचत की जाय तो मुझे यकीन है कि घरेलू मामलों के लिये बिजली दी जा सकती है।

इस तरह से जो सुझाव तिवारी जी ने रखा था और श्री चन्द्र सिंह जी ने जो दलील थी उसका जवाब देता हूं। इसके साथ-साथ यह कहा था कि इस ऐक्ट में संशोधन करना चाहिये था। जहां तक प्रवर समिति के सुपुर्द करने का सवाल है यह संशोधन ही पेश किया गया है और १०—१५ संशोधन पेश करते यानी जो-जो इस बिल में खामियां हैं उन सबके बारे में अलग अलग संशोधन पेश करते तो

इस सदन का बहुत सा समय बरबाद होता। इसलिये श्री तिवारी जी ने इसको प्रवर समिति के सुपुर्द करने का संशोधन पेश किया है वह बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य किया है। इसके साथ ही साथ इस बात की भी माननीय मंत्री जी से प्रार्थना की है कि इसमें जो खामियां हैं, जो गल्तियां हैं वह काफी तादाद में हैं, इनको प्रवर समिति के सुपुर्द करने से ठीक किया जा सकता है।

इसके साथ ही साथ श्री चन्द्र सिंह जी ने एक दलील और दी थी उसका जवाब तो हम लोग नहीं दे सकते हैं शायद इसका जवाब तो कोई पहाड़ी ही उन्हें दे सकता है। उन्होंने बड़े जोरदार शब्दों में अपनी बात को रखा जिससे माननीय सदस्यों के कान के परदे भी फट गये होंगे। यह जो दलील है उसको मैं इतने जोरदार शब्दों में नहीं रख सकता हूं। जहां तक श्री सुल्तान आलम खां ने कहा कि क्या ही अच्छा होता कि एडवाइयजरी कमेटी बनाये जाने का संशोधन रखा जाता, जो कनेक्शन वग़ैरा देने में मदद करती। तो, जहां तक एडवाइजरी कमेटी का सवाल है, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह संशोधन आपके सामने आयेगा। उस वक्त यदि आप चाहें तो अपना मत उसके पक्ष में दें। लेकिन मेरा यकीन है कि हम जो भी संशोधन रखेंगे वह कितना ही अच्छा क्यों न हो, कितना ही जनता के फायदे का हो, मगर आप कभी सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। यदि आप करेंगे तो पता चल जायगा। श्री ऐजाज रसूल ने कहा कि प्रवर समिति की बात है तो वह सन् ५२ के बजाय ५३ कर देगी या ५४ कर देगी। लेकिन उससे आम बिल में परिवर्तन नहीं हो सकता है। मैं इसके जवाब में यह कहना चाहूंगा कि तिवारी जी ने जो प्रवर समिति को यह बिल सुपुर्द करने को कहा है तो पूरे बिल के लिये कहा है कि पूरा बिल सुपुर्द किया जाय और जो गल्तियां हैं, खामियां हैं, करप्शन है तथा भ्रष्टाचार है, इन तमाम चीजों को ठीक करके हाउस के सामने यह बिल लाया जाय। इसके साथ-साथ श्री शिवनारायण जी ने कहा है कि देश में भुखमरी फैली है दूसरी तरफ लोग बिजली की बात करते हैं। मैं उनको यह बतलाना चाहता हूं कि इस भुखमरी की समस्या को भी हम बिजली के द्वारा ही हल कर सकते हैं। अब बिजली लक्जरी की चीज न रह कर हमारे जीवन में एक बहुत ही जरूरी चीज हो गई है जिससे जीवन की आवश्यकतायें पूरी हो सकती हैं। इसके साथ ही श्री शिवनारायण जी ने उपाध्याय जी के बारे में कुछ बातें कहीं। मैं उनका जवाब तो नहीं देना चाहता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि उनकी कथनी में और करनी में बहुत अंतर है। आज सुबह ही उन्होंने हम से कहा था कि आज आप कुछ करना चाहते हैं या नहीं। मैंने कहा कि आप क्या करवाना चाहते हैं तो उन्होंने कहा कि बनारस में जो विद्यार्थियों के ऊपर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज हुआ है, उसके संबंध में काम रोको प्रस्ताव लाइये। मैंने कहा कि आप सपोर्ट करेंगे तो उन्होंने कहा जरूर करेंगे। लेकिन सपोर्ट करने की बात तो अलग रही आपने वोट तक इसके पक्ष में नहीं दिया। इसका मतलब यह है कि कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। इसके साथ-साथ जो सुझाव नारायणदत्त तिवारी जी ने सरकार के सामने रखा है उसमें उन्होंने बताया है कि जहां तक बिजली का ताल्लुक है कि इसका प्रोडक्शन इतना ज्यादा नहीं हो पाया है और इसी वजह से सरकार बार-बार इसमें संशोधन चाहती है। सन् १९४७ ई० में इसको एक साल के लिये बढ़ाया गया था। सन् १९४८ ई० में इसको दो साल के लिये बढ़ाया और उस वक्त कहा यह गया कि सन् ५० में इतनी बिजली बढ़ जायगी कि जिससे लोगों को बिजली मिलने लगेगी। मांग उसकी ज्यादा होने से कंट्रोल सरकार को लगाना पड़ा। सन् १९५० में फिर इसको दो साल के लिये बढ़ाया गया और अब सन् १९५२ ई० में इसको दो साल के लिये फिर बढ़ाया जा रहा है और फिर ५४ में इसको दो साल के लिये और बढ़ाया जायगा, क्योंकि बिजली की मांग बराबर बढ़ती रहेगी और आपका प्रोडक्शन इतना

[श्री गजेन्द्र सिंह]

ज्यादा नहीं होगा कि आप उसकी मांग को पूरा कर सकें। जब तक प्रोडक्शन हमारे प्रदेश में नहीं बढ़ेगा तब तक आप इस बिजली की मांग को पूरा नहीं कर सकते।

आपके जो रिहण्ड डाम और दूसरे डाम हैं वह सन् ६० तक भी पूरे नहीं होंगे। सरकार कहेगी कि उसके पास पैसा नहीं है अगर उसके पास पैसा नहीं होगा तो फिर वह कैसे इनको पूरा कर सकती है। और फिर आप जनता की मांग को भी कैसे पूरा कर सकते हैं। तो बजाय इसके हर दो साल में आप इस बिल में संशोधन करना चाहते हैं। आप कहिये कि इस बिल के अन्दर बहुत सी खामियां हैं इसको आप प्रवर समिति के सिपुर्द कर दें और वहां पर जो इसमें खामियां हैं। वह सब ठीक हो जायंगी। हमारे नारायण दत्त तिवारी जी ने जो संशोधन पेश किया है वह बहुत ही मुनासिब है। इसके साथ ही मैं माननीय वित्त मंत्री से यह कहना चाहता हूं कि जहां तक इस ऐक्ट का ताल्लुक है इसके अन्दर खामियां हैं और उसकी वजह से ही करप्शन है, भ्रष्टाचार है और इस भ्रष्टाचार की वजह से बिजली का विभाग बहुत बदनाम हो रहा है। हर आदमी से यही सुनने को मिलता है कि बिजली उसको तभी मिल सकती है जब वह दो सौ, चार सौ रुपये खर्च करे। इसका मतलब यह नहीं कि मैं माननीय वित्त मंत्री जी की नियत पर अटैक कर रहा हूं लेकिन यह आम शहादत आपको हर जगह मिल सकती है जिसकी वजह से बिजली का महकमा बहुत बदनाम हो रहा है। जहां तक कनेक्टर को ३ महीने तक टैम्पोरेरी कनेक्शन मेडिकल ग्राउण्ड पर देने का सवाल है अधिकतर यही होता है कि ३ महीने के लिये कनेक्शन मिल जाते हैं। वे लोग अपने घरों में फिटिंग कराते हैं। तीन महीने के बाद उनके कनेक्शन कट जाते हैं। उनका बहुत सा रुपया व्यर्थ खर्च होता है। बिजली बराबर रखने के लिये वे लोग दरख्वास्त देते रहते हैं और कोशिश करते रहते हैं और फिर उनकी मियाद बढ़ाई जाती है। इस तरह से वर्षों मियाद बढ़ाई जाती है। बहुत से लोग इस तरह से बिजली लेते हैं। अब बतलाइये कि हर दफा डाक्टर को १५-२० रुपया दिया जाय और हर तीन महीने में उसको बढ़ाने के लिये खर्च करना पड़ता है। इस तरह से खामखाह लोगों का रुपया खर्च होता है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि जहां तक इस ऐक्ट का सम्बन्ध है आप इसको इस तरह से बनाइये कि इसका इस्तेमाल ठीक ढंग से हो और कोई नाजायज फायदा न उठा सके। इंडस्ट्रियल परपजेज के लिये जो कनेक्शन दिया जाता है उसको भी लोग मिसयूज करते हैं। अगर किसी ने ५ किलोवाट का लिया है तो उससे वह ज्यादा काम लेता है और दूसरी मशीनरी भी लगा लेता है। कोई देखने के लिये आता है तो उसको कुछ रिश्वत दे दी जाती है और इस तरह से लोग इसका ग़लत इस्तेमाल कर रहे हैं। इसकी भी सही तरीके से देख भाल होनी चाहिये आवश्यकता से ज्यादा जो बिजली इस्तेमाल करते हैं वहां से बिजली बचा कर सरकार के जो जरूरी काम हैं उनमें उसको इस्तेमाल करना चाहिये। इस ऐक्ट की तमाम व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिये और सब काम ठीक ढंग से लाने के लिये सरकार के पास कोई मेशीनरी नहीं है। इसलिये जरूरी है कि इस ऐक्ट में संशोधन पेश किया जाय और इसे एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जिससे तमाम ऐक्ट की खराबी दूर हो जाय। साथ ही साथ लोगों को बिजली के रेट्स भी ज्यादा देने पड़ते हैं। जहां पर कम्पनियां उद्योग-धंधों को बिजली देती हैं वहां रेट्स बहुत ज्यादा हैं और जहां हाइड्रोएलेक्ट्रिक हैं वहां रेट्स कम हैं। रेट्स में एक सामञ्जस्य होना बहुत जरूरी है। इसके लिये भी एक मूलभूत सिद्धान्त की जरूरत है और यह कार्य एक प्रवर समिति के द्वारा ही हो सकता है।

इन शब्दों के साथ मैं श्री नारायणदत्त जी के संशोधन की ताईद करता हूं और माननीय सचिव से निवेदन करूंगा कि वह इस संशोधन को मान लें और इसके मानने

से बिजली के मिलने में जो बेचैनी लोगों को है और जो अव्यवस्था है वह दूर हो जायगी। दरख्वास्तें दो-दो साल पड़ी रहती हैं और बिजली नहीं मिलती, रुपयों वालों को या जो दौड़ सकते हैं उनको मिल जाती है। जो एम० एल० एज० से, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज़ से और डिप्टी मिनिस्टर या मंत्री से सिफारिश करा सकते हैं उनको मिल जाती है, लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है या जो इन लोगों की सिफारिश नहीं करा सकते हैं उनको बिजली नहीं मिलती है। भालदार लोग बिजली ले लेते हैं और चोरी से पास के घरों में वह दिया करते हैं। लोगों के घर में अगर कोई बीमार होता है तो वह डाक्टर के सर्टिफिकेट से बिजली पाने की कोशिश करता है और अगर उस तरह से नहीं मिलती है और मरीज के लिये पंखे की जरूरत होती है तो पैसा खर्च कर के लोग लेते हैं और ब्लैक चलता है और अनैतिकता से लोग बिजली लेते हैं। आशा है कि माननीय सचिव इस संशोधन को मान लेंगे और इसको एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर देंगे जो अपनी रिपोर्ट यहां पेश करे ताकि तमाम कमियां दूर हो जायं।

श्री राम नरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो बिल हमारे सामने है और उसके साथ जो संशोधन है इन दोनों को देखने के बाद और उन पर माननीय सदस्यों के भाषण सुनने के बाद यह बात समझ में नहीं आती है कि अगर बिल कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया तो बिजली कहां से ज्यादा पैदा हो जायगी। बिजली तो उसी हालत में मुल्क में मिल सकती है जब कि बिजली के उत्पादन के साधन और शक्ति अधिक हो। जहां तक इस संशोधन का और इस बिल का सम्बन्ध है उनके बारे में बहुत सी बातें कही गई हैं और उसमें इतनी दूर तक पहुंचा गया है कि भ्रष्टाचार और करप्शन की बातें भी ला दी गई हैं। यह बात हमारी समझ में नहीं आती है कि दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो हर वक्त यहां सड़क और गली की बातें बतलाई जायं, जो बातें यहां कही गई हैं उनके विषय में मैं इतना ही अर्ज करूंगा कि जरा जिस रंग का चश्मा अपनी आंखों में लगाये हैं उसको हटा दें तो उनको दुनिया अच्छी नजर आये।

एक सदस्य—आपका चश्मा ले लें।

श्री राम नरेश शुक्ल—हमारा चश्मा आपके फिट नहीं होगा। अगर आप अपना चश्मा बदल दें तो आप ही को दुनिया अच्छी दिखलाई पड़ सकती है। इस बिल के सम्बन्ध में यह भी कहा गया कि जरूरी कामों के लिये बिजली मिलना बहुत जरूरी है। मुझे नहीं मालूम कि उन माननीय सदस्यों के घर में क्या तकलीफें हो रही हैं और उन पर कितनी डाटें पड़ रही हैं कि बिजली न पहुंचने के कारण वह यहां इतना शोर मचाते हैं। और विशेषतौर पर इसलिये जरूरी है कि आज के दिन उनका झंडा कुछ बदलता हुआ दिखाई देता है। उसमें हल और चरखा दिखाई पड़ रहा है। तो जब बिजली का पक्षपाती नहीं, बल्कि बिजली का विरोधी उनका नेता होने जा रहा है तो आज के दिन और इस देश में तथा इस प्रान्त में, इस बिजली की बात को इतना चलाना मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो विरोधी दल वालों से यह आशा करता था कि वे जरा इस बिजली की समस्या पर पहले उनसे कुछ बातें कर लेते जो बिजली की समस्या और सभ्यता को रावण की सभ्यता कहते हैं?

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विरोधी दल के माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि आज से वे बदलें और बदलने के साथ वैसी ही बातें कहना भी शुरू करें। उन्हें यह सोचना चाहिये कि घरेलू कामों के लिये और सब कामों के लिये बिजली

[श्री राम नरेश शुक्ल]

कहां तक मुमकिन है। मेरा तो यह ख्याल है कि भविष्य में हमारे विरोधी दल वाले कुछ ऐसी बातें अब करेंगे कि बिजली यहां भी कम होनी चाहिये और वहां भी कम होनी चाहिये। वे कहेंगे कि उससे कोई फायदा नहीं है। तो मैं यह कहूंगा कि जहां तक आज के दिन का सम्बन्ध है उसमें ऐसी मौलिकता की बातों को उठाने की बात नहीं है। पहाड़ के लोग तो प्रकृति की गोद में रहते हैं और वे बनावट को पसन्द नहीं करते तो खास कर उन्हें ऐसी बातें नहीं उठाना चाहिये। मालूम होता है कि चूंकि वे कुछ दिनों से लखनऊ में रहते आये हैं तो इसलिये उन्हें बिजली की चकाचौंध लग गई है और वे कहते हैं कि यहां भ्रष्टाचार है, और वहां भ्रष्टाचार है घरेलू बिजली मिलनी चाहिये और वहां नहीं होनी चाहिये। तो उनकी ये सब बातें मेरी समझ में नहीं आईं।

श्री राजनारायण (ज़िला बनारस)——माननीय अध्यक्ष महोदय, आज के वाद-विवाद में खड़ा होने का मेरा विचार तो नहीं था मगर जो बातें ट्रेज़री बेंचेज की तरफ से कही गई हैं उन्हें सुन कर मुझे आश्चर्य हुआ और मैं खड़ा होने के लिये बाध्य हुआ। यह बिल जो पेश है उसके जो उद्देश्य बताये गये हैं उनसे हमारे ट्रेज़री बेंचेज के माननीय सदस्यों को कुछ बुद्धि-विभ्रम हो गया है। अभी-अभी हमारे पुराने दोस्त श्री रामनरेश जी ने कुछ सबक देने की चेष्टा की। मैं उनको थोड़े में बता देना चाहता हूं। इन्हीं तरीक़ों से कुछ बुद्धि-विभ्रम में लिपटे यहां पर और भी सरकारी दल में लोग होंगे, वहां पर जो अमेरिकन एम्बुजेसी के इन्चार्ज हैं वह २३ तारीख को हमारे पास आये। उन्होंने कहा कि आप एक्सप्लायटर (शोषक) किसको कहते हैं। उनको मैंने बताया कि अगर वनवर्ल्ड गवर्नमेंट को वे कनसीव करते हैं, (विश्वसरकार की बात मानते हैं) रामनरेश जी अगर ध्यान से सुनेंगे तो उनका उत्तर इसमें मिल जायगा, तो दुनिया की जितनी संपत्ति है और दुनिया के जितने मनुष्य हैं उनमें उस सबको बांट दीजिये और जितना एक हिस्से में वह पड़ती है अगर उसके ऊपर कोई लेता है तो वह ऐक्सप्लाइटर माना जायगा। इसको सुनकर वह बड़े आश्चर्य में पड़े लेकिन अन्त में उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि जब तक इस सिद्धान्त को मानने वाले नहीं होंगे तब तक शोषित और शोषक का भेद नहीं मिटेगा। माननीय रामनरेश जी कुछ इशारा कर रहे थे उस आदर्णीय व्यक्ति (कृपलानी जी) की ओर जिनका चरण चुम्बन वह बहुत दिनों तक करते रहे। मगर कुछ दृष्टि दोष भी होता है। जब आदमी अपने साथ रहता है तो उसके सब गुण ही हमको दिखाई देते हैं लेकिन जब वह अपने से दूर चला जाता है तो उसके अन्दर सब अवगुण ही अवगुण दिखाई देते हैं। मैं आपके द्वारा रामनरेश जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस दोष और बुद्धि-विभ्रम को दूर कर दें तभी वे वस्तुस्थिति पर विचार कर सकेंगे। अगर वे सचमुच देखेंगे तो उनको मालूम होगा कि आज दुनिया उसी नतीजे पर आ रही है जिसके लिये हम पिछले ५——६ वर्षों से कहते चले आये हैं। चाहे अफ्रीका हो, रूस हो, या हिन्दुस्तान हो वही टैक्नोलाजी रूस एडाप्ट करता है और वही अफ्रीका एडाप्ट करता है, जो अन्तर दिखाई पड़ता है वह प्रोडक्शन में है। रिलेशन (उत्पादन के सम्बन्ध में) है। उनके इस बुद्धि-विभ्रम को दूर करने के विषय में मैं एक बात और कह कर अपने मुख्य विषय पर आता हूं।

अध्यक्ष——इस समय तो समय ज्यादा लगेगा। कल ही अपने मुख्य विषय पर आइयेगा क्योंकि मुझे कुछ सूचनायें देनी हैं।

किंग एडवर्ड सप्तम सेनीटोरियम भुवाली की परामर्शदात्री समिति के लिये सदस्यों के निर्वाचन के सम्बन्ध में सूचना

अध्यक्ष---किंग एडवर्ड सप्तम, सेनीटोरियम भुवाली के लिये परामर्शदात्री-समिति में दो सदस्यों के स्थानों की पूर्ति होना थी उसके लिये ४ सदस्यों के नामांकन-पत्र प्राप्त हुए हैं, जो ठीक हैं। ये चार नाम इस प्रकार हैं:---

१---श्री अवधेश चन्द्र सिंह
२---श्री रमानाथ खेरा
३---श्री काली चरण टंडन
४---श्री लक्ष्मी दत्त भट्ट

इनमें से जो सदस्य अपने नाम २९ तारीख के तीन बजे तक वापिस लेना चाहें ले सकते हैं। अगर उस दिन तक नाम वापिस नहीं हुए तो चुनाव के लिये जो तिथि रखी गई है उस दिन चुनाव होगा।

माक्कलन समिति के निर्वाचन के सम्बन्ध में सूचना

अध्यक्ष---दूसरी एस्टीमेंट कमेटी के लिये २५ नाम नामजद होने थे। ४४ सदस्यों की नामजदगी ठीक हुई। उनके नाम मैं पढ़ देता हूं जिसमें यह आसानी रहेगी कि भाई नाम वापस लेना चाहे तो वह ले सकेगा और इसके लिये २९ तारीख के तीन बजे तक का समय रखा गया है। उस समय तक जो साहब नाम वापस लेना चाहें ले सकते हैं।

१---श्री नवल किशोर
२---श्री भगवान सहाय
३---श्री विशम्भर नाथ पांडेय
४---श्री महावीर प्रसाद शुक्ल
५---श्री भगवती प्रसाद शुक्ल
६---श्री नेकराम शर्मा
७---श्री ब्रजबिहारी मेहरोत्रा
८---श्री द्वारिका प्रसाद मित्तल
९---श्री केशव गुप्त
१०---श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ
११---श्री हरिश्चन्द्र वाजपेयी
१२---श्री राम अवध सिंह
१३---श्री भृगुनाथ चतुर्वेदी
१४---श्री रामदुलारे मिश्र
१५---श्री श्रीचन्द
१६---श्री रमेश वर्मा
१७---श्री जगन्नाथ दास
१८---श्री बलवन्त सिंह
१९---श्री हबीबुर्रहमान खां
२०---श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा
२१---श्री धर्म सिंह
२२---श्रीमती चंद्रवती
२३---श्री बेचन राम गुप्त
२४---श्री राम नरेश शुक्ल
२५---श्री कैलाश प्रकाश
२६---श्री चन्द्र सिंह रावत
२७---श्री महमूद अली खां
२८---श्री जगदीश प्रसाद
२९---श्री राम प्रसाद देशमुख
३०---श्री चन्द्रभानु शरण सिंह
३१---श्री राम स्वरूप
३२---श्री राम सनेही भारतीय
३३---श्री बाबूलाल मीतल
३४---श्री राधा मोहन सिंह
३५---श्री आचार्य जुगुल किशोर
३६---श्री अक्षयबर सिंह
३७---श्री सूर्य बली पांडेय
३८---श्रीमती आशालता व्यास

[अध्यक्ष]

३९—श्री अंसमान सिंह

४०—श्री राम नारायण त्रिपाठी

४१—श्री वीरेन्द्र शाह

४२—श्री देव राम

४३—श्री शिव कुमार शर्मा

४४—श्री शिव कुमार पांडेय

ये ४४ नाम हैं ।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ४ मिनट पर अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

कैलास चन्द्र भटनागर
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ,
२६ अगस्त, १९५२ ।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १६ व १७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९१ पर)

प्र० १६—बुलन्दशहर जिले के उन क्षेत्रों को जो निम्नलिखित रजबहों से सींचे जाते हैं लगातार लगभग एक महीने तक पानी मिलता रहा:—

रजबहों के नाम			महीना
१—सेंहडा	..	..	मई, १९५१
२—सिकन्दराबाद	..	..	जून, १९५१
३—मैनकलदा सिभोही	..	..	जून, १९५१
४—लोअर परिक्षत गढ़	..	..	नवम्बर, १९५१

प्र० १७—बुलन्दशहर जिले में निम्नलिखित रजबहों से सिंचने वाले क्षेत्रों को साप्ताहिक पानी प्राप्त होता रहा।

रजबहों का नाम	महीना
१. डासना २. दादुपुर ३. बुलन्दशहर ४. बलीपुरा ५. इकला ६. रास्त कल्दा	वर्ष भर मई, १९५१ के अतिरिक्त
७. सेंहडा ८. कोल ९. पलड़ा १०. पहासऊ	वर्ष भर नवम्बर, १९५१ के अतिरिक्त
११. तलवार १२. धुसराना १३. लक्ष्मपुर १४. धारकपुर १५. गंगागढ़ १६. कुरेनी	अगस्त से अक्तूबर व मार्च, १९५२ के अतिरिक्त महीनों में

१७. मेरठ डिविजन के समस्त रजबहे जो बुलन्दशहर जिले में हैं।

१८. सिकन्दराबाद व खुर्जा तहसीलों में रबी फसल के आरम्भ में नहरें एक सप्ताह चलीं और एक सप्ताह बन्द रहीं। दिसम्बर के बाद दो सप्ताह बन्द और एक सप्ताह चलीं।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९४ पर)

शारदा पावर हाउस में लगे हुये कर्मचारियों की सूची

क्रम संख्या	पद का नाम	वेतन का दर	नं०
१	इक्जीक्यूटिव इंजीनियर	रु० ५००–५०–१०००–ई० बी० ५०–१२००	२
२	असिस्टेंट इंजीनियर	रु० २५०–२५–४०० ई० बी० ३०–७००–ई० बी० ५०–८५० (आरम्भ में ३०० रु० प्रति माह)	९
३	इलेक्ट्रिक व मेकैनिकल असिस्टेंट	जैसा ऊपर संख्या दो में	२
४	मेडिकल आफिसर	रु० २५०–२५–४००–ई० बी०२५–७००	१
५	हैड क्लर्क	रु० १००–८–१४०–१०–१७०	२
५	अपर ग्रेड क्लर्क	रु० ८०–५–१००–६–१३०	११
७	लोअर ग्रेड क्लर्क	रु० ६०–३–९०–४–११०	१६
८	स्टेनोग्राफर	रु० ७५–४–९५–५–१५०	२
९	सेनेटरी इन्सपेक्टर	रु० ७५–५–१२०	४
१०	स्टोर कीपर	रु० ७५–५–१२०–८–२००	४
११	कम्पाउण्डर	रु० ४५–२–६५–३–८०–४–१००	६
१२	दफेदार	रु० २०–१/२–२५ + ५	१०
१३	बरकन्दाज	,,	४२
१४	चपरासी	,,	१७
१५	मेट	,,	३६
१६	रनर	,,	८
१७	पानीवाला	,,	२

अमर पंचायत सभा

क्रम संख्या	पद का नाम	वेतन की दर	नं०
१८	टेलीफोन अटेन्डेन्ट	२०–1/2–२५+५	१
१९	मेहतर	,,	२
२०	ट्रोलीमैन	,,	४
२१	माली	,,	२
२२	चौकीदार	,,	२
२३	स्टोर मुन्सी	रु० ३०–१–४०	१
२४	असिस्टेंट ड्राफ्टमैन	रु० ४०–२–६५–३–८०	४
२५	ओवरसियर	रु० १२०–६–१६२ ई० बी०६–२१०–१०–२५०	२८
२६	इलेक्ट्रिकल ऐण्ड मैकेनिकल सुपरवाइजर	जैसा क्रम संख्या २५ में	९
२७	डिवीजनल एकाउण्टेंट	रु० १३०–१०–२५०–१५–३५५	२
२८	ड्राफ्टस मैन (अन क्वालीफाइड)	रु० १२०–६–१६२–६–२१०–१०–२५०–(८५–५–१२०–८–२००)	२

हाइडेल जेनरेशन डिवीजन के कर्मचारियों की सूची

१	एक्जीक्यूटिव इंजीनियर	५००–५०–१०००–ई०बी०–५०–१,२००	१
२	असिस्टेंट इंजीनियर	२५०–२५–४००–ई० बी०–३०–७००–ई० बी०–५०–८५० (आरम्भ में ३०० रु० प्रतिमाह)।	१
३	पावर स्टेशन सुपरिंटेंडेंट	२००–१०–२५०–ई० बी०–१०–३१०–ई० बी०–१४–४५०	१
४	एकाउण्टेण्ट कम हेड क्लर्क	१३०–१०–२५०–ई० बी०–१५–३५५	१
५	स्टेनोग्राफर	७५––४–९५–ई० बी०–५–१५०	१
६	नोटर ऐण्ड ड्राफ्टर	८०–५–१००–६–१३०	२
७	रुटीन क्लर्क	६०–३–९०–४–११०	४
८	लाइन इन्सपेक्टर	१२०–६–२१०–१०–२५०	३
९	स्टोर कीपर	७५–५–१२०–८–२००	१
१०	स्विच बोर्ड अटेण्डेण्ट	५०–५–९०	६
११	पिऊन	२०–1/2–२५	४
१२	दफादार	,,	१
१३	बरकन्दान	,,	४
१४	स्वीपर	,,	१
१५	माली	,,	१

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९५ पर)

क्रम संख्या	आनरेरी मजिस्ट्रेटों की अदालतों के नाम	१९५१ में भेजे गये मुक़दमात	१९५१ में फ़ैसले किये गये मुक़दमात	प्रत्येक मुक़दमे को तय करने का औसत समय (दिनों में)
१	फतेहाबाद बेंच	३१	२७	६२
२	कैण्टोनमेंट बेंच	१,६१८	१,१५१	८
३	श्री श्रीधर अग्रवाल	३६	१७	२२
४	श्री हरी कृष्ण गुप्ता	१४३	१४१	१२
५	श्री बी० एम० रावत	४८२	४८२	४
६	श्री हर प्रसाद गुप्ता	५४७	४००	८
७	श्री के० रघुराज सिंह	६२८	४१३	१३

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९९ पर)

सन् १९५२ ई० के गर्मी के दिनों में नैनीताल क्लब में ठहराए गये लोगों की सूची

नैनीताल क्लब में तीन काटेज हैं। प्रत्येक के सामने ठहरे हुए लोगों के नाम दिए हुए हैं :—

१—शैले क्वार्टर—श्री सैयद अली जहीर, न्याय तथा आबकारी मंत्री।

२—सनी साइड—श्री चन्द्र भानु गुप्त, खाद्य तथा स्वास्थ्य मंत्री।

३—साइप्रस काटेज (नीचे का हिस्सा)—श्री गिरधारी लाल, निर्माण मंत्री।

४—साइप्रस काटेज (ऊपरी हिस्सा) श्री चन्द्रभाल, अध्यक्ष, लेजिस्लेटिव कौंसिल।

नैनीताल क्लब के मेनब्लाक में २० बड़े कमरे हैं इनमें से चार कमरे समय-समय पर ड्यूटी पर बुलाए गये सेक्रेटरियट के अफसरों के लिए रिजर्व रक्खे गये थे। बाकी १६ कमरे नीचे लिखे गये लोगों को दिए गए थे :—

१—श्री जे० निगम, आई० सी० एस०, कमिश्नर, भूमि सुधार।

२—श्री महेश चन्द्र, सहायक सम्पादक तथा विशेष प्रतिनिधि स्टेट्समैन, यू०पी०।

३—श्री नवाब ऐजाज रसूल, एम० एल० ए०।

४—श्री एम० लाल, आई०सी०एस०, डिप्टी डायरेक्टर जनरल ए०आई०आर० एंड ब्राडकास्टिंग, गवर्नमेंट आफ इंडिया।

५—श्री गुलाम हुसेन, एक्स जज हाई कोर्ट, इलाहाबाद।

६—श्री हर सहाय गुप्ता, एम० एल० ए०, मुरादाबाद।

७—नवाब आगा मिर्जा, सरदार मंजिल, बरेली।

८—श्री कृष्णसरन आर्य, एम० एल० ए०, रामपुर।

९—श्रीमती शिवराजवती नेहरू, एम० एल० सी०, लखनऊ।

१०—श्री एस० एस० खेरा, आई० सी० एस०, कमिश्नर, लखनऊ फैजाबाद डिवीजन।

११—श्री खुरशीद अहमद, आई० सी० एस०।

१२—श्री निर्मल चन्द्र चतुर्वेदी, एम० एल० सी०।

नीचे लिखे हुए अफसरान ड्यूटी पर बुलाए गए हुए अफसरों के लिये रिजर्व किये हुए कमरों में ठहरे थे।

१—श्री बी० पी० बागची, आई० सी० एस०, सेक्रेटरी टु गवर्नमेंट, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट।

२—श्री बी० जी० राव, आई० सी० एस०, सेक्रेटरी टु गवर्नमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट।

३—श्री आई० डी० एन० साही, आई० सी० एस०, सेक्रेटरी टु गवर्नमेंट, इन्फारमेशन डिपार्टमेंट।

४—श्री जे० के० टंडन, डिप्टी सेक्रेटरी टु गवर्नमेंट, जुडिसियल डिपार्टमेंट।

बिलियर्ड के कमरे से मिले हुए कमरे में ड्यूटी पर गये हुये नीचे लिखे हुए अफसर ठहरे थे।

१—श्री डी० डी० अग्रवाल, असिस्टेंट सेक्रेटरी टु गवर्नमेंट, पी० डब्ल्यू डी०।

२—श्री ए० पी० मिश्रा, डिप्टी सेक्रेटरी टु गवर्नमेंट, मेडिकल डिपार्टमेंट।

३—श्री जे० पी० त्रिपाठी, प्रेसीडेंट, कोर्ट आफ वार्ड्स।

४—श्री राधाकृष्ण अग्रवाल, एम० एल० ए०।

शैले हाल से मिला हुआ एक कमरा है। यह कमरा श्री राधामोहन सिंह, एम० एल० ए० को एलाट किया गया था।

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५० का उत्तर पीछे पृष्ठ ९९ पर)

नक़शा, जिसमें नये कौंसिलर्स रेजीडेंस दारुलशफा के बनाने में तोड़ी गई इमारतों की कीमत तथा माहवारी किराया दिया हुआ है।

नं०	इमारत का नाम	कीमत	माहवारी किराया
		रु०	रु०
१	मेहतर का क्वार्टर	३४३	२
२	दारुलशफा क्वार्टर नं० १ की रसोईघर तथा स्टोर	८६२	४
३	दारुलशफा क्वार्टर नं० १ व २ का कुछ हिस्सा।	११,८४३	५९

हाफिज मोहम्मद इब्राहीम

वित्त तथा शक्ति मंत्री।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—७७ एल० ए०—१९५२—८५०